लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 28–मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1968/26 अग्रहायण, 1890 (शक)

No 28 -Tuesday December 17, 1968/Agrahayana 26, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
781	सरकार समिति के प्रनिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the recommendation of the Sarkar Committee Report	1–3
783	रेलवे उपकरणों की चोरी	Theft of Railway Equipments ...	3–6
786	केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects	6–10
787	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Bhilai Steel Plant	10–14
788	नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines	14–17
अ. सू. प्र. संख्या/S.N.Q Nos.			
13	ग्वालपाड़ा जिला (आसाम) के शरणार्थी	Refugees in Goalpara District (Assam)	17–22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

782	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास पड़े फालतू भण्डार का मूल्य	Value of Surplus Stocks lying with Hindustan Steel Limited	22
784	अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसियेशन	All India Railway Commercial Clerks' Association	22–23
785	मैसर्स गैमन इंडियन लिमिटेड	M/s. Gammon India Limited	23
789	बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने और खड़े होने की क्षमता	Seating and Standing Capacity of Third Class Railway Coaches on Suburban Trains in Bombay	23–24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

790	बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश में ताम्बे के निक्षेप	Deposits of Copper in Bihar and Andhra Pradesh	24–25
791	दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad-Gauge Line from Delhi-Shahadara to Saharanpur	25
792	अलमोनियम उद्योग में संकट	Crisis in Aluminium Industry	25–26
793	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	26
794	बल्लारी होस्पेट खानों में लोह अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore in Bellary Hospet Mines	27
795	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	28
796	रेलवे स्टेशनों पर जलपान स्टाल	Refreshment Stalls at Railway Stations	28–29
797	उड़ीसा में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey for Minerals in Orissa	29
798	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation	30
799	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में ढांचों का निर्माण	Manufacture of Structurals in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi	30–31
800	रेल कर्मचारियों की हड़ताल	Threatened Strike by Railway Employees	31
801	विभिन्न उद्योगों में बेकार क्षमता	Idle Capacity in Various Industries	31–32
802	तालचेर उद्योग समूह	Talchar Industrial Complex	32
803	उद्योगों के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन हटाना	Removal of Regional Imbalances regarding Industries	33
804	अफगानिस्तान से फलों से लदे ट्रकों का पाकिस्तान द्वारा पकड़ा जाना	Trucks containing Fruits from Afghanistan impounded by Pakistan	33
805	बेलाडिला से जापान को लोह-अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Japan from Baladilla ..	33–34

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
806	नेपाल में भारतीय सिगरेटों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Indian Cigarettes in Nepal	34
807	काश्मीर में भूविज्ञान सर्वेक्षण	Geological Survey in Kashmir	35
808	इस्पात कारखाने के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Personnel for Steel Plant	35
809	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलान धागे की बिक्री	Sale of Imported Bylon Yarn by S.T.C.	35–36
810	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थान का प्रतिवेदन	Special Police Establishment Report on Lakshmiratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur	36
अ. ता. प्र. सं./U.S. Q. Nos.			
4734	धर्मशाला के निकट चूने के पत्थर के निक्षेपों का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Limestone Deposits near Dharamsala	36–37
4735	भारतीयों द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries by Indians Abroad	37
4736	सरकार समिति की सिफारिशें	Recommendations of Sarkar Committee	38-39
4737	त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योग	Handicrafts Industry in Tripura	39–40
4739	मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Madhya Pradesh.	40
4740	मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास	Development of Medium Scale Industries in P.P.	40-42
4741	मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in M.P.	42

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4742	मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Madhya Pradesh...	42–43
4743	इटारसी और बम्बई के बीच गाड़ियां	Trains running between Itarsi and Bombay	43
4744	संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के दल का दौरा	Visit by UN Export Team	43
4745	हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में लघु उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Small scale industries in Himachal Pradesh and Haryana	43–44
4746	स्टेनलेस स्टील तथा टीन की चादरों के लिए कोटा	Quota for Stainless steel and Tin Sheets	44
4747	रेलवे बोर्ड के सचिवालय की क्लर्क सेवा योजना	Railway Board Secretariat Clerical service Scheme	44–45
4748	क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये क्लर्क	Clerks drafted to Railway Board's office from the Zonal Railways	45–46
4749	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi..	46
4750	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation Ranchi	46
4751	रेलवे के विरुद्ध दावे	Claims against Railways	46–47
4752	केन्द्रीय सरकारी कोटे से कारों का आवंटन	Allotment of Cars out of the Central Government Quota	47–48
4753	भारी इंजीनियरी उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	National labour commission Report on heavy Engineering Industry	48
4754	बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Bombay Co. (P) Limited	48–49
4755	रेलवे दावा एजेंट	Railway Claims Agents	49–50

4756	रूसी टेक्टरों की बिक्री	Sale of Russian Tractors	50
4757	रेलवे में दिहाड़ी के आधार पर काम करने वाले मजदूर	Labourers Engaged on Railways on Daily Wages	50
4758	लघु उद्योग	Small Scale Industries	51
4759	राज्य व्यापार निगम संबंधी पुनर्विलोकन समिति	Review Committee on State Trading Corporation	51
4760	दिल्ली-हापुड़ शटल रेलगाड़ी का हापुड़ स्टेशन पर रुकना	Halt of Delhi Hapur Shuttle Train at Hapur Station	51–52
4761	राज्यों में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in States	52
4762	कालका मेल में चंडीगढ़ से दिल्ली तक तीसरी श्रेणी का एक और डिब्बा लगाना	Additional Third Class Coach from Chandigarh to Delhi by Kalka Mail	52
4763	चण्डीगढ़ की औद्योगिक बस्ती के लिये रेलगाड़ी की सुविधायें	Rail Facilities for Industrial Estate of Chandigarh	53
4764	नेफा में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey for Mineral Deposits in NEFA	53
4765	औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	53–54
4766	रेलवे में माल के यातायात में वृद्धि	Increase in goods traffic on the Railway	54–55
4767	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन	Minerals and Metals Trading corporation .	55
4768	सूती कपड़े का आयात और निर्यात	Import and export of cotton cloth	56
4769	भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की संख्या	Strength of staff at Bhilai Steel Plant...	56

4770	देश में हीरे की खानें	Diamond Mines in the Country	56–57
4771	काटन सीड सालवेट प्लांट (बिनाला विलायक निस्सारण कारखाना)	Cotton seeds solvent plant	57
4772	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	57
4773	नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन	National Federation of Indian Railwaymen ...	58
4774	डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों के कार्य-घंटे	Duty Hours of Telephone Operators in DS Office, New Delhi	58–59
4775	दिल्ली स्थित मंडल अधीक्षक के दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के कार्यालय के टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटर	Telephone Operators in DS Office Delhi Northern Railway Exchange	59
4776	रेशम के उद्योग का विकास	Development of Silk Industry	59
4777	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लिमिटेड रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi	60
4778	धातुकार्मिक उद्योग	Metallurgical Industries	60
4779	कोटा डिवीजन में पानी की ट्रालियां	Water Trolleys in Kotah Division	60–61
4780	कोटा डिवीजन में क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की नीलामी	Auctioning of Damaged Wagons in Kotah Division	61
4781	अजमेर डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks in Ajmer Division	61–62
4782	रेलवे को बिजली के बल्बों की सप्लाई	Supply of Electric Bulbs to Railways	62

अता.प्र. संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4783	खनिज अयस्कों का निर्यात	Export of Mineral Ores	62-63
4784	छोटी कार	Small Car	63
4785	फियेट और एम्बेसेडर कारों में लगाये गये खिड़कियों के शीशों में सुधार	Improvement in Winds creen Glasses fitted in Fiat and Ambassador Cars	63-64
4786	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation	64
4787	नेशनल इंडिस्ट्रियल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	National Industrial Development Corporation Ltd.	64-65
4788	नेशनल मिनरल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	National Mineral Development Corporation, Ltd.	66-67
4789	विदेश स्थित भारतीय व्यापार मिशन	Indian Trade Mission abroad	67
4790	चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात	Export during Fourth Plan	67-68
4791	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों का मजूरी ढांचा	Wage structure of employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi...	68-69
4792	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने का ढांचों और उपकरणों की सप्लाई	Supply of structurals and equipments by HEC Ranchi to Bokaro Steel Plant	69
4793	चाय उद्योग के लिये राहत के उपाय	Relief measures for Tea Industry	69-70
4794	रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में मरम्मत का काम	Repair work in Rourkela and Durgapur Steel Plant's	70-71

4795	राज्य व्यापार निगम को आयात लाइसेंस	Import Licences to STC	71
4796	आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं संबंधी कार्यक्रम	Import Substitution Programme	72
4797	जस्ताचढ़ी लोहे की चादरों का निर्माण	Production of Galvanised Iron Sheets.	72–73
4798	चाय के बारे में भारत-श्रीलंका करार	Indo–Ceylon Agreement on Tea	73–74
4799	श्रीलंका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स संयंत्र	H.M.T. Plant in Ceylon	74
4800	रूस के साथ सहयोग संबंधी प्रबन्ध	Collaboration Arrangements with Soviet Union	74–75
4801	मैंगजीन अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	75–76
4802	झांसी -भुसावल यात्री गाड़ी	Jhansi Bhusaval Passenger Train	76
4803	माल छुड़ाई के लिये बैंक गारंटी	Bank Guarantee for taking delivery of Goods	76–77
4804	राजस्थान में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Rajasthan	77
4805	क्यूबा और उत्तर वियतनाम से भारत के व्यापार संबंध	India's Trade Relations with Cuba and North Vietnam	78
4806	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Exports to South Vietnam	78
4807	बिजली के सामान का आयात	Import of Electrical Equipments	78–79
4808	निरीक्षण और जांच निदेशालय	Directorate of Inspection and Investigation ...	79
4809	मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स	M/s. Birla Brothers	80

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4810	पठानकोट से बैजनाथ पपरोला तक यात्री गाड़ियों का चलना	Passenger Train running from Pathankot to Baijnath Paprola	80
4811	कांगड़ा घाटी रेलवे पर पुराने रेल डिब्बे	Old rolling stock on Kangra Valley Railway	80–81
4812	पटना सिटी स्टेशन	Patna City Station	81
4813	बीड़ी उत्पादन	Bidi Production	82
4814	रेलवे के मैकेनिकल श्रमिकों के वेतनमानों में वृद्धि की मांग	Demand for Revision of Pay Scales Railway Mechanical Workers	82–83
4815	दानापुर के स्थानापन्न यातायात श्रमिक	Traffic Substitute Labourers of Danapur	83
4816	कारों का निर्माण	Manufacture of Cars	83-84
4817	बासेन रोड स्टेशन के निकट बस और रेलगाड़ी की टक्कर	Bus Train collision near Bassein Road Station	84–85
4818	हंगरी से व्यापार करार	Trade Agreement with Hungary	85
4819	रेलवे सामग्री का मध्य पूर्व देशों को सप्लाई किया जाना	Supply of Railway materials to West Asian countries	85–86
4820	सोडियम सल्फाइड के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Sodium Sulphide	86
4821	बिहार में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel in Bihar	86
4822	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation Ranchi	6–87
4823	भारत का निर्यात और आयात	India's Exports and Imports	87
4824	'हिन्दुस्तान', 'स्टैंडर्ड' और 'फिएट' कारें	Hindustan Standard and Fiat Cars	7–88

4825	राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by State Trading Corporation	88
4826	बिहार में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Bihar	88-89
4827	रूस को निर्यात करने के लिये माल डिब्बों का निर्यात	Manufacture of wagons for export to USSR	89
4828	रेलवे स्कूल और कालिज	Railway Schools and Colleges	89
4829	गुना-मकसी रेलवे लाइन	Guna-maksi Railway line	89-90
4830	कृष्णा फाइनेन्स ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड	Krishna Finance Transport (P) Ltd.	90-91
4831	टिकट कलक्टरों की वरिष्ठता का निर्धारित किया जाना	Fixation of Seniority of Ticket Collectors	91
4832	रूसी और अमरीकी फिल्मों का आयात	Import of Russian and American Films	91-92
4833	दिल्ली/फिरोजपुर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टर मास्टरों वरिस्ठत की सूची	Seniority List of A. S. Ms. Delhi Ferozepur Divisions	92-93
4834	आसाम में सीमेंट कार-वरिष्ठता खाना	Cement Factory in Assam	93
4835	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of steel	3
4836	ट्रैक्टरों का उत्पादन	Production of Tractors	94
4837	दक्षिण पूर्व रेलवे के बांसपानी से जोरूरी तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Railway line from Banspani to Joruri on South Eastern Railway	94-95
4838	रेलवे नियमों में संशोधन	Amendment of Railway Rules	95
4839	कटिहार-लुमडिंग सवारी गाडी के टी-टी और गार्ड पर हमला	Assault on Travelling Ticket Examiner and Guard of Kathiar Lumding Passenger Train	95-96

4840	पठानकोट-सियालदाह एक्सप्रेस रेलगाड़ी में डकैती	Robbery in Pathankot Sealdah Express	96
4841	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	97
4842	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई स्कूटर परियोजना	Scooter project started by the National Industrial Development Corporation	97
4843	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	97 98
4844	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	98
4845	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	98-99
4846	प्रीमियर टायर फैक्टरी	Premier Tyre Factory	99
4847	अमरीका को काजू का निर्यात	Export of Cashew to USA	99
4848	हावड़ा जाने वाली तूफान एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Howrah bound Toofan Express	100
4849	पाकिस्तान द्वारा भारतीय पुस्तकों के आयात पर प्रतिबन्ध	Restrictions by Pakistan on import of Indian Books	100
4850	चाय से प्राप्त होने वाली निर्यात आय में कमी	Decline in exort earnings from tea	100-101
4851	टेल्लीचेरी स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Overbridge near Tellicherry station	101-102
4852	केरल में हथकरघा उद्योग को संकट	Crisis in Handloom Industry in Kerala	102
4853	सीमेंट उद्योग द्वारा पटसन के थैलों का प्रयोग	Use of Jute Bags by the Cement Industry	102-103

4854	कृषि वस्तुओं का निर्यात	Export of Agricultural Commodities	1:3
4855	बांदा स्टेशन पर उपरि पुल और प्लेटफार्म	Overbridge and Platform at Banda Station	103-104
4856	बान्दा लोको शेड	Banda Loco Shed	:C4
4857	सूती कपड़ा मिलों को ऋण	Loans to Cotton Textile Mills	104-105
4858	वेलाडीला-जगदलपुर लाइन पर यात्री गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Passenger Trains on Bailadila Jagdalpur Line	105
4859	बस्तर में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Bastar	105-1(6
4860	बस्तर में 'पैलट' का कारखाना	Pelletisation plant at Bastar	106
4861	हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Himachal Pradesh	106-107
4862	'सिथैटिक' वस्त्र का आयात	Import of Synthetic Fabrics	107
4863	नेपाल से सिथैटिक' वस्त्र का आयात	Import of Synthetic Fabric from Nepal	107
4864	औद्योगिक माल का निर्यात	Export of Industrial Goods	107-108
4865	समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन	Samastipur-Darbhanga Railway Line	108
4866	रूस को रेलवे माल डिब्बों के निर्यात के लिये क्रयादेश	Order for Export of Rail Wagons to USSR	1C8-109
4867	नेपाल को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर शुल्क	Duty on Indian Goods Exported to Nepal	109
4868	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	109-110
4869	वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज के वेतनमान	Pay Scale of Air conditioned Coach In-charge	110

4870 बिहार स्टोन 'क्वेरी'	Vihara Stone Quarry	110-111
4871 महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Maharashtra	111-112
4872 पालनपुर से दिल्ली के लिए एक शटल गाड़ी में टमाटरों के पार्सल भेजे जाना	Booking of Parcels of Tomatoes from Palanpur to Delhi in a Shuttle Train	112
4873 राजस्थान में खनिज	Minerals in Rajasthan	112-113
4874 नई दिल्ली के अशोक होटल में सोना नामक दुकान	Sona Shop in Ashoka Hotel, New Delhi	113
4875 छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वालों के संबंध में समिति	Committee on Small Scale Rubber Cultivator	113
4876 नेपाल में चोरी छिपे पटसन ले जाया जाना	Smuggling of Jute Into Nepal	113-114
4877 नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्र तथा स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का आयात	Import of synthetic fabric and stainless steel from Nepal	114
4878 बिरला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Birla Group of concerns	114-115
4879 बोकारो इस्पात कारखाने में वरिष्ठ परिचालन प्रशिक्षार्थियों की भर्ती	Recruitment of Senior Operative Trainees in Bakora Steel Plant	115
4880 रेलवे के अस्पतालों में चिकित्सा शास्त्र के स्नातक तथा लाइसेंस, प्राप्त डाक्टर	Licentiates and Graduates in Medicine in Railway Hospitals	115
4881 मलयेशिया में संयुक्त उपक्रम	Indo Malaysian Joint Ventures	116

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4882	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की टेलीफोन आपरेटर के रूप में पदोन्नतियां	Promotion of class IV employees as Telephone operator on the Northern Railway	116–117
4883	मीटर गेज के डीजल विद्युत इंजन	Metre–gauge Diesal Electric Locomotives	117
4884	सूती कपड़ा मिलों का बन्द हो जाना	Closed Cotton Mills	117-118
4885	1 एम. डी. मुरादाबाद दिल्ली रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late running of 1 M.D. (Moradabad Delhi) Train	118–119
4886	पोलैंड के विशेषज्ञ के शव को 5 नवम्बर, 1968 को पटना से हावड़ा ले जाया जाना	Carrying of dead body of a Polish Expert from Patna to Howrah on 5th November, 1968	119–120
4887	विदेशी सहयोग	Foreign collaboration	120
4888	डायमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी, लन्दन	Diamond Trading company, London.	120–121
4889	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Andhra Pradesh	121
4890	भारतीय ग्रेफाइट अयस्क	Indian Graphite Ore	121-122
4891	आंध्र प्रदेश में कलिंगपतनम से रायगढ़ तक के लिये रेलवे लाइन	Railway line from Kalingapatnam to Rayagada in Andhra Pradesh	122
4892	रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों से भेजे गये माल की ढुलाई में विलम्ब	Delay in Transhipment of Goods despatched from Rourkela and Bhilai Steel Plants	122–123
4893	पहाड़पुर और गुराड़ू स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train between Paharpur and Guraru Stations	123

4894	रेलवे में वायरलैस आपरेटरों के वेतनमान	Wireless Operators' Grade in Railway	124
4895	ब्रिटेन की आयात निक्षेप योजना में भारत को रियायत	Concessions to India in Britain's port Deposit Scheme	124-125
4896	इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात	Export of Engineering Products	125
4897	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में दोषपूर्ण उत्पादन की दर	Rate of Defective Production in Hindustan Steel Limited	125
4898	लौह-अयस्क की खानों का विकास	Development of Iron Ore Mines	126
4899	दुर्गा काटन मिल, काडी (गुजरात)	Durga Cotton Mill, Kadi (Gujarat)	126
4900	मशीनों तथा सयंत्रों का आयात	Import of Machinery and Plant	126-127
4901	इस्पात के मूल्य	Price of Steel	127-128
4902	रेलवे के डिस्पेंसरों के लिये ऊनी वर्दियां	Woollen Uniforms for Dispensers on the Railways	128
4903	चित्तौड़-कोटा रेलवे लाइन	Chittor-Kotah Railway Line	128
4904	राजस्थान में रेलवे लाइनों की लम्बाई	Railway Lines in Rajasthan	128-129
4905	खेती ताम्बा परियोजना	Khetri Copper Project	129
4906	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Limited	129-130
4907	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों का धारणाधिकार	Line of Railway Electrification Project Staff...	130
4908	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों की पदावनति	Reversion of Railway Electrification Project Staff	131-132

4909	उत्तर कोरिया से शिष्ट मंडल	Trade Delegation from North Korea ..	132
4910	रायपुर मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	Raipur Metal Products Pvt. Ltd.	132–133
4911	उत्तर रेलवे यातायात लेखा-कार्यालय में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in foreign Traffic Accounts Office	133
4912	अग्निगुंडाला में ताम्बे के निक्षेप	Copper Deposits in Agnisgundala	133–134
4913	अमृतसर में कृत्रिम रेशम उद्योग	Art Silk Industry, Amritsar	134-135
4914	जावा मोटर साइकिल फैक्टरी	Java Motor Cycle Factory	135
4915	अनन्तपुर में सोने के निक्षेप	Gold deposits in Ananthapur	135
4916	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	135–136
4917	मशीनें बनाने के कारखाने	Machinery making plants	136–137
4918	सूती कपड़े का निर्यात	Export of cotton textiles	137
4919	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	137
4920	बोकारो स्टील संयंत्र के निकट और सहायक उद्योग	Ancillary Industries around Bokaro Steel Plant	138
4921	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के खनन पट्टे	Mining leases in Public and Private Sectors	38-139
4922	सीतापुर कालोनी में सफाई कर्मचारियों (स्वीपरों) द्वारा हड़ताल	Strike by Sweepers in Sitapur Colony	139
4923	सूरतगढ़ स्टेशन (उत्तरी रेलवे) पर जलपान गृह	Refreshment Rooms at Suratgarh Station (N. Rly)	139

4924	हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच नई रेलवे लाइन	Railway Line between Hindumalkot to Sriganganagar	140
4925	कोलयात से फालोडी तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Kolayat to Phalodi...	140
4926	राजस्थान से जिप्सम की सप्लाई	Supply of Gypsum from Rajasthan	140–141
4927	भोजपुरा रेलवे फाटक पर दुर्घटना	Accident near Bhojpura Level crossing	141
4928	मुगलसराय में जी.टी. रोड पर पुल	Bridge of G.T. Road at Mughal Sarai	141
4929	इस्पात पुनर्बेलन (री-रोलिंग) उद्योग	Steel Re-rolling industry	142
4930	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर	Shares of Indian Iron and Steel Co.	143
4931	अफगानिस्तान से फलों का आयात	Import of fruits from Afghanistan	144
4932	कोक का उत्पादन	Production of Coke	144
4933	मध्य प्रदेश में व्यक्तियों को आयातित कारों की बिक्री	Sale of Imported cars to persons in Madhya Pradesh	144
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	145–147
	बिड़ला हाउस को राष्ट्रीय स्मारक बनाना	Conversion of Birla House into a national monument	145
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148–149
	लोक–लेखा समिति	Public Accounts Committee	149
	सैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty Seventh Report	149

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आर्थिक सहकारिता सम्बन्धी तीसरे एशियाई मंत्री सम्मेलन के बारे में विवरण	Statement re. Third Asian Ministers Conference on Economic Cooperation	149
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	149
अत्यावश्यक सेवाएं संधारण विधेयक जारी	Essentials Service Maintenance Bill contd.	150
खंड 2 से 9 और 1	Clause 2 to 9 and 1	154-181
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as amended	154
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal explanation by Member	154
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1968/26 अग्रहायण, 1890 (शक)
Tuesday, December 17, 1968/Agrahayana 26, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकार समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्विति

+
*781. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री इरासनो डी० सेक्वीरा :**
श्री केदार पास्वान : **श्री गयूर अली खां :**
श्री शिवचरण लाल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति की सिफारिश के अनुसार भूतपूर्व लोहा तथा इस्पात नियंत्रक श्री ए० एस० बाम तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये इस बीच एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) : जी, हां। एक वरिष्ठ अधिकारी को संगत नियम-विनियम के अनुसार अनुशासनिक

कार्यवाही सम्बन्धी मामलों के विघायन के लिए नियुक्त किया गया है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करने के पश्चात्, जहां-कहीं आवश्यक, पांच मामलों में आरोप-पत्र जारी किये गये हैं और दो और मामलों में शीघ्र ही जारी किये जायेंगे । एक मामले में प्रतिवादी का प्रत्युत्तर भी प्राप्त हो गया हैं, जिस पर विचार किया जा रहा है । दूसरे दो मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श की प्रतीक्षा है ।

Shri Kameshwar Singh : Government have taken action against Shri Bam very late. I had pointed this thing out during 1967 Budget Session, but Shri Chenna Reddy, the then Minister, tried to save him. It is very regrettable that the then Deputy Controller of Iron and Steel Shri Santiappen was harassed by the officers of that Department and their well-wishers, when he started pointing out this case. He was an honest officer At the instance of Amin Chand Pyare Lal, the officers including the Iron and Steel Controller and harassed him. The result was that he had to retire and he is rotting now. On the other hand action has been taken against Shri Bam only now.

I want to know whether the companies owned by Amin Chand Pyare Lal have been blacklisted or not ? If they have not been blacklisted even after the report of the Sarkar Committee, what are the reasons therefor and how many companies have been given steel quotas and other benefits ?

Shri P. C. Sethi : Their 5 or 6 companies, namely, Amin Chand Pyare Lal, Surendra Overseas, J. S. Kohn, Apeejay, Ram Krishan Kulwant Rai, Khem Chand Raj Kumar were banned on 7-5-1966 even before the report of the Sarkar Committee came. They have been banned for a period of three years. Some of these companies have filed an appeal in the Calcutta High Court. So far as Shri Bam is concerned, after the receipt of the report and its approval by the Cabinet on 10-5-1968, no time was taken in issuing charge-sheet to him.

Shri Kameshwar Singh ; According to the hon. Minister, some of these companies have gone in appeal in the Calcutta High Court. May I know whether any license has been granted to these companies after their filling an appeal in the High Court and if so, why ? I also want to know what action has been taken against J. S. Kohn and Company ?

Shri P. C. Sethi : This company has also been banned. If the companies which are banned have their industry, the supply of raw material is not stopped, but Government stop all sale-purchase transactions with them.

श्री उमानाथ : सरकार समिति ने एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किया है । अपने एक पत्र में मैसर्स अमींचन्द प्यारे लाल ने इस्पात नियंत्रक को लिखा था :

"हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि आपका इरादा कुछ पश्चिमी देशों विशेषकर पश्चिम जर्मनी को इस्पात की छड़ें सप्लाई करने का है ताकि वे उनसे इस्पात की पाइप बना कर भारत को दे सकें । हमारी इस प्रस्ताव में बड़ी रुचि है और हम इसमें सक्रिय भाग लेने के बड़े इच्छुक हैं ।"

इससे पता चलता है कि उन्हें किसी विश्वसनीय सूत्रों से सरकार की इस्पात नीति के बारे में जानकारी रहती थी । इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस स्रोत का पता लगाने के लिये गहराई से छानबीन की गई है ? क्या श्री स्वर्ण सिंह तथा अन्य

व्यक्ति जो उस समय मत्रालय के प्रभारी थे उन्हें यह जानकारी देते थे ? क्या श्री भूतालिंगम के विरुद्ध केवल इस डर से कार्यवाही नहीं की गई है कि यदि उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई तो बहुत से भेद खुल जायेंगे और किन्हीं मंत्रियों तथा सरकार में कांग्रेस दल के राजनैतिक नेताओं को इसमें हाथ होने के बारे में भण्डाफोड़ हो जायेगा ? मैं इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : सरकार समिति एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति थी और उन्होंने इन सौदों के सभी पहुओं की जांच की है । समिति ने श्री स्वर्ण सिंह और श्री सुब्रह्मण्यम को बिल्कुल निर्दोष बताया है । हां, श्री भूतालिंगम को कुछ बैंक गारंटियों के देने में जिम्मेदार पाया है । परन्तु वे अब सेवानिवृत्त हो गये हैं और संविधान के अनुच्छेद 311 और 314 के उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

श्री उमानाथ : मैंने पूछा है कि क्या उन विश्वसनीय सूत्रों का पता लगाया गया है ? यदि माननीय मंत्री 'हां' या 'ना' कह दें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इसका उत्तर तो दिया जाना चाहिये ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : सरकार समिति ने सभी पहलुओं की जांच की है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Rabi Ray : It has been stated in the House on several occasions by the hon. Minister that M/s. Amin Chand Pyare Lal have been blacklisted for violating the rules governing the import policy. I want to know what is the present position, have they again been given any licences ? What are the main recommendations of the Sarkar Committee and the action taken thereon ?

Shri P. C. Sethi : As I have already stated those companies which were banned on 7-5-1966 are still banned. So far as exchange violations are concerned, this task was entrusted to the Reserve Bank who has referred it to the C.B.I. for further investigation.

Shri Rabi Ray : What are the main recommendations of the Sarkar Committee and what action Government are taking thereon ?

Shri P. C. Sethi : There is no special recommendation except referring it to the Reserve Bank.

Theft of Railway Equipments

+
***783. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the progress made in respect of preventing the thefts of Railway equipment in the trains;

(b) whether it is a fact that thefts are particularly being committed on terminus stations; and

(c) whether Government have attained any success in checking large number of thefts which were being committed in goods and passenger trains at Mughal Sarai Station ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) इस सम्बन्ध में पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

(ख) टर्मीनल स्टेशनों पर और चलती गाड़ियों में दोनों जगह नुकसान होता है ।

(ग) जी हां ।

Shri Prakash Vir Shastri : In which of the areas particularly thefts of railway property are taking place ? Are some departmental employees also involved in them ? What was the total loss to the railways as a result of thefts of railway property during the last three years. If figures for 3 years are not available, figures for one year may be given.

श्री परिमल घोष : अधिकांश चोरियां बदली के स्टेशनों और टर्मीनल स्टेशनों पर होती हैं । सबसे अधिक चोरियां पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे पर होती हैं । यह भी तथ्य है कि बहुत से रेल कर्मचारी और रेलवे सुरक्षा दल के लोग इसमें शामिल हैं । 1966 में कुल 17,261 डाइनमो बेल्ट और 1967 में लगभग 15,914 डाइनमो बेल्ट चोरी हुए । चोरी हुए बिजली के बल्बों के आंकड़े क्रमशः 89,520 और 126,527 थे ।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know the total loss suffered by the Railways as a result of thefts of Railway propeity during the last three years and if they are not in a position to give these figures, they may give figures for one year, so that we may know that the department has not able to prevent so much loss. Secondly, what is the extent of thefts on the Mughal Sarai Station alone and how far the railways have been able to check them. Have some measures been taken to prevent these thefts in future ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1956 में लगभग 17.99 लाख रुपये के रेलवे सामान की चोरी हुई । 1967 में 17.91 लाख और 1968 में सितम्बर तक के आठ महीनों में 13.22 लाख रुपये के सामान की चोरी हुई । 1966 में 1907; 1967 में 2036 और सितम्बर 1968 तक 1215 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । उनमें से रेल कर्मचारियों की संख्या 1966 में 325, 1967 में 279 और 1968 में (अब तक) 92 थी । रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 8, 2, 3 थी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : वर्कशापों में कितने प्रतिशत चोरियां हुई ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं । मैं माननीय सदस्यों को कुछ और आंकड़े देना चाहता हूँ । 1 अप्रैल, 1968 से लागू किये गये रेलवे सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 4880 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें से रेल कर्मचारियों की संख्या 696 और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या 71 थी ।

श्री पीलू मोदी : मैंने सुना है कि पश्चिमी भारत में कहीं से दो इंजन गायब हो गये हैं । क्या उन्हें इसकी जानकारी है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य सही-सही जानकारी दें ।

श्री हेम बरुआ : जो यह सामान चोरी हो जाता है, कुछ रेल अधिकारियों का काम ही उनकी सुरक्षा करना होता है। उनके विरुद्ध अपने कर्त्तव्य का पालन न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री परिमल घोष : यह काम तो रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के जिम्मे है। जैसे ही रेलवे सुरक्षा दल को ऐसी किसी चीज की जानकारी मिलती है तो वे तुरन्त पुलिस को सूचित करते हैं और छानबीन शुरु हो जाती है।

श्री हेम बरुआ : सुरक्षा दल पर कौन निगरानी रखता है ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : टर्मीनल स्टेशनों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण काफी सामान चोरी हो जाता है। क्या सरकार ने टर्मीनल स्टेशनों पर रेलगाड़ियों मे सामान की चोरी को रोकने के लिये सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त पूर्वोपाय किये है ?

श्री परिमल घोष : इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that the thefts of goods are made at the places they are sent and at the places from where they are sent. There have been instances of looting the passengers in trains, their pick poket and the stolen of their luggages. You have not made any arrangement to stop it. For instance Pandit Deen Dayal Upadhiya was murdered. In order to stop these type of cases whether there is any proposal to post policemen iu the railway compartments ?

श्री परिमल घोष : कुछ दूर जाने वाली गाड़ियों में जहां इस प्रकार की घटना के घटने की शंका होती है..

श्री हेम बरुआ : दूर जाने वाली गाड़ियों में भी बिजली के बल्ब नहीं होते।

श्री परिमल घोष : ऐसी गाड़ियों में शस्त्रास्त्र पुलिस की व्यवस्था की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the arrangements Government propose to make for the safety of the passengers and their goods ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि सब गाड़ियों में सुरक्षा की व्यवस्था होती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Armed police is not posted in any train I often change trains. The question should not be neglected like this. You only know the fact when you will be looted.

श्री एम० बी० राने : प्रथम श्रेणी और वातानुकूल डिब्बों में चोरी रोकने के बारे में कंडक्टर और परिचारक के क्या कर्त्तव्य हैं और इस सम्बन्ध में उनकी क्या जिम्मेवारी है ?

श्री परिमल घोष : सामान्यतः कंडक्टर का यह कर्तव्य होता है कि वह यात्रियों के आराम का ध्यान रखें और उनके लिये स्थान की व्यवस्था करें और यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसे उचित प्राधिकारियों तक पहुंचाये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न रेल के डिब्बों में चोरी होने के सम्बन्ध में कन्डक्टरों के कर्त्तव्य के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कडक्टरों के कर्त्तव्य के बारे में पूछा था।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just stated that there has been an increase in thefts in railway since the posting of R.P F. in Railway. The general impression is that the people of R.P.F. are a party to these thefts. I want to know what action Government propose to take to prevent these thefts ?

श्री परिमल घोष : जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कुछ चोरी के मामलों में रेलवे कर्मचारियों का हाथ था। लेकिन यह सच नहीं है आर० पी० एफ० की व्यवस्था की जाने के पश्चात् चोरियों में वृद्धि हुई हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं

\+
*786. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदा नन्द : श्री ओंकार सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनका निर्माण अथवा विस्तार इस समय किया जा रहा है;

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है और उन पर उस वर्ष कितनी धन राशि व्यय की जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि जब तक पुरानी परियोजनाएं पूरी नहीं हो जायेंगी तब तक किसी भी नई परियोजनाओं को आरम्भ नहीं किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी प्रधान मंत्री द्वारा 13 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ): चौथी योजना तैयार हो जाने पर इस पहलू पर निर्णय किया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister should have circulated the statement, if not then it should be read.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। क्या आपका सुझाव यह है कि जब पूर्व प्रश्न और उत्तर का उल्लेख किया जाये तो उन सब पत्रों को फिर से सभा पटल पर रखा जाये।

श्री रंगा : हम अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सन्देह है कि माननीय मंत्री के पास विवरण है । यदि उनके पास विवरण है तो वह उसे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह एक लम्बा विवरण है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रखा गया था । यदि वे चाहते हैं कि सब पत्रों को सभा पटल पर फिर से रखा जाये तो मुझे भय है कि ऐसा शीघ्रता से नहीं किया जा सकेगा । मैं अब केवल इतना कर सकता हूं कि मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूं कि वे इसे फिर से सभा पटल पर रखें । लेकिन इससे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ?

Shri Shardanand : At the starting point the estimate of a scheme is generally very small, but when the implementation of the scheme starts the estimate begins to swell. I want to know whether the Hon. Minister is preparing some scheme to reduce the expenditure in this direction.

The Minister of Indn trial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : The project report is prepared taking into consideration the prices and the conditions prevailing at that time. But on body can force the increase in the prices at that time. The rise in the prices and wages and afterwards as a result of it there is some increase in the expenditure which cannot be estimated before.

Shri Shardanand : I want to know whether any such project is under consideration ? If so, the details thereof ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : The Planning Commission is considering about the projects of the public undertakings in which investment is to be made. We can The details will be available after the decision of the Commisson.

Shri Kanwar Lal Gupta : The main reasons for not making profits by the public undertakings projects is this that the projects taken by Government are never completed in time and the maximum time is taken for its completion and the expenditure on these projects is more than what is provided in the budget. Taking all these things in to consideration whether the Government have a proposal to formulate an expert committee which may review about new projects or the projects intending to be expended, may utilise the idle capacity so that further funds may not have to be invested and the cost may not increase and projects may be completed in time. None of the public undertaking projects have been completed in time.

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : These are two basic questions. We are trying to look in to the project report and want that approximately correct figure should be given regarding establishing a project Our policy is first to invest capital in completing the incomplete project and then to start new projects. In addition to this we are thinking to fully utilise the idle capacity of the projects so that these projects may fully be utilised. We will

formulate a Committee for this purpose. We will also consider on this matter by formulating a cordinating committee which will look in to the difficulties and try to remove them.

श्री रंगा : समन्वय समिति पहले ही विद्यमान है लेकिन इसने अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया है ।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या सरकार का विचार चौथी योजना के अन्तर्गत आसाम में कोई नई परियोजनाएं आरम्भ करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इस बारे में पहले ही उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री स० कुण्डू : हाल ही में राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के वितरण के सूत्र के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय दिया था जिसमें पिछड़े राज्यों के बारे में विचार किया गया है ।

क्या देश में चौथी योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के बारे में इस सूत्र का पालन किया जायेगा और क्या केन्द्रीय उद्योगों के स्थान की स्थापना के मामले में पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी । क्या अब तक आपके मन्त्रालय द्वारा उड़ीसा और आसाम में किसी उद्योग की स्थापना की गई है ?

श्री एस० आर० दामानी : पिछले सत्र में माननीय मन्त्री ने यह उल्लेख किया था कि सरकारी क्षेत्र के 14 उपक्रमों में 18,00 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी पूरा क्षमता का प्रयोग के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है और क्या इस बेकार पड़ी क्षमता को उपयोग के बारे में सरकार को विभिन्न दलों से कोई सिफारिशें या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में पहले ही उल्लेख किया गया है कि 1951 से 1958 तक सरकारी उपक्रमों में 2450 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था और यह भी उल्लेख किया गया था कि उन सरकारी उपक्रमों को पूरा करने के लिये 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । यह 1968-69 के लिए की गई व्यवस्था के अतिरिक्त हैं । अतः हम चाहते है कि जो भी राशि उपलब्ध है उसे उन सरकारी उपक्रमों के पूरा करने पर खर्च करने का है, जो अधूरे हैं ।

श्री एस० आर० दामानी : माननीय मन्त्री ने कहा है कि 14 कारखानों में पूरी क्षमता से काम नहीं किया जा रहा है तथा उनमें क्षमता बेकार पड़ी है । मैं जानना चाहता हूं बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार को बेकार पड़ी क्षमता का और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जहां तक सम्भव होगा इन कारखानों के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता की हम जांच करेंगे तथा हम नहीं

चाहते कि इन कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी रहे। यह भी एक ऐसा ही मामला है जो संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। किसी कारखाने की बेकार क्षमता को एक दम दूर करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। हम यह सुनिश्चित करने का यथा सम्भवपूर्ण प्रयत्न करेंगे कि हम कार्य में कैसे सुधार कर सकते हैं।

श्री प० गोपालन : यह एक सर्व मान्य तथ्य है कि गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय उद्योगों की स्थापना के बारे में केरल की अवहेलना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप राज्यवार पूछेंगे तो यह सम्भव नहीं होगा।

श्री शिव नारायण : उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ राज्य है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आपको याद होगा इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल ही कह दिया था कि जिसमें विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास की स्थिति बताई गई थी। मैंने कहा था कि योजना आयोग में दो कार्यकारी दल काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के तरीके निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्यूहीं उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम यह देखेंगे कि गत कुछ वर्षों में हुए क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के बारे में हम उनकी सिफारिशों को कहां तक स्वीकार कर सकते हैं।

श्री स० कुण्डू : केन्द्रीय परियोजना की स्थापनार्थ स्थान का चयन करने के लिये क्या उन्होंने कोई मानदण्ड अपनाया है ? अभी तक कोई मान दण्ड नहीं अपनाया गया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन सब मान दण्डों पर उन कर्मचारी दलों द्वारा विचार किया जा रहा है। इस सब पर विचार किया जायेगा।

श्री कृ० मा० कौशिक : क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता का बेकार पड़ा रहना किसी प्रकार प्रबन्धकों की अकुशलता अथवा कुप्रबन्ध से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो इस अकुशलता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : दो बातें हैं। एक तो क्षमता बेकार पड़ा रहना काम न होने के कारण हैं। दूसरी बात किसी विशेष कारखाने में कोई त्रुटि होने के कारण उत्पादन का न बढ़ना है। हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं तथा हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी क्षमता उपलब्ध हो उस का पूरा उपयोग किया जाये।

Shri Sheo Narain : I want to know from the Government of India the amount allotted to U. P. out of the funds for Central Projects and how much amount out of that has been utilised.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है।

श्री प० गोपालन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका सम्बन्ध विशेषतया मेरा राज्य से है। तीसरी योजना में भी केरल की अवहेलना की गई है तथा इस पृष्ठभूमि में मैं

जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री ने हाल में कोई वक्तव्य दिया है कि केन्द्रीय सरकार केरल से सब केन्द्रीय परियोजनाओं को हटाने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि वहां श्रम सम्बन्ध दिन प्रतिदिन खराब हो रहे है ? क्या केन्द्रीय सरकार की यह नीति है ? उन्होंने केरल के उचित हित के विरुद्ध उच्च स्तर पर एक षड़यंत्र रचा है तथा वह केरल की अवहेलना करने की अपनी नीति को जारी रख रहे हैं । क्या यह नीति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य केरल में माननीय श्रम मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को मेरा वक्तव्य बता रहे हैं । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि हाल में जब मैं केरल गया था, तो मैंने वहां मुख्य मन्त्री और उद्योग मंत्री से बातचीत की थी । उस समय श्रम मन्त्री वहां उपस्थित नहीं थे । वहां विशेषतया हैवी मशीन टूल फैक्टरी के कार्य का प्रश्न उठाया गया था तथा वहां हमारे महाप्रबन्धक भी उपस्थित थे । उन्होंने श्रमिकों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयां बताई थी । उस परियोजना पर कुछ अतिरिक्त खर्च करने का प्रश्न भी था तथा मैंने मुख्य मन्त्री को बताया था कि जब तक राज्य सरकार हमें सहायता देने को तैयार नहीं होती, तब तक विस्तार के प्रश्न पर विचार करना हमारे लिये बहुत मुश्किल है विशेषतया जबकि उस विशेष क्षेत्र में हड़ताल की गम्भीर स्थिति के कारण जो काम होना चाहिये, वह भी नहीं हो रहा है ।

Foreign Exchange earned by Bhilai Steel Plant

*787. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the varieties and the quantity of steel produced by the Bhilai Steel Plant since January, 1965 ;

(b) the quantity of steel of each variety exported ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by this export and the production expected during the next five years ?

The Minister of State in the Ministry of Steel **Mines and Metals (Shri P. C. Sethi)** : (a) to (c) : Three statements, containing the required information, are laid on the Table of the House. **[Placed in the Library See No. LT. 2733/68]**

Shri Hukam Chand Kachwai : It is evident from the information given by the hon. Minister that our exports have fallen down considerably during the last two years. I would like to know the reasons therefor ? Secondly the hon. Minister has said that they are going to increase the foreign exchange earnings. I would like to know when they are going to do so ?

Shri P. C. Sethi : Our exports have increased during the last three years. For example our exports from Bhilai Steel Plant during the year 1965-66 were worth Rs. 1 crore, in 1966-67 those were worth Rs. 1.50 crores, in 1967-68 those were worth Rs. 13 crores, and during this year those had been worth Rs.11 crores, although three or four months are yet remaining.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, the full production capacity is not being utilised and the main reason for this is that the officers who are at the helm of affairs there are incompetent and they have been appointed on recommendations and as such

they are unable to execute work properly. I want to know whether Government will reconsider this question ? Secondly I want to point out that the workers there, who are doing their jobs properly have been deprived of many facilities given to them. I want to know whether Government will reconsider this question of Apart from this I want to know whether at the time of production it is kept in view as to what varieties are in demand in the foreign markets and in the country ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, it is true that the Bhilai Steel Plant is not working according to its full capacity. The main reason for this is that the items which are being produced in Bhilai Steel Plant have less internal demand. For example the installed capacity at Bhilai is 5 lakh tonnes of rails. But the demand of Railways has decreased and according their consumption has decreased. A programme has been chalked out for their exports and their exports have increased.

So far as the question of officers is concerned recently a new General Manager has been appointed there and he is executing his work properly. No complaint has so far been received that the work is not being executed properly. So far as the question of withdrawing the facilities given to workers is concerned, I have received no such complaint. If the hon. Member has any such information, we will look into that.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Government proposes to manufacture those articles which are in demand in foreign markets ?

Shri P. C. Sethi : For example capacity for manufacturing "12 metre long rails was established in Bhilai originally but" now facilities for producing 18 metre long rails have been provided and necessary changes have been made, keeping in view the fact that in foreign countries 18 metre long rails are used.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been replied fully, the reply has been evaded. My question is not limited to rails only, but it pertains to all the articles in demand in foreign markets.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विवरण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1971–72 तक बिलेटों के उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी तथा वर्ष 1971–72 में उनका उत्पादन 520000 मीटरी टन हो जायेगा तथा इसके बाद उनके उत्पादन में कमी होगी । मैं जानना चाहता हूँ कि प्रति वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने की बजाय वर्ष 1972–73 के बाद उनके उत्पादन में कमी क्यों होगी ?

श्री प्र० च० सेठी : केवल बिलेटों के मामले में उत्पादन में कमी दिखाई गई है। इससे यह पता चलता है कि बिलटों का तैयार इस्पात बनाया जायेगा ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यदि हमारे इस्पात मिलों ने देश के तथा विदेशी बाजारों की मांग सफलतापूर्वक पूरी करनी है, तो उत्पादन में कुछ लचीलापन होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हिन्दुस्तान स्टील तथा इस्पात मन्त्रालय के विपणन सम्बन्धी विशेषज्ञों के अतिरिक्त व्यवसायिक विपणन विशेषज्ञ संगठन की सहायता भी प्राप्त करना उचित समझेगी, ताकि देश की तथा विदेशों की मण्डियों की मांग के बारे में सही पूर्वानुमान लगाया जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का उद्देश्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार देश की मांगों को पूरा करना है । इस संदर्भ में विवधिकरण का क्षेत्र सीमित है । परन्तु जहां तक ऐसा करना सम्भव होगा, हम उसका प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर विवधिकरण करने के लिये भारी राशि चाहिये ।

बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा अन्य देशों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये हम वहां शिष्टमण्डल तथा प्रतिनिधि मण्डल भेजते रहते हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं ।

श्री समर गुह : यद्यपि भिलाई तथा रूरकेला जैसे कारखानों की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया है, तथापि अभी तक विदेशों से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के इस्पात का आयात किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस किस्म के इस्पात का निर्यात किया जाता है, उसका मूल्य कितना है तथा भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखानों में उस प्रकार के इस्पात का बनाना कब तक सम्भव हो जायेगा, जिसका इस समय आयात किया जाता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम मुख्यतय: मिश्रित इस्पात और नरम इस्पात के बने फ्लैट उत्पादों का निर्यात करते हैं । दुर्गापुर तथा भद्रावती में जब उत्पादन बढ़ जायेगा, तो मिश्रित इस्पातों के आयात में काफी कमी आ जायेगी । जहां तक नरम इस्पात और फ्लैट उत्पादों का सम्बन्ध है रूरकेला तथा वकारों की विस्तृत क्षमता में जब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, तो इनके आयात में काफी कमी हो जायेगी ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भिलाई कारखाने के विस्तार से तेल के ढोलों तथा तारकोल के ढोलों के लिये किया जाने वाला इस्पात का आयात बन्द हो जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : भिलाई में वे उत्पाद नहीं बनाये जाते ।

Shri Shinkre : I want to know from the hon. Member the percentage of steel out of tho steel produce in Bhilai Steel Plant which is fit for sale and which is free from any defect and the percentage of defective steel out of that ?

श्री प्र० चं० सेठी : बिलेटों की प्रतिशतता साधारणतया 7 से 8 प्रतिशत होती है । परन्तु पटरियों के बारे में जिनका कि हम निर्यात करते हैं यह प्रतिशतता कुछ अधिक है और 11 से 13 प्रतिशत है तथा इसका कारण यह है कि विदेशों में उनकी अधिक कड़ी जांच की जाती है । हम इस बारे में और अधिक ध्यान दे रहे हैं कि विदेशी मण्डियों में उन्हें अस्वीकार न किया जाये । तथापि सुधार की गुंजाइश है और हम उसका प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : During this year steel worth Rs. 11 crores has been exported. I want to know whether the steel was exported on Indian market rate or whether that was exported on cheaper rate and if exported on cheaper rate whether the loss was made good by way of grants or whether it was borne by Mills ?

Shri P.C. Sethi : There is a difference between the international price and the market price in the country and the difference is made good by way of subsidy.

An hon. Member : How much difference in there ?

Shri P.C Sethi : It will not be proper to tell the difference. But an amount of nearly Rs. 1.50 crores was paid last year by way of subsidy.

श्री रा० बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हाल में पटरियों की एक पूरी खेप को जिसे एक अन्य देश में भेजा गया था उस देश द्वारा वापस कर दिया गया है, क्योंकि उनके कार्बन तत्व में त्रुटि थी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हाल में हमने कई देशों को निर्यात किया है तथा किसी ने कुछ भी वापस नहीं भेजा है। यह एक पुराना मामला है। दो वर्ष पहले पटरियों की एक खेप एक अफ्रीकी देश को भेजी गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether it is a fact that the rails which were exported to Ethopia were not according to specifications and hence they were rejected and if so the quantity of such goods which was so rejected and the names cf those countries by which that was rejected and the steps taken to ensure that goods are exported according to specifications only ?

Shri P.C. Sehti : I have just stated that the rails exported to East African countries a few years ago, were rejected. Thereafter our engineers went there and they fully acquainted themselves about the specifications required in those countries and since then no rails have been rejected.

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या यह सच है कि एक रूसी विशेषज्ञ दल ने, जिसने भारत की यात्रा की थी, भिलाई इस्पात कारखाने की निर्यात की सम्भावयताओं को बढ़ाने के लिये कुछ सिफारिशें की है और यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उन सिफारिशों को सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : रूसियों के दौरा करने वाले दल के साथ काफी विचार-विमर्श किया गया था। विचार-विमर्श अभी उस स्तर पर है कि उसका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। समझौते पर एक अथवा दो दिन में उद्योग मन्त्री द्वारा हस्ताक्षर किया जायेंगे तथा उसमें सब विस्तृत ब्यौरा होगा।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि अस्वीकार किये जाने वाले माल की प्रतिशतता में वृद्धि होना हमारी तथा हमारे निरीक्षक कर्मचारियों की, जिन्हें प्रबन्धकों से स्वतन्त्र समझा जाता है, की अकुशलता का द्योतक है तथा इस बात को देखते हुए भी कि पहले ही कुछ ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो इस्पात की शक्ति का परीक्षण करेंगी, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस मामले की इतने लम्बे समय तक अवहेलना क्यों की है तथा इस्पात की किस्म को सुधारने में वह इतने समय बाद अब कुछ कार्यवाही कर रही है। क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन आरम्भ करते समय वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी किस्म की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जायेगी और इसकी जांच मशीनों द्वारा की भी जायेगी। यदि अस्वीकार किये जाने वाले माल की प्रतिशतता उत्पादन आरम्भ करने के इतने वर्षों बाद तक भी बढ़ती रहे तो यह कर्मचारियों की घोर अकुशलता का द्योतक है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही यह मान लिया है कि जहां तक माल के अस्वीकार करने का सम्बन्ध है इस बारे में सुधार की गुंजाइश है।

श्री रंगा : सुधार की गुंजाइश से आपका क्या अर्थ है ? पहले ही इतनी अधिक मात्रा में माल अस्वीकार नहीं होना चाहिए था।

श्री प्र० चं० सेठी : जब कोई विशिष्ठ उत्पादन आरम्भ किया जाता है जो अस्वीकार किये जाने वाले माल की प्रतिशतता अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर दुर्गापुर में बनाये जाने वाले रेल के पहियों की अस्वीकार किये जाने वाली प्रतिशतता आरम्भ में 40 प्रतिशत थी, परन्तु अब वह घट कर 18 प्रतिशत रह गई है। इससे यह स्पष्ट है कि किस्म में सुधार करने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है।

New Railway Lines

+

***788. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the particulars of the Railway lines being laid at present under the various Railway Administrations in the country;

(b) the extent of work done on the new Railway lines being laid and the dates by which the work on each of them is likely to be completed;

(c) whether it is a fact that the progress of work is very slow at some places; and

(d) if so, the reasons there for and the steps being taken for the expeditious completion of the work ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष): (क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2734/68]** ।

Shri R. S. Vidyarthi : The hon, Minister in his statement, which is placed on the Table of the House, has stated that new lines are being constructed in the Central and Northern Railways, but where the details of target have been asked for, the answer is 'either' not get fixed or it is shown as provisionally fixed. I want to know whether you do not speculate about the time for completion of work while planning new lines ?

Secondly, I want to know whether you have received any programme from the Defence Ministry about constructing new lines on Rajasthan and Punjab borders; and if so; what action has been taken in that regard ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : ये दो रेलवे लाइनें हैं सिंगरोली-कटनी रेल सम्बन्ध तथा हिन्दुमलकोट श्रीगंगानगर लाइन। पहली लाइन का 75% कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य थोड़े समय में पूरा हो जायेगा क्योंकि वहां अपेक्षित यातायात की व्यवस्था नहीं हुई हैं अतः कार्यक्रम निश्चय करने के लिये नयी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जहां तक हिन्दुमलकोट श्रीगंगानगर क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां कार्य चालू हो गया है। इस सम्बन्ध में हमारे और राज्य सरकार के मध्य कुछ मामलों को लेकर कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। वह अब हल हो गई है। अब रेलवे ही सारे कार्य को करेगा और अब यह आशा है कि यह कार्य निर्धारित समय से कुछ पहले ही पूरा हो जायेगा परन्तु यह सब कुछ अस्थाई रूप से ही तय हुआ है।

श्री रंगा : क्या यह एक सुरक्षा-परियोजना नहीं है ?

Shri R.S. Vidyarthi : The Defence Ministry has received some proposals regarding construction of new lines on Rajasthan and Punjab borders from security point of view. If so, what action has been taken in this regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतिरक्षा मन्त्रालय इन मामलों पर विस्तार से विचार करता है और हम सदैव उन्हीं के परामर्श और निर्देशों पर चलते हैं।

Shrimati Lakshmi Kanthamma : A survey was conducted for Bhahachalan Bailadila. I want to know the progress made so far and the reasons for such a delay.

श्री चे० मु० पुनाचा : इस लाइन का सर्वे किया गया था तथा उसके परिणामों से पता लगा कि वहां धन खर्च करने से लाभ न होगा। इसमें और आगे अध्ययन किया जा रहा है क्योंकि बेलाडीला से लोह-धातुक विशाखापतनम् की ओर ले जाया जायेगा जिसको 60 लाख टन प्रतिवर्ष के निर्यात योग्य बनाने हेतु विकसित किया जा रहा है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं के बारे में सोचा जायेगा। अतः इस समय इसी नई लाइन के बारे में विचार किया जा रहा है और हमने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

Shri Gunanand Thakur : Firstly they give assurances, but later on, from the hon. Minister's statement if becomes doubtful whether they will be fulfilled or not. We are discussing new lines here, but the old lines, on the other hand, need reclamation only They are inangurated also, you can confirm it from Dr. Ram Subhag Singh who is sitting here. In view of this I want to know from the hon Minister the date on which the Supol-Pratapganj line will be reclaimed, It is our border area. North Bihar is a backward area in all respects and its part near the Nepal border is still more backward. There is Kosi Project's Beerganj Railway line on the Nepal border. This Railway line was earlier approved under Kosi Project also. Bihar has also written about it. I want to know the time by which the Govt. are going to complete this Railway line ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह बात बिहार क्षेत्र में तोड़ी गई कुछ रेलवे लाइनों को पुनः चालू करने से सम्बन्धित है। इस लाइन का कुछ भाग तो पुर्नस्थापित कर दिया गया है तथा दूसरे भाग पर विचार किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मन्त्री महोदय ने अपने विवरण में कहा है कि कटक-पारदीप रेल सम्बन्ध को दिसम्बर, 1967 में स्वीकृति दी गई थी। अब दिसम्बर, 1968 है। प्राय एक वर्ष बीत गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस लाइन को निर्मित करने के लिये कुल कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा क्या राज्य सरकार ने एक वर्ष के दौरान रेलवे

अधिकारियों को निर्माण आरम्भ करने हेतु कम से कम एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है क्योंकि उड़ीसा के सामने सार्वजनिक बेरोजगारी तथा गैर सरकारी मुनाफा बढ़ाने के दो उद्देश्य हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकार को कहें कि वे निर्माण हेतु तुरन्त भूमि प्रदान करें।

श्री परिमल घोष : इस लाइन के निर्माण को वर्ष 1967 में स्वीकृति मिली थी। वास्तव में, भूमि अधिग्रहण करने का मामला राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने अब तक केवल भूमि का एक छोटा सा भाग ही दिया है और उसके लिये हमने पहले से ही सभी प्रबन्ध कर रखे हैं। शेष क्षेत्र के लिये अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। रेलवे को अभी तक कोई भूमि नहीं दी गई है। जब तक रेलवे को भूमि नहीं मिलती निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप क्या आशा रखते हैं ?

श्री परिमल घोष : यह तो राज्य सरकार पर निर्भर है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Thousands of pilgrims come to Kanya Kumari for "Darshan" every year. Since the inauguration of Vivekanand Memorial on the rock, the number of pilgrims will continue to increase. But there is no railway line between Tinneveilli to Kanya Kumari. Do the Govt. propose to construct that on priority basis ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक तिन्नेवैली-कन्याकुमारी तथा नगरकोयल-त्रिवेन्द्रम् रेलवे लाइनों का सम्बन्ध है, हम कुछ सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा सर्वे रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

श्री तिरुमल राव : मेरे विचार से मैंने मन्त्री महोदय को यह कहते सुना है कि बेलाडील-भद्चलम का यातायात रुक गया है। क्या मन्त्री महोदय को विदित है कि बेलाडीला तथा विशाखापतनम् रेलवे लाइन 60 लाख टन कोयले को ढोने के लिये अपर्याप्त है ? क्या उन्हें धातु और खान निगम के इस प्रस्ताव के बारे में मालूम है कि विशाखापतनम् के दक्षिण में अर्थात् काकीनदा में एक रेलवे लाइन का विकास किया जा सकता है तथा उसकी जांच करनी होगी ताकि वह कोयल बेलाडीला-भद्रचलम में काकीनदी तक ढोया जा सके। क्या उनका भी यही विचार है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह तो दूसरे अध्ययन पर निर्भर करता है। भारी मात्रा में मनगनीज धातुक के निर्यात हेतु पतन बनाने के बारे में यह अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है कि यह वोराहैस्चुरी में बने अथवा काकीनदा में।

श्री के० रमानी : मद्रास और मैसूर राज्यों के मध्य सत्यमंगलम् तथा चमारजानगर के बीच एक नई लाइन निर्मित करने के लिये बहुत पहले एक सर्वे किया गया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार उस योजना पर विचार कर रही है तथा क्या उसका विचार इस क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बिछाने का है क्योंकि वहां इन दो राज्यों के मध्य कोई रेलवे लाइन नहीं है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : एक सर्वेक्षण किया गया था पर उसके अध्ययन से पता चला कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी । हमने दक्षिण रेलवे को सर्वे सम्बन्धी अध्ययन पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

ग्वालपाड़ा जिला (आसाम) के शरणार्थी

अ.सू.प. 13. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायता तथा पुनर्वास आयुक्त, आसाम सरकार 6 दिसम्बर, 1968 को ग्वालपाड़ा जिला (आसाम) के मटिया शरणार्थी शिविर में गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इन शरणार्थियों के मकानों में उसी दिन आग लगी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई हैं ; और

(घ) इन शरणार्थियों का स्थायी तौर पर पुनर्वास रने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : आसाम सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, आसाम सरकार के पुनर्वास आयुक्त 6.12.1968 को मटिया शरणार्थी शिविर में गये थे । राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मटिया शिविर समूह की झोपड़ियों में से एक को कुछ शरारती लोगों ने, जोकि सम्भवतः प्रव्रजक थे, आग लगा दी थी । स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ, आसाम सरकार के सहायता तथा पुनर्वास आयुक्त ने शीघ्र ही आग बुझा दी थी ।

(ग) राज्य सरकार ने यह मत प्रकट किया है कि जांच की कोई आवश्कता नहीं है ।

(घ) आसाम सरकार 12,000 प्रव्रजक परिवारों से अधिक के पुनर्वास के लिये भूमि प्राप्त करने में असमर्थ है । इसको ध्यान मे रखते हुये, लग-भग 4,700 परिवारों को, जो इस समय आसाम के सहायक शिविरों में रह रहे हैं और जो उपरोक्त निदिष्ट 12000 परिवारों से अधिक हैं, राज्य से बाहर बसाने के लिये उपाय प्रारंभ कर दिये गये हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैंने मंत्री महोदय की बात बड़ी शान्ति से सुनी है । यह श्री श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा, की ओर से प्राप्त एक तार है जिस में लिखा है :–

"पुनर्वास आयुक्त ने स्वंय दिधाबारी मतिया शरणार्थी कैम्प की परिचारिकाओं का कल्पनातीत अपमान किया तथा 6 दिसम्बर को शरणार्थियों के घरों में आग लगादी । उनके इस प्रजातंत्र विरोधी कृत्य का विरोध किया गया । भड़काने ी कार्यवाहियां जारी हैं । इन कैम्पों में सेना गश्त लगा रही है । शीघ्र ही कार्यवाही की आवश्कता है ।"

इस के बाद, मैं 8 दिसम्बर के **असम ट्रिब्यून** से उद्धृत करना चाहूंगा..........

अध्यक्ष महोदय : आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं केवल सम्बन्धित अंश ही पढ़ूंगा । यहां कहा गया है ...."सरकारी सूत्रों ने यह स्वीकार किया है कि ज्यूं ही वहां पुलिस आई वहां बड़ी अव्यवस्था फैल गई तथा बीसियों शरणार्थी जंगलों में भाग गये ।"

6 दिसम्बर को पुनर्वास आयुक्त श्री आई. एस. इन्गटी केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के साथ वहां गये–न जाने वो किस कि और से वहां गये—उन्होंने उन घरों में आग लगाई तथा उन लोगों को दण्डकारण्य ले जाने के लिये विशेष रेलगाड़ी का प्रबन्ध किया गया । उस कैम्प में 20 000 शरणार्थी पहले से ही मौजूद थे । "दण्डकारण्य" शब्द ही उनकी हड्डियां में कम्पन पैदा कर देता है ...(व्यवधान) । इस समय कुछ शरणार्थियों ने जंगलों में जाकर शरण ली है । उनके घरों को तो आग लगा दी गई है । मंत्री महोदय ने केवल यह बात आंशिक रुप से स्वीकार की है कि कुछ उपद्रवकारियों ने एक मकान को आग लगा दी थी......

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये ।

श्री समर गुह : यह तो बहुत गम्भीर प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कलिता अपनी बात स्पष्ट करने में समर्थ हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : उनके घर जला दिये गये हैं और वे लोग जंगलों में भाग गये हैं । मैं जानना चाहूंगा, कि क्या उन लोगों को जंगलों से वापस लाया जायेगा तथा जब तक वे लोग स्वय ही वहां जाने की इच्छा प्रकट न करें तब तक उन्हें उठाकर दण्डकारण्य नहीं ले जाया जायेगा । यह मेरा पहला प्रश्न है ।

श्री दा०रा० चव्हाण : वस्तुस्थिति तो यह है कि जब समाचार पत्रों में इन घटनाओं की रिपोर्ट आई तो हमने असम सरकार से सम्पर्क किया और हमें असम सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है । मैं वह जानकारी पढ़कर सुनाता हूं । इसमें लिखा हैं "असम सरकार के सहायता और पुनर्वास विभाग ने विशेष रेलगाड़ियों, परिवहन तथा अन्य चीजों का प्रबन्ध करने के पश्चात् प्रवासियों (जिनमें अधिकतम हाजोन्ग थे) से चलने को कहा परन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया । 6 दिसम्बर, 1968 के अपराह्न के 3–30 बजे तक सहायता और पुनर्वास विभाग के उप–सचिव तथा मजिस्ट्रेट किसी को भी चलने को राजी न कर सके । जब सहायता और पुनर्वास आयुक्त श्री इंगटी वहां पहुंचे और शरणार्थियों को समझाने लगे तथा वास्तव में कुछ परिवारों को जाने के लिये राजी भी किया एवम् उन्हें अपने साथ बस के पास भी लाये तो कुछ शरणार्थियों ने आवेश में आकर इस अधिकारी पर आक्रमण कर दिया । उन्होंने इस अधिकारी को कुछ घूंसे भी मारे तथा यदि पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो वे उन्हें और पीटते । जो परिवार दण्डकारण्य के पुनर्वास स्थलों पर जाने को उद्यत हो रहे थे उन्हें भी दूसरे शरणार्थियों ने रोका और पुलिस को उन में से कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा । किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी शरणार्थी को सताने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।"

और आगे पूछ-ताछ करने पर यह मालूम हुआ है कि कोई मकान नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ा जला दिया गया था। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह कैम्प झोंपड़ो का बना है तथा एक झोपड़ा जिसमें कि एक शरणार्थी रह रहा था। उसमें आग लगी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस झोंपड़े में किन्ही उपद्रवकारियों ने आग लगाई थी जोकि सम्भवत: शरणार्थी ही थे, हटिया शिविरों में कुल मिलाकर 3899 परिवार हैं। असम सरकार ने 12,000 परिवारों को बसाने की जिम्मेवारी ले ली है और उन्होंने कहा हैं कि अब इस बारे में अन्तिम सीमा पहुंच गई है तथा अब और परिवारों को बसाने की गुन्जाईश नहीं है। अतः उन्होंने कहा है कि इन परिवारों को असम के बाहर ले जाया जाये। हमने दण्डकारण्य में उन्हें बसाने की जिम्मेवारी ली है। शरणार्थियों के ही कुछ प्रतिनिधियों तथा नेताओं को दण्डकारण्य ले जाया गया था तथा उन्हें पुनर्वास के स्थल तथा अन्य चीजें दिखाई गई थी।

इन लोगों के मान जाने के बाद ही इन लोगों को दूसरे स्थान पर भेजे जाने की व्यवस्था की गई थी और जब इन 300 परिवारों को भेजा जाता तो यह गड़बड़ आरंभ हो गई। इन लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि वे आसाम से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जहां तक सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का प्रयोग करने के बारे कहा गया है, उसका कतई प्रयोग नहीं किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शरणार्थियों में से एक शरारती व्यक्ति ने एक झोपड़ी जला दी थी।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दण्डकारण्य जाने की इच्छा व्यक्ति की थी किन्तु उन्हें वहां से रोका गया था।

श्री दा० रा० चव्हाण: दण्यकारण्य के कारण इन लोगों के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ था। वास्तव में माननीय सदस्य श्री नि० च० चटर्जी, माननीय सदस्या श्रीमति सुचेता कृपलानी और उड़ीसा के उपमुख्य मंत्री श्री पवित्र मोहन प्रधान तथा आसाम के पुनर्वास मंत्री दण्डकारण्य गये थे और उन्होंने वहाँ अनेक पुनर्वास स्थल देखे थे। उन्होंने दण्डकारण्य में हुए कार्य की प्रशंसा की, यह राक्षस भूमि नहीं है, जैसा कि इसे कहा जा रहा है।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या उन्होंने दण्डकारण्य जाने की इच्छा व्यक्त की थी तथा क्या उन्हें वहां जाने से रोका गया था अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे बता चुके हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : शरणार्थी लोग सरकार को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उन्हें किसी स्थान विशेष में ही बसाया जाये। इस प्रकार कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता है।

श्री धीरेश्वर कलिता : चूंकि आसाम सरकार ने बताया है कि वह वहां पर 12,000 शरणार्थी परिवारों से अधिक नहीं बसा सकते, अतः केन्द्रीय सरकार उन्हें नेफा में, जो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है और जहां हजारों एकड़ भूमि परती पड़ी हुई है तथा सरकार द्वारा वह पुनर्वास के लिये विकास किये जाने पर वहां जाने के लिये तैयार है, क्यों नहीं बसाती है ?

एक माननीय सदस्य : आसाम में क्यों नही ?

श्री धीरेश्वर कलिता : असम सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है । इससे आप समझ सकते हैं कि पुनर्वास योजनाओं के बारे में क्या हो रहा है । क्या सरकार का विचार भारत सरकार तथा असम सरकार द्वारा असम शरणार्थियों को बसाने के बारे में कार्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई पुनरीक्षण समित स्थापित करने का है ?

श्री वा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं । पहला प्रश्न यह है कि शरणार्थियों को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में क्यों नहीं बसाया जाता है । दूसरा यह है कि पुनर्वास कार्यक्रम के कार्य की समीक्षा करने के लिए कोई समिति क्यों नियुक्त नहीं की जाती है ।

जहां तक नेफा में शरणार्थियों को बसाने का प्रश्न है, वहां पर 3,000 परिवार बसाने का हमारा लक्ष्य है और इस समय 2455 ऐसे परिवार नेफा में हैं । इसलिए हम उन्हें वहां ले जा रहे हैं । किन्तु उन्हें बसाने के बारे में यह कठिनाई है कि वे 'हाजोंग' कबीले के परिवार हैं और वे पुनर्वास के लिए बाहर नेफा नहीं जाना चाहते हैं । हमने वर्ष 1966 में कुछ हाजोंग परिवार नेफा में बसाये थे किन्तु उनमें से कुछ परिवार उस क्षेत्र को छोड़ कर चले गये हैं । अन्य भी अनेक कठिनाइयां हैं । जब तक ये लोग सरकार के साथ सहयोग न करें तब तक सरकार क्या कर सकती है ? हम उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार किसी क्षेत्र में कैसे बसा सकते हैं ?

समीक्षा समिति नियुक्त करने में दो समस्यायें हैं । पहली समस्या उन लोगों के पुनर्वास की है जो देश के विभाजन के समय भारत आये थे और उन लोगों के पुनर्वास की है जो लगभग 1 जनवरी, 1964 के बाद भारत आ रहे हैं । जहां तक भारत में पहले आने वाले लोगों को फिर से बसाने का प्रश्न है, वर्ष 1961 में इस बात का पता लगाने के लिए इस समस्या का पुनरीक्षण किया गया था क्या यह समस्या अब भी शेष है । यह पुनरीक्षण आसाम सरकार के परामर्श से किया गया था । पुनरीक्षण के ब द यह बात सामने आई कि पहले भारत में आने वाले प्रायः सब लोग बसाये जा चुके हैं ।

बाद में आने वाले लोगों के बारे में मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि लगभग 12,000 परिवार वहां पर बसाये जायेंगे । इस समय लगभग 10,700 परिवार वहां पर हैं और लगभग 1265 परिवार चालू वित्तीय वर्ष में वहां ले जाये जायेंगे ।

इन परिवारों को सहायता देने तथा बसाने पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं । जहां तक शिविर के अन्य परिवारों को बसाने का प्रश्न है, असम सरकार ने कहा है कि उनके पास और शरणार्थी परिवारों को बसाने के लिए भूमि देने की गुंजायश नहीं है । इन सब लोगों को दण्डकारण्य ले जाया जा रहा है । दण्डकारण्य के बारे में बता चुका हूं कि वहां पर सिंचाई आदि की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री बसुमतारी : यह प्रश्न काफी समय से निर्णय के लिए पड़ा है । हाजोंग कबीला, जिसका मैं भी हूं एक सामान्य कबीला है । इस कबीले के लोग जानते हैं कि वहां पर भूमि

नहीं मिलती हैं। उनमें कुछ को भूमि आदि का चयन करने के लिये दण्डकारण्य आदि क्षेत्रों में ले जाया गया और वे दण्डकारण्य जाने के लिये सहमत हो गये हैं। किन्तु वहां पर साम्यवादी लोग है जो उनसे कह रहे हैं कि वे उस क्षेत्र में न आयें। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं ?

श्री वा० रा० चव्हाण : उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय सदैव किसी न किसी राजनीतिक को दोषी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे हमारे साथी हैं और मैं उनके बारे में जानता हूं। मुझे कम से कम एक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री हेम बरुआ को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। वह असम के है और उन्हें इन लोगों के बारे में अच्छी जानकारी है।

श्री समर गुह : मैं इन लोगों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं मैं उन परिस्थितियों से अवगत हूं जिनमें वे रह रहे हैं। इसलिये मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री समर गुह : मैं पूर्वी पाकिस्तान में पांच वर्ष तक रहा हूं। पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिये मैं कार्य करता आ रहा हूं और इस सम्बन्ध में लगभग पन्द्रह बार जेल जा चुका हूं। इसलिए मैं इनकी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं। हाजोंग कबीले के शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान में मीमेंसिघ जिले के गारो पहाड़ियों के रहने वाले थे। पाकिस्तान की सरकार की पुलिस के अनुसार 1964 के नर संहार के बाद ये लोग वहां से निकाल दिये गये थे। भारतीय नेताओं ने और सरकार ने इनके साथ धोखा किया है। अब ये लोग कहीं के नहीं रहे। इनके लिये इस संसार में रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। उन्हें भारतवासी नहीं समझा जाता है। यही सारी समस्या है।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ हिंसा का व्यवहार किया है। गारो पहाड़ी क्षेत्र में जाने वाले व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिये कि वह हाजोंग कबीले के लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करे क्योंकि वे परम्परा से लड़ाकू होते हैं। क्या सरकार संसद–सदस्यों का एक दल इस बात की जांच करने गारो पहाड़ी क्षेत्र मे भेजेगी ताकि यह पता लगाया जाय कि हाजोंग शरणार्थियों के साथ हिंसात्मक कार्यवाही की गई थी, और क्या क्या नृशंस अत्याचार किये गये थे ? क्या यह दल इस बात की जांच करेगा कि असम में सचमुच और अधिक शरणार्थियों के पुनर्वास की गुंजायश नहीं है ? गारो पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को असम में इन क्षेत्र के दूसरे भाग में भी बसाया जा सकता है। क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिये संसद--सदस्यों का एक दल वहां भेजेगी जो इस सम्बन्ध में जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ?

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न माननीय सदस्य श्री कलिता द्वारा पूछा गया था और मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : भूमि राज्य की है न कि भारत सरकार की। यदि राज्य सरकार भूमि दे तो हम वहां शरणार्थियों को बसा देंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि उसके पास भूमि नहीं है। दूसरा विकल्प यह है कि उन्हें यथासम्भव उपलब्ध भूमि में बसाया जाये। दण्डकारण्य का अच्छी तरह विकास किया गया है। उससे सभी लोग सन्तुष्ट हैं। माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने उस क्षेत्र को देखा है और उनका कहना है कि उसका विकास अच्छी तरह किया गया है।

श्री समर गुह : उन्हें आसाम के गारो पहाड़ी क्षेत्र में बसाने के बारे में क्या उत्तर है। क्या इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए संसद सदस्यों का दल वहां भेजा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Value of surplus Stocks Lying with Hindustan Steel Limited

*782. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the value of the surplus stocks lying with the Hindustan Steel Limited; and

(b) the time since when these have been lying and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) The value of rolled steel stock not covered by orders as on 1. 12. 1968 in the Bhilai, Durgapur and Rourkela Steel Plants of Hindustan Steel Limited was about Rs. 37·39 million.

(b) Surplus Stocks of saleable steel arise during the course of production either as off-specification materials or as residual quantities in a programme of rolling which has to be designed for a minimum economic quantity. The Surplus Stocks, therefore, consist of the rolling done at different times and it is not possible to work out the period for which they have been lying.

अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसियेशन

*784 **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसियेशन से विभागीय पदोन्नतियों में उनकी प्रतिशतता बढ़ाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जो मामले उठाये गये हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स गैमन इण्डियन लिमिटेड

*785. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गैमन इन्डिया लिमिटेड के अंशधारियों द्वारा कम्पनी को पब्लिक लिमिटेड बनाते समय कम प्रीमियम दिये जाने के क्या कारण है जबकि कम्पनी भारतीय अंशधारियों प्रदत्त मूल्य के शेयर पर पहले 7 रुपये से 10 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम ले चुकी थी;

(ख) क्या कम्पनी वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर वार्षिक महासभा की बैठक बुलाने में असफल रही और क्या उनके विभाग द्वारा बैठक बुलाने का समय बढ़ाये जाने की अनुमति दे दी गई थी और यदि हां, तो ऐसा कितने वर्ष से हो रहा है;

(ग) क्या पब्लिक लिमिटेड बनाने के बाद से कम्पनी की स्थिति बिगड़ रही है और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनी के कार्य संचालन की जांच करने तथा अल्प-संख्यक अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरण–पत्र प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 2735/68**]

बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने और खड़े होने की क्षमता

*789. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बों में कितनी सवारियों के बैठने और कितनी सवारियों के खड़े होने की क्षमता होती है;

(ख) क्या रेलवे ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा उसे कोई रिपोर्ट मिली है कि इन डिब्बों में भीड़-भाड़ रहती है;

(ग) यदि हां, तो कितनी भीड़ रहती है; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलगाड़ियों की संख्या कम है सरकार सीजन टिकट वाले यात्रियों द्वारा पायदानों पर खड़े होकर यात्रा करने को वैध बनायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा): (क) बम्बई में उपनगरी गाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने और खड़े होने की जगहों की क्षमता इस्तेमाल किये जा रहे विभिन्न प्रकार के रेक के अनुसार भिन्न-भिन्न है। मुख्य लाइन खंडों पर आमतौर पर 9 डिब्बों के रेक चलते हैं, जिनमें बैठने की जगहों की क्षमता 668 से 756 तक होती हैं। इसके अलावा उनमें 668 से 765 तक यात्रियों के खड़े होने के लिये जगहों की व्यवस्था है।

(ख) और (ग): जी हां। योजना आयोग के अधीन महानगर परिवहन दल (योजना परियोजनाओं की समिति) और मध्य रेलवे प्रशासन दोनों ने अध्ययन किये हैं। महानगर परिवहन दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है। मध्य रेलवे द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट शीघ्र मिलने की सम्भावना है।

महानगर परिवहन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह की गाड़ियों में 'क्रश लोड 3000 से 3145 तक रहता है।

(घ) जी नहीं, क्योंकि यात्रियों की संरक्षा की दृष्टि से यह एक अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा।

Deposits of Copper in Bihar and Andhra Pradesh

*790. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a recent geological survey has indicated large deposits of copper in Bihar;

(b) whether it is a fact that large deposits of copper have also been found in Andhra Pradesh;

(c) if so, the quantity of copper for which exploration has been carried out so far;

(d) the quantity of copper required by India as per estimates of the Fourth Five Year Plan, and

(e) whether Government are taking active steps to produce finished copper ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sathi) : (a) Sizeable copper deposits have been located in the Rakha mines–Roam Sidheswar block of the Singhbhum Copper belt; promising occurrences in Ramachandra Pahar, Turamdih, Nandup areas in Singhbhum are under investigation in detail.

(b) Copper deposits have been located by the Geological Survey of India in the Agnigundala area, Guntur district and Mailaram area in Khammam district, Andhra Pradesh.

(c) Exploration carried so far by the Geological Survey of India has indicated an estimated 1,325,000 tonnes of copper metal in Bihar.

In Andhra Pradesh, a reserve of 98 000 tonnes of copper has been estimated in various deposits.

(d) It is estimated that the requirement of copper would be of the order of 124,000 tonnes by the end of the Fourth Five Year Plan (1973--74).

(e) The Hindustan Copper Corporation are at present setting up an integrated complex in Khetri in Rajasthan for the production of 31,000 tonnes of copper per annum

based on the deposits in the Khetri--Kolihan area. The Hindusthan Copper Corporation Limited are also taking steps for the exploitation of copper from the Rakha Mines--Roam Sidheswar block in Bihar and Agnigundala area in Andhra Pradesh.

Broad--Gauge Line from Delhi--Shahadara to Saharanpur

***791. Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that passengers travelling on the Shahadara Saharanpur Light Railway have to face great inconvenience and the Journey on this Railway takes much time;

(b) if so, whether Government propose to lay broad-gauge line and to run fast trains on this route;

(c) if so, the time by which a decision would be taken to this effect; and

(d) if not, the reasons therefor and the other steps proposed to be taken for giving relief and facilities to the passengers travelling on this Railway line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Some complaints of this nature have been received about this privately operated line.

(b) and (c): Reconnaissance Engineering-cum-Traffic Survey, to judge the feasibility to provide a B. G. line between Shahadara-Saharanpur, have been sanctioned recently and a decision regarding the B. G. line will be taken after the Surveys are completed and the Survey Reports are examined by the Railway Board.

(d) Does not arise in view of the reply to (b)and(c) above.

अलमोनियम उद्योग में संकट

***792. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलमोनियम की वस्तुओं की मांग कम हो जाने के कारण अलमोनियम की वस्तुओं का स्टाक जमा हो जाने के कारण अलमोनियम उद्योग के सामने संकट उपस्थित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अलमोनियम का बड़ी भारी मात्रा में आयात किस कारण किया गया था; और

(ग) इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार तथा उद्योग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जून, जूलाई, 1968 के दौरान एल्यूमिनियम उत्पादकों से घरेलू मांग में गिरावट और केबल तथा कन्डक्टर उद्योग में मन्दी के परिणामस्वरूप उनके पास स्टाकों के इकट्ठा हो जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) पहले के वर्षों के दौरान इ. सी. ग्रेड के एल्यूमिनियम का स्वदेशी उत्पादन ए सी. एस. आर /ए. ए. सी उद्योग की मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं था और इसलिये वास्तविक उपभोक्ताओं को उदार आयात नीति के अधीन ई. सी. ग्रेड के आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) स्वदेशी उत्पादकों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति का तत्काल पुनरावलोकन किया गया था और धातु का आयात अब "वास्तविक उपभोक्ता प्रतिबाधित" वर्ग के अधीन कर दिया गया है। भारत से एल्यूमिनियम के निर्यात की भी अनुमति दी जा रही है। देश में एल्यूमिनियम के वास्तविक उत्पादन, उत्पादकों के पास स्टाक आदि की स्थिति को सावधानता से देखा जा रहा है और इस समय उद्योग के पास धातु के बहुत अधिक स्टाक नहीं है।

Manufacture of Tractors

***793 Shri Maharaj Singh Bharti :**
Shrimati Nirlep Kaur :

Will the Minister of **Industrial Development and Company** Affairs be pleased to state :

(a) the number of applications received from the tractor manufacturers so far after delicensing of tractor manufacturing, the number of applications on which final decisions have been taken and the number of applications pending;

(b) whether it is a fact that Government take years in taking a decision and this is hindering the production of tractors; and

(c) whether it is also a fact that the annual demand of tractors has increased to one lakh but the target of production is only twenty thousand; and if so, how the increased demand would be met ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) After delicensing of the tractor industry, six proposals have been received for the establishment of new undertakings for the manufacture of tractors with foreign collaboration. One of these proposals has been approved in principles and the firm concerned has been asked to submit the final foreign collaboration agreement, the revised phased manufacturing programme and the application for the import of capital goods. Two other firms in whose case payment of either lumpsum or recurring royalty to the proposed foreign collaborators is not involved, have been asked to submit their applications for the import of capital goods and the revised phased manufacturing programme for Government consideration. These are awaited. One of the applicants has been asked to get the tractor proposed to be taken up for manufacture, tested at the Tractor Testing Station, Budni (MP) before a final view is taken on their proposal. The remaining two schemes, which have been received recently, are under examination.

(b) No, Sir.

(c) The Department of Agriculture has assessed the demand for tractors by 1973--74 at 90,000 Nos. per annum. Against this, it is expected that the indigenous production would be about 50,000 Nos. Every effort is being made to step up the production of tractors by the existing units as well as by the creation of additional capacity in the field. At present, the shortfall between the demand and the availability of indigenous tractors is being met through import of built-up tractors from Rupee-Payment countries.

बल्लारी होस्पट खानों में लौह अयस्क का उत्पादन

***794. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी होस्पेट खानों के निकट बिजली और पानी के बहुतायत में मिलने के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) क्या इन खानों में बढ़िया किस्म के लौह अयस्क के निर्यात करने तथा इस लौह अयस्क से जिसका अब निर्यात किया जाना है, बनाये गये इस्पात का निर्यात करने के तुलनात्मक आर्थिक लाभ का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या इन खानों के निकट इस्पात का कारखाना आरम्भ करने अथवा लौह अयस्क का निर्यात करने की बजाय इसे वर्तमान इस्पात कारखानों में भेजने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (घ) बेल्लारी–होस्पेट लौह–अयस्क निक्षेप होस्पेट के निकट तुंगभद्रा बांध के समीप स्थित हैं । इस समय पूर्व दृष्टि–योग्य खनन उद्देश्यों के लिये पर्याप्त बिजली उपलब्ध है । क्षेत्र में पानी का विश्वसनीय स्रोत भी तुंगभद्रा बांध और इसकी नहरों का जाल है, जो कि क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होने के कारण निकटवर्ती कृषियोग्य भूमि की सिंचाई के मुख्य उद्देश्य से बनाई गई है । लौह–अयस्क के बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पाये जाने के कारण पानी को नीचे से पम्पों के द्वारा ऊपर खींचना पड़ता है ।

(2) इन खानों से लौह–अयस्क निर्यात करने और निर्यात किये जा रहे अयस्क की मात्रा से बनाए गये इस्पात के निर्यात करने के तुलनात्मक आर्थिक लाभ के सम्बन्ध में ऐसा है कि, जैसा कि 20 अगस्त, 1968, को अतारांकित प्रश्न संख्या 4497 के उत्तर में आगे ही बताया जा चुका है, लागत की असमानता और इसके अन्तर्गत आने वाले अन्य प्राचलों की दृष्टि से दोनों में तुलना करना कठिन है । लौह–अयस्क का निर्यात मूल्यवान विदेशी मुद्रा के उपार्जन की दृष्टि से किया जा रहा है, जबकि इस्पात मिल की स्थापना का औचित्य, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता, घरेलू तथा निर्यात मांग, आदि के अनुसार सिद्ध करना होता है । तथापि नये इस्पात कारखानों की स्थापना के संदर्भ में सरकार ने गोआ–होस्पेट, बैलाडिला–विशाखापत्तनम् और नैवेली सलेम प्रदेश पर सम्भाव्यता अध्ययन करवाये । नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना या उनके स्थान के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । लोहे तथा इस्पात पर स्टियरिंग दल द्वारा, जिसकी नियुक्ति सरकार को लोहे और इस्पात के लिये चौथी योजना के लिये विकास कार्यक्रम प्रतिपादित करने में सहायता देने के लिये की गई है, इस सम्बन्ध में सरकार के विचार के लिये सिफारिशें प्रस्तावित करने की सम्भावना है । नये इस्पात संयंत्र की स्थापना तथा उसके स्थापना–स्थान के सम्बन्ध में निर्णय स्टियरिंग दल की सिफारिशें मिल जाने के उपरांत ही लिया जायेगा ।

रेलवे दुर्घटनायें

*795. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात की जांच की है अथवा पता लगाया है कि हाल में दुर्घटनाओं में वृद्धि किन कारणों से हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक दुर्घटनायें रेलवे कर्मचारियों की गलतियां तथा भूल-चूक के कारण हुई हैं;

(ग) क्या सभी स्तरों पर कार्य-दक्षता पर निगरानी रखी जाती है ताकि विभिन्न कारणों से रेलवे में भर्ती करते समय गिरे हुए दक्षता स्तर को फिर से कायम रखा जा सके; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को न्यूनतम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, जो ऐसे कारणों से होती हैं जिन पर नियन्त्रण किया जा सकता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं के झुकाव पर हमेशा नजर रखी जाती है और उचित जांच-पड़ताल के बाद उनके कारणों का विनिश्चय किया जाता है और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलों पर भर्ती का स्तर नहीं गिरा है। रेल कर्मचारियों के सेवा काल में दक्ष बने रहने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं और केवल सक्षम कर्मचारी उच्चतर पदक्रमों पर जाते हैं।

(घ) सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उनके निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रकाश में उसी प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। रेल दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल से पता चला है कि रेल कर्मचारियों की चूक ही रेल दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी सबसे बड़ा कारण है इसलिए एक चतुर्मुखी संरक्षा अभियान—शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और प्राद्योगिक-चलाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाए रोकने के लिए रेल कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत की जा सके।

Refreshment Stalls at Railway Stations

*796. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to end the monopoly of certain persons who have been running refreshment stalls at the Railway Stations for the past many years;

(b) if so, the terms thereof;

(c) whether it is also a fact that the catering Committee has recommended in its reports that the new stalls which are proposed to be opened at the Railway Stations should be allotted only to the owners of the present stalls; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) : Since action was taken in 1956 to reduce the scope of work of individual catering contractors as a result of the recommendations of the Estimates Committee there is at present no monopoly holding of catering contracts. However, it is true that in some cases certain individuals or firms have been holding a catering contract at a particular station for a very long time, due to the satisfactory work rendered by them earning them renewal of contract after the expiry of each term. There is no proposal to eliminate such old standing contracts which have continued without a break due to satisfactory service rendered to the public.

(c) and (d): The Railway catering and Passenger Amenities Committee, 1967 recommended, inter-alia, that the ceiling limit for the holdings of an individual contractors should be raised to 6 units with a. veiw to ensure viability and with a view to attract competent caterers. This recommendation has been accepted by the Government and while issuing instructions to the Zonal Railways to implement this recommendation, it has been clarified that at stations where there is adequate justification to create new units of catering, the existing contractors at such stations whose services have been good and whose scope of work needs to be increased in accordance with this recommendation, may be given the additional work.

उड़ीसा में खनिजों का सर्वेक्षण

*797. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा के खनिजों वाले सभी क्षेत्रों का उपयुक्त ढग से सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विभिन्न खनिज अयस्कों के निक्षेपों सम्बन्धी नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में पुरी जिले में चिलका, बानपुर खाण्डापाड़ी, रणपुर और दसपल्ला क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा उड़ीसा में महत्वपूर्ण खनिज युक्त भूप्रदेशों के लिये प्रारम्भिक अन्वेषण किये गये हैं और उत्साहजनक स्थानों पर विस्तृत अन्वेषण प्रगति पर हैं।

(ख) राज्य के विभिन्न भागों में किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कई खनिज निक्षेपों का पता लगाया गया है।

काफी संख्या में खनिज निक्षेपों, अर्थात् एसबेस्टास, आधार-धातुएं, बांक्साइट, क्रोमाइट सोना, ग्रेफाइट, लौह-अयस्क, चूना-पत्थर, मैंगनीज-अयस्क और निकल-अयस्क का सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) जी, हां। पुरी जिले में चिलका, बानपुर, खाण्डापाड़ा, रणपुर, दसपल्ला क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।

(घ) उपरोक्त क्षेत्रों में किसी बड़े खनिज निक्षेपों का पता नहीं लगा है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

***798. श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को इसकी स्थापना से अब तक अनियमितताओं, चोरी, सामान में कमी हो जाने और आग लगने के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों पर विचार कर लिया गया है तथा यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस निगम के कार्य संचालन के बारे में मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या इसके कार्य संचालन में कमियों का पता लगाने तथा कार्य संचालन में सुधार करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का सरकार का कोई विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) : सरकार ने निगम के कार्यकरण की जांच करने और उसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिये जुलाई, 1967 में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह अब सरकार के विचाराधीन है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में ढांचों का निर्माण

***799. श्री रबि राय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अधिकतर निर्माण इस्पात कारखानों के लिए बढ़िया मशीनों, पुर्जों और उपकरणों का न होकर, जिसके लिए इस कारपोरेशन के मुख्य कारखाने के रूप में भारी मशीन निर्माण संयंत्र को मूलतः स्थापना की गई थी, ढांचों का निर्माण होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ढांचों के मामले में भी वर्तमान उत्पादन में से लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन इस कारपोरेशन द्वारा नियोजित गैर सरकारी ठेकेदारी द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : भारी इन्जीनियरी निगम की भारी मशीन निर्माण परियोजना में 1967-68 में तथा अप्रैल से सितम्बर, 1968 में उत्पादन निम्नलिखित था :

		आंकड़ें मी० टनों में
	1967-68	अप्रैल सितम्बर, 1968
मशीनी वस्तुएं	6571.6	4206.50
ढांचे	3694.5	2288.10
ढांचे (भारी मशीन निर्माण संयंत्र के आधीन अन्य अभिकरण)	4344.9	4581.90
	14611.0	11076.50

अन्य अभिकरणों द्वारा निर्मित ढांचों जो कि सामान्यत: साधारण प्रकार के हैं 1967-68 के मी० टनों के उत्पादन में 29 प्रतिशत तथा अप्रैल-सितम्बर 1968 के उत्पादन में 41 प्रतिशत हैं। यह साधारण प्रकार के ढांचे अन्य अभिकरणों द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं क्योंकि भारी मशीन निर्माण संयंत्र में इनका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

Threatened Strike by Railway Employees

***800. Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is fact that the General Secretary of All India Railwaymen's Federation had announced in Gauhati on the 3rd October, 1968, that the Railway employees are firm on their decision to go on an indefinite strike with effect from the 31st December. 1 68; and

(b) if so, the actoin taken by Government in connection with the fulfilment of their demands and to check their strike ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Except for some reports appearing in certain sections of the Press, Government have no information to this effect, in the recent past.

(b) No actoin is considered necessary at present, if and when a strike threat is indicated, actoin, as in necessary to meet the situation, will be taken.

विभिन्न उद्योगों में बेकार क्षमता

*** 801. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के पूर्वार्ध में विभिन्न उद्योगों की कितनी क्षमता बेकार रही और यह वर्ष 1967 के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की बेकार क्षमता की तुलना में कैसी है;

(ख) उद्योग में बेकार क्षमता के रहने के क्या मुख्य कारण है;

(ग) औद्योगिक क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने के लिए 1968 के प्रथम छः महीनों में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा सरकारी क्षेत्री परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया जाना इस बेकार क्षमता के लिए कहां तक जिम्मेदार है; और

(ङ) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सरकार को ऐसे मामलों की सूचि भेजी हैं जिसमें बताया गया है किस प्रकार गैर सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा करके सरकारी क्षेत्र से क्रय किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध ऐसे भेदभाव को रोकने के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2736/68**]

तालचेर उद्योग समूह

*802. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के उर्वरक निगम को तालचेर उद्योग समूह के प्राक्कलनों को संशोधित करने की हिदायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय उर्वरक निगम को, तालचर स्थान पर कोयला–आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये, उन के द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट का संशोधन करने के लिये कहा गया हैं।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के आयोजना और विकास प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि इस में, कोरबा और रामागुन्दम रिपोर्टों के सदृश संशोधन की आवश्यकता है। उदाहरणतया, तालचर की रिपोर्ट लगभग 63 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का अनुमान लगाती है जबकि कोरबा के लिये संशोधित अनुमान लगभग 72 करोड़ का लगाया जाता है। क्षमता और कच्चे माल की दृष्टि से तालचर प्रस्ताव कोरबा/रामागुन्दम प्रस्तावों के समान ही है। अतः तालचर रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता है। यह भी वांछनीय समझा गया हैं कि कोयले के मूल्यों उपयोगिताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से पक्की वचनबद्धता प्राप्त की जाये जैसा कि कोरबा और रामागुन्दम प्रायोजनाओं के विषय में किया गया है। यह भी जांच की जानी है कि क्या तालचर में कोयले की अपेक्षित मात्रा के खनन की क्षमता है। एक अन्य पहलू, जिसकी विस्तृत जांच की जानी है, तालचर के प्रस्तावित संयंत्र के लिये मार्किट है। तालचर प्रयोजना के लिये, क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान संचार व्यवस्थाओं को विचार में रखते हुए, अलग से एक मार्किट रिपोर्ट तैयार करने के लिये भी कहा गया है, जैसा कि कोरबा के लिये किया जा रहा है।

उद्योगों के बारे में क्षेत्रिय असंतुलन हटाना

*** 803. श्री विश्वनाथ राय :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की 13 सितम्बर, 1968 को हुई बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार उद्योगों के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन के प्रश्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा दो कार्यकारी दलों की स्थापना की गई है। इसमें एक दल पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए माप दंडों की सिफारिश करेगा और दूसरा दल पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए राज कोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश करेगा।

इन दो कार्य कारी दलों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय किया जायेगा।

Trucks Containing Fruits from Afghaistan Impounded by Pakistan

***804. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 100 trucks loaded with fruits from Afghanistan for India have been impounded by the Pakistan Government and India has been deprived of the Chaman fruits and the Pathan traders had to suffer a loss of lakhs of rupees as a result thereof; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Government are not aware of it.

(b) Does not arise.

बेलाडिला से जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई

*** 805. श्री एस० आर० दामानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के साथ ऐसा कोई समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत 1968-69 में बेलाडिला से जापान को लगभग 15 लाख टन लौह-अयस्क भेजा जायेगा और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या निर्यात होने वाले लौह-अयस्क के सुविधापूर्ण लादने तथा उतारने के सम्बन्ध में खनन से लेकर बन्दरगाहों पर लदान तक सब प्रकार की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। जापानी इस्पात मिलों के साथ 1968-69 में 15.5 लाख मे० टन बेलाडिला लौह-अयस्क की पूर्ति के लिए एक संविदा की गई है जिसके साथ 2.5 लाख मे० टन अतिरिक्त माल की पूर्ति का विकल्प भी है।

(ख) जी हां।

नेपाल में भारतीय सिगरेटों के आयात पर प्रतिबन्ध

* 806. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री यशपाल सिंह कुशवाह :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री हेमबरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने अपने देश में भारतीय सिगरेटों के आयात पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उससे भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की है? और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): 21 अक्टूबर 1968 को नेपाल सरकार ने आवश्यक नियंत्रण (शक्तियां) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा भारत से आयातित सिगरेटों का सम्पूर्ण नेपाल राज्य में विक्रय तथा वितरण निषिद्ध कर दिया गया। तत्पश्चात् 25 अक्तूबर, 1968 को जारी की गई अधिसूचना में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सबद्ध प्रतिबन्ध केवल उन्हीं सिगरेटों पर लागू होते हैं जिन पर "नेपाल के लिये निर्यात" शब्द अंकित न हो। वैसे भारत से नेपाल में सिगरेटों के आयात पर कोई रोक नहीं हैं।

(ग) और (घ): नवम्बर, 1968 में काठमांडू में हुई मंत्री स्तरीय बातचीत में अन्य बातों के साथ-साथ भारत से नेपाल को सिगरेटों का आयात तथा वितरण के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था। यह तय हुआ कि नेपाल सरकार नेपाल में सिगरेटों के आयात के लिए विभेद रहित क्रियाविधि तैयार करके अधिसूचित करेगी।

काश्मीर में भूविज्ञान सर्वेक्षण

***807. श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में हाल ही में किये गये भूविज्ञान सर्वेक्षणों से वहां पर कुछ नयी धातुओं तथा खनिज पदार्थों के होने का पता चला हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : 1967-68 के क्षेत्रीय मौसम के दौरान लद्दाख जिले में रूपशु क्षेत्र में त्सो-कार झील के चारों ओर नमक के निक्षेपों का पता लगाया गया है। जम्मू और काश्मीर में जिन अन्य खनिज निक्षेपों का पता लगाया गया है उनमें लिग्नाइट, सुहागा, गन्धक, बाक्साइट, चूना, पत्थर, जिप्सम और ग्रेफाइट शामिल हैं।

इस्पात कारखाने के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण

***808. श्री बसुमतारी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को इस्पात कारखानों के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये विदेशों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात कारखाने लगाने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के हेतु भारत में पर्याप्त सुविधायें तथा प्रशिक्षित लोग है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस्पात कारखाने के परिचालन एवं संधारण के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकताएं देश में ही पूरी हो सकती है। साधारणतः विदेशी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता पहली बार प्रस्थापित उपकरणों के परिचालन/संधारण, और दूसरे देशों में नए उपकरणों अध्ययन और वर्तमान उपकरणों के उन्नत देशों द्वारा सुधार के अध्ययन के लिये होती है।

(ख) यद्यपि रूपांकन और विस्तृत प्रयोजना प्रतिवेदन आदि तैयार करने के बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई है, और भविष्य में नए इस्पात कारखानों के निर्माण के लिये सरकार ने हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की है फिर भी अभी कुछ समय तक इस्पात कारखानों के निर्माण/परिचालन आदि कार्यों के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलान धागे की बिक्री

***809 श्री रा० की० अमीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राज्य व्यापार निगम ने नायलान धागे का आयात किया था जिसको बाजार में निलाम किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस समय देशी निर्माता नायलान धागा देने की स्थिति में थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके आयात पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बरबाद करने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मांत्रलय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन के धागे का आयात केवल स्वदेशी मांग तथा पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के संबंध में विशेष पुलिस संस्थान का प्रतिवेदन

*** 810, श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के बारे में समवाय-कार्य विभाग द्वारा 1966 में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के सिलसिले में जो जांच पड़ताल विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की गयी थी, उसका प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रबन्धक वर्ग के विरुद्ध, आपराधिक षड़यन्त्र के अपराध के लिये आपराधिक विश्वास पास करने का दोषारोप-पत्र, प्रस्तुत कर दिया गया है।

धर्मशाला के निकट चूने के पत्थर के निक्षेपों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

***4734. श्री हेमराज :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच धर्मशाला के निकट चूने के पत्थर के निक्षेपों के बारे में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग): धर्मकोट चूना पत्थर के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यधन अन्वेषण का कार्य जून, 1966 में प्रारम्भ किया गया था और उसके जनवरी, 1969 तक पूरा किये जाने की

सम्भावना है। अन्वेषण पर रिपोर्ट अन्वेषण के पूरा कर लिये जाने और इकट्ठे किये गये नमूनों के विश्लेषणात्मक, शैल–वैज्ञानिक, और अन्य आवश्यक अन्वेषण कर लिये जाने के पश्चात तैयार की जायेगी। इन सबका संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्टों में, जिन की प्रतियां निरन्तर संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है, सम्मिलित किया जायेगा, जब कि वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के अभिलेखों के रूप में छप जायेगी। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा धर्मकोट के चूना पत्थर निक्षेप पर किये गये समन्वेषण कार्य पर अन्तरिम रिपोर्ट की एक प्रति आगे ही संसद् पुस्तकालय को भेज दी गई है।

अब तक किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक अनुमान बताते है कि धर्मकोट पहाड़ी दृश्यांश से 188 लाख मैट्रिक टन की कुल चूना पत्थर की उपलभ्य राशियां उपलब्ध होंगी जिन में से 130 लाख मैट्रिक टन आसानी से उत्खनन योग्य होने की सम्भावना है।

भारतीयों द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना

4735. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन भारतीय उद्योगपतियों के नाम क्या है जिन्होंने विदेशों में धन लगाया है उनमें से प्रत्येक ने अब तक किन-किन देशों में और किस-किस उद्योग में कितना धन लगाया है;

(ख) यह धन किन शर्तों पर लगाने की अनुमति दी गयी और प्रत्येक मामले में कितनी नकद राशि अथवा मशीनरी की लागत के लिये राशि ले जाने की अनुमति दी गयी;

(ग) प्रत्येक कम्पनी का वार्षिक लाभ में कितना भाग है और प्रत्येक कम्पनी को प्रति वर्ष कितनी राशि वापिस भेजने की अनुमति है और यह किस करेंसी में भेजी जायेगी; और

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ईरान और ईराक में हमारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो भारतीय सम्पति को जब्त होने से बचाने के लिये क्या सावधानी की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल०टी० 2737/68]।

(ख) वे शर्तें जिनके अन्तर्गत विदेशों में भारतीय पूंजी लगाने की सामान्यत. अनुमति दी जाती है ये हैं : नकद धन को भेजे बिना स्वदेशी मशीनरी के निर्यात द्वारा और तकनीकी जानकारी प्रदान करके इक्विटी शेयर प्राप्त करना। सामान्यतः भारतीय पक्षों द्वारा धन लगाने की अनुमति के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है परन्तु साधारणत: भारतीय पक्षों की अल्पांश भागीदारी को अच्छा समझा जाता है।

(ग) स्वीकृत प्रस्ताओं में से अब तक केवल 12 एककों ने उत्पादन आरम्भ किया और इस लिये इतनी जल्दी इन कम्पनियों को होने वाले लाभों को नहीं आंका जा सकता। प्राय: उन लोगों से कहा जाता हैं कि वे विदेशी मुद्रा में प्राप्त डिविडेंड तथा रायल्टी आदि को स्वदेश लायें।

(घ) विगत अनुभव के आधार पर हम ऐसी स्थिति की आशा नहीं करते।

सरकार समिति की सिफारिश

4736. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन अधिकारियों के विरुद्ध इस्पात के सौदों सम्बन्धी सरकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकारी या गर सरकारी तौर पर कार्यवाही की गई है उनके नाम और पद क्या क्या है और ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन लोगों को संदिग्ध स्थिति में पाया गया था या जो भ्रष्ट पाये गये, उनके नाम पद, और मासिक वेतन क्या क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई हैं :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	वेतन	किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ।
1.	श्री ए० एस० बाम भा० सि० से०	इस समय बेलग्रेड में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के स्थानिक प्रतिनिधि	कर मुक्त शुद्ध वार्षिक वेतन 16,966 डालर	अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई है।
2.	श्री बी० सी० माथुर भा० प्र० से०	संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय	2575 रुपये मासिक	
3.	श्री एस० सी० मुखर्जी	लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक, कलकत्ता	1775 रुपये मासिक	
4.	श्री सी० ए० नायर	अवर सचिव, लोहा और इस्पात विभाग, नई दिल्ली	1320 रुपये मासिक	
5.	श्री एस० बी० बसु	लोहा और इस्पात सहायक नियंत्रक, कलकत्ता	1175 रुपये मासिक	
6.	श्री एल० के० बोस	लोहा और इस्पात सहायक नियंत्रक, कलकत्ता (सेवा-निवृति)	1087.60 मासिक (सेवा-निवृत्त होने की तारीख को वेतन)	निवृति वेतन कम करने के लिए कार्यवाही की गई है

7.	श्री एस० गुप्ता	लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में अधीक्षक	808.50 रुपये मासिक	अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई है।
8.	श्री डी० पी० मित्रा	लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में सहायक	607.25 रुपये मासिक	
9.	श्री एस० एन० बनर्जी	लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में सहायक	625.70 रुपये मासिक	
10.	श्री जी० एन० सेन० गुप्त	लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक	343,40 रुपये मासिक	

(ख) सरकार जांच समिति की रिपोर्ट में किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया है।

(ग) चूंकि निम्नलिखित अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके है और उनका सेवा निवृत्ति वेतन भी मंजूर हो चुका है, अतः नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही आदि नहीं की जा सकती है।

1	1. श्री एस० भूतलिंगम भा० सि० से०	सचिव, इस्पात मंत्रालय
	2. श्री वी० डोरोयस्वामी	लोहा और इस्पात उप नियंत्रक
	3. श्री बी० बी० पाठक	लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में सहायक

त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योग

4737. श्री किरित बिक्रम देब बर्मन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उसकी रूप रेखा क्या है, सरकार ने इस काम के लिये कितनी सहायता दी है तथा दस्तकारी उद्योग की प्रत्येक वस्तु का त्रिपुरा में कितना कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के दस्तकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये त्रिपुरा सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो ऐसी योजना के कब तक मिलने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक टिप्पणी सभा पटल पर रखी जाती है जिसमें मोटी रूप रेखा, खाका और इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का विवरण दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2738/68]** हस्तशिल्पों के वस्तुवार वार्षिक उत्पादन के आंकड़े प्राप्त नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) एक टिप्पणी सभा पटल पर रखी जाती है जिसमें योजना के ब्यौरे दिये गये है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2738/68]**

Industrial Development in Madhya Pradesh

4739 ~~4750~~. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of loans granted to Madhya Pradesh Government for industrial development during the last ten years;

(b) the names of companies to whom minimum and maximum amount of loans were granted as also the amount therefor;

(c) whether it is a fact that many units did not establish industrial units despite getting loan and if so, the names thereof;

(d) whether Government propose to take actoin against them; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (e): The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Development of Medium Scale Industries in M. P.

4740. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has submitted any scheme to the Central Government regarding to develepment of medium scale industries in that state in 1968-69;

(b) if so, the nature and the details thereof and the extent to which the production capacity of each industry would be increased as a result of the implementation of the scheme;

(c) whether Central Government have approved that schme, if so, with what modifications; and

(d) the extent to which the employment opportunities are likely to increase thereby ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c): As part of their Annual Plan for 1968-69, the Government of Madhya Pradesh proposed an outlay of Rs. 200 lakhs for various schemes under 'Large and Medium Industries' listed below :

Name of the Scheme	Proposed outlay 1968-69 (Rs, Lakhs)
1. Investment in the Share Capital of M.P. State Industries Corporation.	75.00
2. Industrial Area, Bhilai.	22.00
3. Completion of other industrial areas (Basic facilities of industries)	50.20
4. Industrial Project Reports and Surveys	2.80
5. Financial Participation in industries through M. P. Industrial Development Corporation.	50.00
Total	**200.00**

Against the above proposed outlay of Rs. 200 lakhs, the Central Government approved an outlay of Rs. 106 lakhs as under :-

Name of the Project	Outlay recommended for 1968-69. (Rs. lakhs)
1. Investment in the Share capital of M. P. State Industries Corpn.	34.00
2. Industrial Area, Bhilai	15.00
3. Other Industrial Areas	25.00
4. Industrial Project Reports and Surveys	2.00
5. Financial participation in industries through M. P. Udyog Vikas Nigam.	30.00
Total :	**106.00**

The approved investment of Rs. 34 lakhs in the share capital of the M. P. State Industries Corporation is intended for setting up expansion of industries.

The Industries involved are :—

Name of Industrial Unit	New Unit/ Expansion	Investment during the year.	Resulting Increase in Capacity
1. Expansion of Cotton Spinning Mills, Sanewad	Expansion	15.00	From 12000 spindles to 19000 spindles
2. Fatty Acids & Glycerine Plant.	New	7.00	Not yet assessed

3. Gwalior Potteries	New	3.00	Replacement of old furnaces.
4. Spinning of Cotton Waste Plant.	New	5,00	Not yet assessed
5. Carbon Dioxide Plant	New	4.00	-do-
		34,00	

(d) The employment opportunities likely to be created by setting up of above industries under this scheme cannot be assessed as the proposals are tentative.

Development of Small Scale Industries in M. P.

4741. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has submitted any report to the Central Government regarding the development of small scale industries and setting up of industrial estates in that State during 1968-69 ;

(b) if so, the main features of the scheme ;

(c) whether Government have approved that scheme, if so, with what changes; and

(d) the extent to which employment opportunities would be increased as a result of that scheme ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A.Ahmed) : (a) to (c) ; In the Annual Plan for 1968 69 the Govt. of Madhya Pradesh had proposed a total outlay of Rs. 100 lakhs for the Village and Small Industries Sector. These proposals were considered by the working Group and an outlay of Rs. 98.80 lakhs was recommended. After discussions between the planning Commission and the State Government an outlay of Rs. 79.38 lakhs has been finally fixed for the Village and small Industries Sector. The outlay fixed for Small Industries any Industrial Estates if Rs.34.97 lakhs and Rs. 15.75 lakhs respectively.

(d) It is difficult to make an estimate with any degree of accuracy at this stage.

Industrial Development of Madhya Pradesh

4742. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the action taken for the industrial development of Madhya Pradesh during the last Five Year Plan and the progress made in this direction ; and

(b) the action proposed to be taken therefor during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A.Ahmed) : (a) In respect of Central Industrial Projects, an investment of about Rs. 192.6 crores was made during the Third Plan in Madhya Pradesh, bringing the total investment upto the end of the Third Plan to about Rs 415 crores. The details of the individual projects set up/under implementation and the investments made/to be made on each are available in the statement placed on the Table of the House by the Prime Minister on the 13th November, 1968 in reply to Starred Question No. 61

(b) The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. Information in this regard will be available only after the Plan is formulated.

Trains running between Itarsi and Bombay

4743. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the number of trains between Itarsi and Bombay is not adequate to cope with the III Class passenger traffic ;

(b) If so, whether Government propose to introduce an additional train on this line or to run the Bombay-Calcutta Janata Express daily from Bombay : and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M, Poonacha) : (a) Except some overcrowding in third class by through trains running between Bombay V. T. on one hand and new Delhi, Varanasi and Howrah on the other, the existing services on Bombay V. T.-Itarsi section cater by and large satisfactorily to the requirements of traffic there.

(b) and (c) : Apart from the question of traffic justification, introduction of an additional train on this route, including further increase in the frequency of 41Dn./42Up Bombay VT-Howrah Janata Expresses is not feasible at present owing to saturated working of certain sections enroute.

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के दल का दौरा

4744. श्री सूरजभान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० एफ० कोगान की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र संघ का दल ने कुछ समय पूर्व, निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं की किस्म का अध्ययन करने और उसमें सुधार के सुझाव देने के उद्देश्य से, भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा क्या मुख्य सुझाव दिये गये ; और

(ग) सरकार द्वारा वे सुझाव कहां तक लागू किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2739/68]

हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में लघु उद्योगों का स्थापित किया जाना

4745. श्री शंकर राव माने : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा सरकारें चाहती हैं कि उद्योगपति हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लघु उद्योग स्थापित करें ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन-किन उद्योगों की स्थापना हो सकती है और वहां उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) : सभी राज्य सरकारें जिनमें हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित हैं उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2740/68]**

स्टेनलेस स्टील तथा टीन की चादरों के लिए कोटा

4746. **श्री शंकर राव माने** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्टेनलेस स्टील और टीन की चादरों का कोटा वास्तविक उपभोक्ताओं को देती है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उप भोक्ताओं को कितनी मात्रा दी जा सकती है ?

इस्पात खान और धातु मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : आजकल बे-दाग इस्पात और टिनप्लेटों के लिए कोटे नहीं दिये जाते है। वास्तविक उपभोक्ता इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वे उत्पादकों से सम्पर्क स्थापित करके अपनी टिनप्लेटों की आवश्यकताओं की पूर्ति करा लें। जहां तक बे-दाग इस्पात की चादरों का सम्बन्ध है, दुर्गापुर स्थित-मिश्र इस्पात कारखाने का बे-दाग इस्पात की चादरों का उत्पादन अभी इतना नहीं है कि उन्हें बेचने के लिए दिया जा सके।

रेलवे बोर्ड के सचिवालय की क्लर्क सेवा योजना

4747, **श्री कृष्णकुमार चटर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के कुछ कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गयी 1967 की लेख याचिका संख्या 96 और 165 पर, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना, जो 5 फरवरी, 1957 को जारी की गई थी, के उपबन्ध, 1 दिसम्बर, 1954 से भूतलक्षी तिथि से लागू किये गये थे, सांविधिक है और 1 दिसम्बर 1954 से सेवा में पदोन्नतियां तथा नियुक्तियां उस योजना के उपबन्धों के अधीन की जायेंगी ;

(ख) क्या 1 दिसम्बर, 1954 के बाद पदों पर की गयी सभी पदोन्नतियों तथा नियुक्तियों को उक्त योजना के उपबन्धों के अनुसार नियमित करार दिया जायेगा ; और

(ग) क्या दिसम्बर, 1954 के बाद क्लर्कों की वरिष्ठता तथा यू० डी० सी० ग्रेड में पदोन्नति बोर्ड के कार्यालय में सेवा की अवधि पर आधारित है, और यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री श्री चे० मु० पुनाचा : (क) इन रिट याचिकाओं पर अपने निर्णय के अन्तिम भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये :

"अन्त में, इस पहलू पर, हमें संतोष है कि दूसरे प्रत्यार्थी, रेलवे बोर्ड द्वारा बनायी गयी योजना, अनुबन्ध 7 द्वारा यथाशोधित अनुबन्ध 4, अपने वर्तमान रूप में, अवश्य लागू होनी चाहिए क्योंकि इसके बनाने में कोई त्रुटि नहीं है और इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता।"

उपर्युक्त अनुबन्ध 4 में रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा के पुनर्गठन एवं पुनर्बलन की योजना दी गयी है। उपर्युक्त प्रकार से संशोधित यह योजना 1-12 1954 से प्रभावी है।

(ख) यथासंशोधित योजना के अनुसार यह कर दिया गया है।

(ग) कोई संशोधन आवश्यक नहीं है क्योंकि योजना में यह व्यवस्था है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा के ग्रेड II में निरन्तर सेवा की अवधि के आधार पर क्लर्क ग्रेड II की मूल नियुक्ति के पात्र हैं।

क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये क्लर्क

4748. श्री कृष्णकुमार चटर्जी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय रेलवे से 1957 में रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये कुछ क्लर्कों को बाद में उनकी मूल रेलवे में 1 अप्रैल, 1956 भूतलक्षी तिथि से पदोन्नत कर दिया गया ;

(ख) क्या ये क्लर्क उस ग्रेड में स्थायी हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उनकी सेवा का एल० डी० सी० के नीचे के ग्रेड में उपयोग करना भारतीय रेलवे संस्थापना संहिता खण्ड के एफ० आर० 15 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) क्या उनकी सेवाओं को बोर्ड के कार्यालय में नियमित करने का कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो क्या उनको रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना जो 5 फरवरी, 1957 को जारी की गयी थी और जिसे 1 दिसम्बर, 1954 से भूतलक्षी अवधि से प्रभावी मानने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुए योजना के पैरा 14 (1) (ए) के अनुसार रखने पर विचार किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इस तरह के 6 क्लर्क स्थायी रूप से इस ग्रेड में हैं।

(ग) इससे नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि यदि उनका मूल वेतन बोर्ड कार्यालय में उन्हें ग्राह्य वेतन से अधिक था, तो जहां आवश्यक था, उन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अपना मूल वेतन लेने की अनुमति दी गयी।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार वे बोर्ड कार्यालय में समाहित किये जाने के पात्र हैं। उन्हें योजना के उप-पैरा 14(1) (क) के

अनुसार समाहित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह उप-पैरा योजना के वर्तमान पैरा 14 का भाग नहीं है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

4749. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची ने 1967-68 में कितने निर्माण आदेश प्राप्त किये हैं और कितनी वस्तुओं के लिये है ;

(ख) कारपोरेशन ने कितने आदेशों का काम पूरा कर लिया है ;

(ग) मार्च, 1968 के अन्त तक उसके पास से कितने निर्माण आदेश ऐसे थे जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था ; और

(घ) कितने मामलों में निर्माण कार्य निर्धारित अवधि से बाद में पूरा किया गया और क्यों ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी इकटठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

4750 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1968 के अन्त में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कितने मूल्य की मशीनरी बेकार पड़ी थी ;

(ख) 1967-68 में मजदूरों के बेकार होने के फलस्वरूप कितने जनघण्टों की हानि हुई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के विरूद्द दावे

4751. श्री असगर हुसैन : क्या **रेलवे** मन्त्री 26 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा, नागपुर, भुसावल और पालनपुर आदि विभिन्न स्टेशनों से माल डिब्बों में भेजे जाने वाले फल के पार्सलों को दिल्ली पहुंचने में सामान्य तौर पर कितने घंटे लगते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किये गये "अनुमान प्रमाणपत्रों" के आधार पर किये गये दावों को, भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 77 (1) के अधीन उपबन्धों के आधार पर नामंजूर कर दिया जाता है परन्तु जब उन्हें न्यायालय में भेजा जाता है तो उनका माल-प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में फैसला कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दावों को अनुमान प्रमाणपत्रों के आधार पर पास करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) विजयवाड़ा, नागपुर और भुसावल से फलों के माल डिब्बे सामान्यतः लदान के दिन से क्रमशः 6 से 7, 5 और 4 दिनों में दिल्ली पहुंचते है। पालमपुर से दिल्ली को सामान्यतः ताजा फलों का पूरे माल डिब्बों में यातायात नहीं किया जाता।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, सवाल नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कोटे से कारों का आवंटन

4752. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 400–1250 रुपये वाले वेतन मान में 400 रुपये अथवा इस से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कोटे से कारों के नियतन के हकदार हैं, जबकि वे अधिकारी जिनका वेतन मान 1250 रुपये तक नहीं जाता (कुछ वर्गों को छोड़कर)– तब तक इस सुविधा के हकदार नहीं होते जब तक कि उनका वेतन 900 रुपये नहीं हो जाता।

(ख) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 350 रुपये अथवा इस से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी, चाहे उन के वेतनमान कुछ भी हों, केन्द्रीय सरकार के कोटे से स्कूटरों के नियतन के हकदार है ; और

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों का वेतनमान चाहे कुछ भी हो, कारों के नियतन के मामले में एक न्यूनतम वेतन, अर्थात 650 रुपये निश्चित न करने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) : जी हां।

(ख) जुलाई 1966 से पूर्व वे व्यक्ति जिन के वेतन मान की अधिकतम सीमा 1250 रुपये तक पहुंचती थी वे ही केन्द्रीय सरकार के कोटे से कारों के आवन्टन के हकदार थे। जुलाई 1966 में उदारता की दृष्टि से ऐसा निर्णय किया गया कि वे व्यक्ति भी जिन का वेतनमान 1250 रुपये तक नहीं पहुंचता केन्द्रीय सरकार के कोटे के कारों के आवन्टन के हकदार होंगे यदि उनका मासिक मूल वेतन 900 रुपये हो।

(ग) जी, हां ।

(घ) पहले ही कार के आवन्टन के लिए विशेषकर फीएट कार के लिए सरकार के पास बड़ी संख्या में आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं और वर्तमान प्रतीक्षा सूची में आए व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के कोटे में से कारों का आवन्टन प्राप्त करने में कई वर्ष लगेंगे। नीति को उदार बनाने से पहले से ही प्रतीक्षा सूची लम्बी है वह 900 रुपये की सीमा को कम करने पर और अधिक लम्बी हो जायेगी । इस उद्देश्य के लिए वेतनमान की परवाह न करते हुए एक समान न्यूनतम वेतन सीमा को लागू करना व्यवहारिक भी नहीं समझा जाता । इस विषय में सरकार नीति को उदार बनाने पर तब विचार करेगी जबकि प्रतीक्षा सूची काफी कम हो जायेगी ।

भारी इंजीनियरी उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

4753. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने भारी इंजीनियरी उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी, हां । राष्ट्रीय श्रम आयोग को दे दी गई है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2741/68]

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात ही सरकार कार्रवाई के बारे में विचार करेगी ।

बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

4754. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभाजन के समय बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को, जो एक ब्रिटिश फर्म थी , आस्तियां क्या थीं ;

(ख) 1955, 1960 और 1965 में उसकी आस्तियां क्या थीं और वर्तमान आस्तियां क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी की आस्तियां प्रति वर्ष कम होती जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1947 में देश के विभाजन के समय, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 लागू था। इस अधिनियम के उपबन्धो में, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों पर, सरकार को अपने वार्षिक लेखे मिसिल करने के लिये कोई कानूनी बन्धन नहीं था। अतएव 1947 के वर्ष को बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की परिसम्पति स्थिति के बारे में, कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग): कम्पनी की परिसम्पतियां निम्नांकित थी :-

	करोड़ रुपयों में
31-7-55	2.9
31-7-60	1.5
31-7-65	2.2
31-7-67	1.9

कम्पनी की परिसम्पतियां, जो 1960 में तेजी से घट गई थी, 1965 में पर्याप्त रूप से उन्नत हुई, परन्तु यह 196 7 में पुनः कम हो गई।

(घ) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे दावा एजेंट

4755. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समय के अभाव में और रेलवे के नियमों से परिचित न होने के कारण कुछ फर्म रेलवे के दावों से निपटने के लिये कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और फर्मों के छपे हुए नाम-पत्रों पर दावे भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दावों के निपटारे में काफी विलम्ब हो जाने पर, फर्म उन दावों की नवीनतम स्थिति जानने के लिये अपने उन व्यक्तियों को भेजती हैं, परन्तु रेलवे उन व्यक्तियों को दावा एजेन्ट मानकर उन से प्रत्येक मामले में मुख्तयारनामा मांगती हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) फर्मों की ओर से जो व्यक्ति दावे दाखिल करते हैं, और उनके माध्यम से तथा उन के पते पर पत्राचार करते हैं और भुगतान मांगते हैं, उनका कौनसा वर्ग माना जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जब तक कि दावे उस फर्म के सरनामें पर भेजे जाते हैं, जो दावे की रकम पाने की हकदार हो और जब तक कि दावे के पत्र पर फर्म की ओर से हस्ताक्षर किये जाते हैं, वह पत्र फर्म से आया हुआ समझा जाता है (उन कुछ विशेष मामलों के अलावा, जिनमें संदेह पैदा हो जाये) और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि पत्र लेखक दावों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करने के लिए फर्म द्वारा नियुक्त किया

गया है या नहीं। इन कारणों का पता नहीं है कि विभिन्न फर्में इस उद्देश्य से खासतौर पर कुछ व्यक्तियों को क्यों नियुक्त करती हैं।

(ख) और (ग): मुख्तारनामा हमेशा नहीं मांगा जाता। केवल उन्हीं मामलों में मुख्तारनामा मांगा जाता है जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी फर्म का प्रतिनिधित्व करने के प्राधिकार के सम्बन्ध में तर्क संगत संदेह हो।

(घ) इस कोटि के व्यक्तियों को दावा एजेंट कहा जाता है और उनसे मुख्तारनामा लेना अपेक्षित है।

रूसी ट्रैक्टरों की बिक्री

4756. श्री रा० की० अमीन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम मध्य प्रदेश सरकार की इन शिकायतों के बारे में जांच कर रहा है कि रूसी ट्रैक्टर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स इंडियन इंजीनियरिंग एण्ड कमर्शियल कारपोरेशन, बम्बई के विरुद्ध, जो रूसी संभरणकर्ता के भारतीय एजेण्ट हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी शिकायत 1965-66 में मध्य प्रदेश में बेचे गये ट्रैक्टरों पर सीमा शुल्क के लिये जाने के बारे में, जो ट्रैक्टरों पर नहीं लगता, चुंगी में वृद्धि करने के बारे में थी। राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निरीक्षण से पता लगा कि 25,194.82 रुपये अधिक वसूल किये गये थे। यह राशि अब पार्टी से वसूल कर ली गयी है।

Labourers Engaged on Railways on Daily Wages

4757. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of labourers engaged on daily wages under contract system in the Railways; and

(b) the daily wages being paid to them at present as also five years back ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : The number of labourers employed by the contractors for various types on the Railways as on 1.4 1968 w s 1,32,7?6. Information about their rates of daily wages is not, however, available as the labour are employed by the Contractors and the Railways do not have detailed information relating to such labour,

Small-scale Industries

4758. Shri Narain Swarup Sharma : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the nature of complaints received by Government relating to the difficulties experienced by small scale industries in obtaining raw materials; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Complaints regarding the following have been received :—

(i) Import policy regarding scarce categories of Iron & Steel materials;

(ii) Import policy regarding raw materials for non-priority industry; and

(iii) High prices of certain indigenous raw materials as compared to the price of imported materials.

(b) The import of iron and steel items through MMTC has since been discontinued and the industrial units can now get direct import licences for these items. Other problems are being examined by the Standing Committee on Raw Materials of the Small Industries Board.

Review Committee on State Trading Corporation

4759. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the Review Committee of the State Trading Corporation has advised the Corporation to from a Company for giving guidance to the subsidiary organisations engaged in export-import trade on high level matters;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether it is also a fact that there is great dissatisfaction in regard to the dealings of the Corporation; and

(d) if so, the other steps taken to improve its working ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The S. T. C. Review Committee in its interim Report had inter alia suggested that the Corporation should become one day an Apex holding Corporation providing subsidiaries with advice and control, top policy direction, finance and senior personnel.

(b) Government are awaiting the final Report of the Committee.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Halt of Delhi-Hapur Shuttle Train at Hapur Station

4760. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the special arrangements that were required to be made at Hapur station for accommodating Delhi-Hapur shuttle train there;

(b) whether it is a fact that the aforesaid shuttle train has to return in the night in the absence of proper halting place and the passengers of city are unable to derive full benefit of that shuttle service; and

(c) if so, the time by which full arrangements would be made ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (c) : A proposal for providing additional terminal facilities at Hapur Station is under examination.

(b) Yes, Sir.

Industrial Undertakings in States

4761. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any special measures have been contemplated to bring at par all the States in respect of establishing industrial undertakings;

(b) if so, the industries which would be shown preference in the States which have become backward industrially; and

(c) whether the concerned States have also been consulted in this connection ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : Two Working Groups have been set up by the Planning Commission to make a careful study of the question on regional imbalances. One of these Groups would recommend criteria for indentification of backward areas and the other Group would recommend the fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas. The representatives of the various States have also been included in the Two Working Groups.

It is not possible to indicate at this stage which new industries would be shown preference in the States which are industrially backward.

कालका मेल में चंडीगढ़ से दिल्ली तक तीसरी श्रेणी का एक और डिब्बा लगाना

4762. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी में अधिक भीड़ होने और चंडीगढ़ की जनता द्वारा अनुभव की जाने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ से दिल्ली तक तीसरी श्रेणी का एक और डिब्बा जोड़ने की मांग सरकार से की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख): 1.4.1968 से 1 अप/2 डाउन हावड़ा-दिल्ली-कालका डाक गाड़ियों में दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच तीसरे दर्जे का एक शयन यान चलाये जाने से, इन दो स्टेशनों के बीच अब दो खण्डीय डिब्बे उपलब्ध हो गये हैं–एक पहले दर्जे का और एक तीसरे दर्जे का शयन यान। इन गाड़ियों में दिल्ली और चंडीगढ़/कालका के बीच तीसरे दर्जे के अतिरिक्त स्थान की मांग को पूरा करना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि नं० 1 अप/2 डाउन डाक गाड़ियों में नियमित रूप से कोई अतिरिक्त डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है।

चण्डीगढ़ की औद्योगिक बस्ती के लिये रेलगाड़ी की सुविधायें

4763. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के उद्योगपतियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि चण्डीगढ़ की औद्योगिक बस्ती तक रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाय अथवा स्टेशन पर एक उपयुक्त साइडिंग की व्यवस्था की जाय; और

(ख) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। लेकिन पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक साइडिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध उत्तर रेलवे प्रशासन से किया था।

(ख) उत्तर रेलवे प्रशासन ने इस निर्माण-कार्य की लागत का संशोधित अनुमान संघ-प्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ को भेज दिया है और उससे अपने हिस्से की लागत और आवर्ती प्रभारों की स्वीकृति मांगी है। उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।

नेफा में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण

4764. श्री एस० ग्रार० दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने (नेफा) के सुबवांसिरी जिले में पोटनों में गन्धकयुक्त खनिजों की उपलब्धि के बारे में व्यापक खोज प्रारम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है और कब तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां। अन्वेषण को 1968–69 के क्षेत्रीय मौसम के दौरान जारी रखा जा रहा है। व्यधन कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) अब तक किये गये अन्वेषणों से पता चला है कि सल्फाइड खनिजीकरण शिस्टाम चट्टानों पर 1000 मीटर की नीतलंब लम्बाई और 300 मीटर की चौड़ाई तक सीमित है। रिपोर्ट सब विषयों में अन्वेषण पूरा कर लिये जाने के पश्चात तैयार की जायेगी।

औद्योगिक बस्तियां

4765. श्री एस० ग्रार० दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक राज्यवार कितनी-कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना हुई;

(ख) ऐसी प्रत्येक बस्ती में कितने-कितने शैड बनाये गये और प्रत्येक पर कितनी लागत आई;

(ग) कितने शैड आवंटित किये गये और कितने शैडों का कब्जा लिया गया है और कितने शैडों का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया; और

(घ) वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां शैडों का कब्जा न लिये जाने के मामले 10 प्रतिशत से अधिक हैं और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2742/68**]

(घ) महाराष्ट्र, दिल्ली तथा दादर और नगर हवेली, इन तीनों राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में शेडों पर कब्जा न करने का प्रतिशत 10 से भी अधिक है। शेडों पर कब्जा न करने का मुख्य कारण उद्यमियों द्वारा उद्योगों को न चलाया जाना है।

Increase in goods traffic on the Railways

4766. **Shri Sharda Nand :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods traffic on Railways has increased during the last one year;

(b) if so, the statistics in respect of the last three years;

(c) the additional profit to Government due to increase in goods traffic this year; and

(d) the steps being taken by Government to minimise losses to railways ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The figures of revenue earning freight traffic hauled by Railways in the last three years are as under :

	Net tonne Kilometres (in millions)
1965-66	98,978
1966-67	99,284
1967-68	101,121

(c) The approximate goods earnings during the first seven months of 1968-69 amount to Rs. 317.77 crores, recording an increase of Rs. 35.94 crores over the goods earnings during the corresponding period of last year. This includes the effect of revision of freight charges from 1-4-1968. The figure of profit is not being worked out for a part of a financial year.

(d) Efforts are made to secure more traffic for Railways by improving the quality of service offered by timely supply of wagons, speeding up transit and ensuring safer transit. There is a Marketing and Sales Organisation on each Railway to keep in close touch with the specific needs of rail users and not only retain existing traffic but also capture additional traffic.

Efforts are also made to achieve maximum economy in administration, repairs and maintenance, coal consumption etc. and on Capital investment.

A ban has been imposed on creation of posts and filling up of vacancies in the administrative offices and staff requirements in all departments of the Railways are being reviewed and adjusted.

Sections which can be worked on the 'one engine only' system are being put on this system of working.

The interval between periodic repairs to buildings has been increased, there is greater stress on scrap reclamation and on reduction in consumption of non ferrous materials by material substitution. Efforts are being made to reduce the percentage of ineffective locomotives. carriages and wagons and incentive schemes introduced in railway workshops are increasing productivity.

Fuel control organisations train engine crews in economic operation and trip rations have been fixed to control the rate of fuel consumption.

A special review has been undertaken of all new capital works to see which of them can be deleted or reduced in scope or deferred.

मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन

4767. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने क्रय, ठेकों और विक्रय से सम्बन्धित कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले पदों के लिये) के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बना रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) नियम की भर्ती नियमावली में अमले की भर्ती की प्रणाली एवं सिद्धांत, वरिष्ठता निर्धारण के सिद्धांत तथा पदोन्नति, प्रति--नियुक्ति एवं सीधी भर्ती की क्रियाविधि विहित हैं। अमले की भर्ती तथा उन की नियुक्ति से सम्बन्धित मामले इन नियमों के अनुसार निष्पादित किये जाते हैं।

कम्पनी का कारोबार, जिसमें क्रयादेशों तथा विक्रयों के लिए संविदाओं के विषय में बातचीत करना एवं उन्हें तय करना शामिल है, का प्रबन्ध, निदेशकों के मण्डल द्वारा किया जाता है जिसने आगे चल कर अध्यक्ष, निदेशकों, महा–प्रबन्धकों तथा प्रभागीय प्रबन्धकों को समुचित शक्तियां प्रदान की हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Import and Export of Cotton Cloth

4768. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the quantity of cotton cloth imported from foreign countries during the last six months;

(b) the quantity of cotton cloth exported to foreign countries during the same period ;

(c) whether the export of cotton cloth exceeded its import or vice versa, and

(d) if so, the extent thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):(a) and (b): Approximately 0.1 lakh sq. metres of cotton cloth were imported during April-September 1968. During the same period 2178.4 lakh sq. metres of mill-made cloth were exported.

(c) and (d): The exports exceeded the imports by 2178.3 lakh sq. metres.

Strength of Staff at Bhilai Steel Plant

4769. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) the number of workers in Bhilai Steel Plant at present;

(b) the number of foreign workers and officers out of them and the emoluments which Government have to pay to them per month; and

(c) the number of workers discharged from service and the number of workers recruited during the last six months?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) and (b): As on 31st October, 1968, 39,648 workers including 89 Russian technicians were working in the Bhilai Steel Plant. In addition, there were 6,822 workcharged employees in Construction Department and 337 in Ore Mines and Quarries. A sum of Rs. 3.29 lakhs is being paid to the foreign technicians per month.

(c) During the period April, 1968 to September, 1968, Services of 258 persons were terminated and 245 persons recruited from the open market.

Diamond Mines in The Country.

4770. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Steel Mines and Metals be pleased to state:

(a) the number of diamond mines in the country at present along with the names of places where they are situated;

(b) the amount of grant provided by Government to them during the past 2 years to accelerate the progress: and

(c) the profit earned by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak):(a) There are three diamond mines namely, (1) The Government Shallow Diamond Mine (in village Panna), 2 Ramkheria Mine (in village Panna) and (3) Majhgawan

mine (in village Majhgawan). Of these, the Ramkheria and Majhgawan are being worked by the National Mineral Development Corporation Ltd., a wholly Centrally owned Government undertaking.

(b) Capital funds amounting to Rs. 34 lakhs and Rs.5 lakhs were provided by Central Government to the National Mineral Development Corporation during the year 1967-68 and 1968-69 respectively.

(c) The diamond mines at Panna went into revenue operations only during the year 1967-68. The accounts in respect of the year are being audited and the position regarding profits earned etc. will be known only after completion of the audit.

Cotton Seed Solvent Plant

4771. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the present number of workers in Cotton-Seed Solvent Plant, Ujjain, which is being run by the Centre:

(b) the total profit shown by this mill so far since its establishment; and

(c) the cost of imported machinery installed there and the country from which it was imported?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) (a) The Cotton Seed Solvent Extraction Plant at Ujjain is not being run by the Government of India. It is owned by the Madhya Pradesh State Government and is under the control of a corporated body. At present there are 82 workers in the plant.

(b) Nil

(c) The original cost of the imported machinery installed in the factory is Rs. 12,21,366/-. The machinery was imported partly from USA and partly from Belgium.

Import of Newsprint

4772. **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantity of newsprint imported by Government during the first 10 months of the year 1968 and the names of the countries from which imported;

(b) the amount of foreign exchange spent thereon; and

(c) the names of the schemes under implementation for the production of newsprint in the country and the present position of each of these schemes?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) : Separate figures of import of newsprint on Government account are not available. A statement showing total imports of newsprint from the various countries during January-August, 1968 along with their value is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT-2743/68] Figures for September and October, 1968 are not yet available.

(c) A scheme for the expansion of the capacity of Nepa Mills (in the public sector) from 30,000 to 75,000 tonnes per annum is under actual implementation.

National Federation of Indian Railwaymen

4773. **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Hardayal Devgun:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the National Federation of Indian Railwaymen has submitted its main demands to the Government;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in respect of each of the said demands during the last six months; and

(c) the reasons for not agreeing to some of the said demands?

The Minister of Railways (**Shri C.M. Poonacha**); (a) and (c) : Presumably, the demands submitted recently by the National Federation of Indian Railwaymen for reference to the Ad-hoc Tribunal are being referred to.

A decision to appoint an ad-hoc Tribunal in respect of 8 out of 14 demands has been taken; the constitution of the Tribunal is still under consideration. The demands include inter-alia, Night Duty Allowance, Disparity in hours of work, Scales of pay of Running Staff, Hours of Employment Regulations etc.

The other demands have been settled by negotiation.

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, नयी दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों के कार्य-घन्टे

4774. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी दिल्ली में उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय के टेलीफोन आपरेटरों को अत्यावश्यक कर्मचारी होने के कारण छः घण्टे कार्य करना पड़ता था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कार्यभार में काफी वृद्धि के बावजूद कार्य घण्टों को छः से बढ़ाकर आठ कर दिया गया है;

(ग) उनके कार्य घंटे बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं जबकि उन्हें केवल छः घंटे कार्य करना चाहिये; और

(घ) क्या इस अतिरिक्त कार्य के लिये कोई समयोपरि भत्ता दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मण्डल अधीक्षक, दिल्ली के कार्यालय में टेलीफोन आपरेटरों की दैनिक ड्यूटी $7\frac{1}{2}$ घंटे की होती है जिसमें $1\frac{1}{2}$ घंटे का अन्तराल होता है। लेकिन रेल कर्मचारियों पर लागू काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत 'अनिवार्य' कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

(ख) से (घ) : काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत जो कर्मचारी 'सतत के रूप में वर्गीकृत हैं, उन्हें किसी एक महीने में प्रति सप्ताह औसतन 54 घंटे तक काम करना पड़ सकता है और जब वे इस सीमा से अधिक काम करते हैं, तो उन्हें उनके वेतन की साधारण दर से डेढ़ गुने के हिसाब से अर्द्ध-मासिक आधार पर समयोपरि भत्ता दिया जाता है। इसी तरह 'सतत' के रूप में वर्गीकृत इन टेलीफोन आपरेटरों के लिए दिन में आठ घंटे काम करना

अपेक्षित है और जब वे निर्धारित सीमा से अधिक काम करते हैं, तो उन्हें समयोपरि भत्ता देय होता है। फिर भी, इन कर्मचारियों के काम के घंटों के बारे में रेल प्रशासन विचार कर रहा है।

दिल्ली स्थित मंडल अधीक्षक के दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के कार्यालय के टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटर

4775. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित मंडल अधीक्षक के कार्यालय के टेलीफोन एक्चेंज के टेलीफोन आपरेटरों के बारे में 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' पर दिये गये विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2744/68]

Development of Silk Industry

4776. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that till the year 1967-68 the sanctioned annual budgetary provisions for the development of silk industry were never spent in full;

(b) if so, the reasons for demanding the amounts which could not be spent; and

(c) the amount provided for this purpose in the budget for the year 1968-69 and the expenditure likely to be incurred during the year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi : (a) and (b) : There has been a short-fall in the utilisation of the budgetary provisions for the development of silk industry. The main reason for this is the Sericultural States' in ability to utilise amounts sanctioned to them by way of grants and loans. Under the existing pattern of assistance, the Central Government gives to the State Governments 50% of the expenditure as grant in-aid and 25% as lone on approved sericultural schemes. The remaining 25% is met by the State Governments from their own resources. The budget provisions for silk industry are thus framed keeping in view the following:-

(i) Actual expenditure incurred during the previous years; and

(ii) central assistance allocated/to be allocated to the States for the financial year for implementation of approved plans and programmes.

(c) The budgetary provision is Rs 91.85 lakhs. It is not possible at this stage to indicate the expenditure likely to be incurred.

Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi

4777. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether the prices of the machinery being manufactured by the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, for the Bokaro Steel Plant have been fixed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the difference in the prices of those machines as compared to their prices obtaining in U. S. A. and U. S. S. R. ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : The matter is still under examination and negotiations.

(c) Does not arise.

Metallurgical Industries

4778. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether there was a proposal under consideration for the setting up of an institution for the development of metallurgical industries; and

(b) the details of the scheme, if finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) and (b) : It is proposed to strengthen the existing Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Limited for designing and engineering of metallurgical plants, and Heavy Engineering Corporation for equipment design. The details have yet to be settled. It is expected that these will be finalised soon.

कोटा डिवीजन में पानी की ट्रालियां

4779. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोटा डिवीजन में पानी की कितनी ट्रालियों को प्रयोग में लाया जाता है और इनका निर्माण कब हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार आगामी ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए इन ट्रालियों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय प्रयोग में लाई जा रही ट्रालियां पुरानी हो गई है और वे ठीक काम नहीं करती हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ग) के उत्तर 'हां में हों, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोटा डिवीजन में पानी की 59 ट्रालियां प्रयोग में आ रही हैं । ये ट्रालियाँ समय-समय पर खरीदी गयी थीं और उनके निर्माण की तारीखें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं। कोटा डिवीजन में पानी की जितनी ट्रालियों की व्यवस्था है, वह पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) जी, नहीं, ट्रालियों की मरम्मत और नवीकरण नियमित रूप से किया जाता है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

कोटा डिवीजन में क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की नीलामी

4780. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोटा डिवीजन में हाल में कितने क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की नीलामी की गई है और नीलामी का आधार क्या था;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी देखरेख में यह नीलामी हुई थी ?

(ग) कितने माल डिब्बे बेचे गये और पिछली नीलामी में माल डिब्बों की बिक्री मे कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(घ) हाल ही की इस नीलामी में इन माल डिब्बों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 20.8.1968 को कोटा में आखिरी नीलामी में 75 निकम्मे माल डिब्बे बेचे गये थे न कि क्षतिग्रस्त मालडिब्बे। वे मालडिब्बे सक्षम अधिकारी द्वारा आयु और हालत के आधार पर निकम्मे ठहराये गये थे और बिक्री से पहले उनके पुनः इस्तेमाल में आने योग्य सभी पुर्जे निकाल लिये गये थे।

(ख) नीलामी की कार्रवाई श्री एन० पी० अवस्थी, जिला भंडार नियंत्रक, अजमेर की देख रेख में हुई थी और इस कार्य में श्री एम० बी० एल० माथुर, सहायक भंडार नियंत्रक कोटा और श्री आर० के० खरे० खरे, वरिष्ठ लेखा निरीक्षक ने उनकी सहायता की थी।

25.5.1968 को कोटा में हुई पिछली नीलामी में 50 माल डिब्बे 87,290 रु० में बेचे गये थे (औसत 1746 रु० प्रति माल डिब्बा)।

(घ) हाल में 20.8.1968 को कोटा में हुई नीलामी में 75 मालडिब्बों की बिक्री से 1,47,590 रु० की रकम मिली थी (औसत 1968 रु० प्रति माल डिब्बा)।

अजमेर डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्क

4781 श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में 1962 से अब तक वाणिज्यिक क्लर्कों के कितने नये पद बनाये गये और कितने पद समाप्त किये गये;

(ख) वाणिज्यिक क्लर्कों के नये पद बनाने और पदों को समाप्त करने की कसौटी क्या है;

(ग) क्या अजमेर डिवीजन में कर्मचारियों की कमी के बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बनाये गये पद 40

समाप्त किये गये पद 18

(ख) वाणिज्य क्लर्कों के पद कार्यभार के आधार पर बनाये जाते हैं और जब कार्यभार को देखते हुए उन पदों को बनाये रखने का औचित्य नहीं होता तो समाप्त कर दिये जाते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस मामले की जांच की गयी है और यह मालूम हुआ है कि जो कर्मचारी उपलब्ध हैं वे वर्तमान कार्यभार को सम्हालने के लिये पर्याप्त हैं ।

Supply of Electric Bulbs to Railways

4782. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of Companies which are supplying electric bulbs to Railways:

(b) the names of places at which their factories are situated in the country; and

(c) the steps being taken by Government to meet the shortage of bulbs on the Railways ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) : A statement is laid on the table. **[Placed in Library See. No L.T. 2745/68]**

खनिज अयस्कों का निर्यात

4783. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से खनिज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है; और

(ख) क्या खनिज अयस्क की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कुछ देशों में खनिज सहचारियों की नियुक्ति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) बिक्री बढ़ाने के संबंध में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमण्डल समय-समय पर प्रमुख उपभोक्ताओं देशों का दौरा करते रहे हैं । हमारे प्रमुख बाजार जापान में सम्पर्क व्यवस्था करने के अतिरिक्त, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पश्चिमी यूरोप में विक्रेता-अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारत में

विदेशों के व्यापार प्रतिनिधियों एवं विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम, खानों के विकास के निमित्त मशीनें तथा उपकरण खरीदने के लिये खान मालिकों तथा खनिज अयस्कों के पूतिकर्त्ताओं को ऋण तथा पेशगी धन देता रहता है ताकि अनुकूलतम स्तर पर उत्पादन बनाये रखा जा सके।

खान मालिकों व्यापार के साथ कार्य सम्बन्धी निकट सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से लौह तथा मैंगनीज़ अयस्क सम्बन्धी सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

खानों का विकास सड़क तथा रेल द्वारा माल लाना-ले जाना, पत्तनों पर यंत्रों द्वारा अयस्कों के लदान की सुविधाओं, तथा बड़े आकार के जहाजों को ठहराने के लिए पत्तनों को गहरा करने की समन्वित प्रायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये प्रयोजनाएं जब पूर्ण हो जायेंगी तो उससे भारतीय अयस्कों की गन्तव्यों तक भाड़ा सहित लागत कम करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वे और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सकेंगे।

(ख) जी नहीं। किन्तु ऐसा विदित हुआ है कि इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय (खान तथा धातु विभाग), कुछ देशों में खानों के भारतीय ब्यूरो के अधीन खनिज सहचारियों की नियुक्ति के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

छोटी कार

4784. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 100 प्रतिशत भारतीय छोटी कार के निर्माण के बारे में बड़ौदा के एम० एच० ठाकुर से एक प्रार्थना पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में छोटी कार के उत्पादन के लिए श्री एम० एच० ठैकर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का डिजाइन बेल्जियम के मेसर्स लेपेज द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख) और (ग) इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

फियेट और एम्बेसेडर कारों में लगाये गये खिड़कियों के शीशों में सुधार

4785. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फियेट और एम्बेसेडर कारों में लगाये गये खिड़कियों के शीशों के गुण प्रकार में सुधार किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या फियेट और एम्बेसेडर कारों की बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के लिये कारों के निर्माता जिम्मेदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि 30 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1598 के उत्तर में बताया गया था कि विंडस्क्रीन के शीशे के उत्पादकों को विंडस्क्रीन बनाने के लिये शीशे की प्लेटों के आयात में सहायता की गई थी। आशा है कि आयातित शीशे से बनी विंडस्क्रीन लहरियादार या अस्पष्टता के दोषों से मुक्त होगी जो कि देश में निर्मित शीशे से बनी विन्डस्क्रीनों में आ गई थीं। परिणामों का पता कुछ समय पश्चात् चलेगा ;

(ख) ऐसी सूचनाएं नहीं मिली कि दुर्घटनाएं एम्बेसेडर तथा फियट कारों में जड़ी घटिया किस्म की विंडस्क्रीनों के कारण हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

4786. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने क्रय, ठेकों और विक्रय से सम्बन्धित कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में (500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले पदों के लिये) के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बना रखे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे नियम बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : क्रय और विक्रय से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के लिये अलग से, कोई केडर योजनाए नहीं है और वे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सामान्य प्रशासकीय और अन्य केडरों से लिये जाते हैं। निगम के तकनीकी और लागत लेखा केडरों के पदों के लिये कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिये उचित नियम हैं। सामान्य प्रशासन और लेखा केडरों के संबंध में भरती नियमों के अन्तर्गत 590-900 रुपये और इससे नीचे के वेतन मानों में आने वाले पद आते हैं। इन केडरों में ऊंचे पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। क्रय और विक्रय सम्बन्धी विभागों के लिये अलग केडर बनाना उचित नहीं समझा जाता।

नेशनल इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

4787. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) उस निगम के द्वारा 31 मार्च, 1968 को कितना ऋण दिया जाना शेष था तथा केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों की यह राशि कितनी कितनी थी;

(ग) उस निगम ने गत तीन वर्षों में कितना ब्याज दिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में निगम के काम का क्या परिणाम निकला है, उसे कितना लाभ हुआ तथा यदि हानि हुई है तो उसके क्या कारण थे तथा 1968-69 में कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) पूंजी	निगम की स्थापना के समय (20-10-1954)	31-3-1968 को
	रु०	रु०
(1) अधिकृति पूंजी	1,00,00,000	1,00,00,000
(2) प्रदत्त पूंजी	10,00,000	10,00,000

(ख) दिनांक 31-3-1968 को निगम द्वारा देय ऋण की राशि:

(1) केन्द्रीय सरकार का	9,55,00,446 रु०
(2) बैंक का	कुछ भी नहीं।
(3) अन्य	कुछ भी नहीं।
योग	9,55,00,446 रु०

(ग) निगम द्वारा दी गई ब्याज की राशि।

1965-66	1966-67	1967-68
रु०	रु०	रु०
54,47,317	51,03,445	47,51,293

(घ) परिणाम

	1965-66	1966-67	1967-68
	रु०	रु०	रु०
(1) लाभ	4,35,123	6,11,389	45,190

(2) 1968- 4,61,500 रु०।
69 का अनुमानित लाभ

नेशनल मिनरल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

4788. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल मिनरल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी;

(ख) उस निगम द्वारा 31 मार्च, 1968 को कितना ऋण दिया जाना शेष था तथा केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों की यह राशि कितनी कितनी थी;

(ग) उस निगम ने गत तीन वर्षों में कितना ब्याज दिया; और

(घ) गत तीन वर्षों में उस कम्पनी के काम क क्या परिणाम निकला, उसे कितना लाभ हुआ तथा यदि हानि हुई तो उसके क्या कारण थे तथा 1968-69 में उसे कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सूचना निम्न प्रकार से है:-

अधिकृत पूंजी	(रुपये लाखों में)
(1) स्थापना के समय	1,500.00
(2) 31 मार्च, 1968, को	3 000 00
(3) 31 मार्च, 1968, को चुकती पूंजी	2,406.03

(ख) निगम द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे बताई गई है:-

	रुपये लाखों में
(1) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों में से 31 मार्च, 1968, को बकाया रकम	2,193.33
(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया से नकद उधार	0.29
(3) 1- बैलाडिला प्रायोजना (निक्षेप संख्या 14) के लिये आस्थगित अदायगी शर्तों के अनुसार जापानी/अमरीकी सामानों के लिये की जाने वाली अदायगियां	522.84
2-किरिबूर लौह-अयस्क प्रायोजना के संबंध में आस्थगित अदायगी शर्तों के अनुसार जापान को की जाने वाली अदायगी।	60.44

(ग) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई ब्याज की अदायगी निम्न प्रकार से है–

	(रुपये लाखों में)
1965–66	10.68
1966–67	19.88
1967–68	255.54
जोड़	286 10

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2746/68]

Indian Trade Missions abroad

4789. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the amount of business secured by the various Indian Trade Missions estaboished in foreign countries during the first half of the current year;

(b) the estimated annual expenditure on each Trade Mission.

(c) whether Government propose to provide proper facilities to these Trade Missions to enable them to secure more business in foreign countries; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) It is not the function of Indian Trade Missions abroad to secure business directly; they function as agencies to facilitate business between Indian traders and foreign buyers. They attend to trade inquiries emanating from the country of their accreditation as well as from India and report to Government about the economic developments and trade prospects in the foreign country concerned. They also give publicity for Indian products and render assistance to visiting Indian businessmen for securing business abroad by providing market information and putting them in touch with the foreign importers. They also keep the various agencies such as Export Promotion Councils informed about the market trends, potential and prospects for the export of Indian products in the foreign markets.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See. No. LT. 2747/68]

(c) and (d) : Do not arise.

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात

4790. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
डा० रानेन सेन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विदेश व्यापार में वर्तमान तथा भावी वृद्धि को देखते हुए सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिक जहाजों की व्यवस्था की जाये तथा निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन सस्ती दरों पर किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक अनुबन्ध (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों की सूची दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2748/68]** भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही का जहां तक प्रश्न है, निर्यात बढ़ाने के लिये युक्तियुक्त तथा स्थिर नीतियां बनाने की प्रक्रिया तो सदा चलती रहेगी। जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्यात उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतियों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतियों का सम्बन्ध है, उनका अभी अध्ययन तथा सूत्रीकरण किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय जहाजों में हमारे विदेशी व्यापार के 50 प्रतिशत माल को ले जाने के लिये इस समय के तथा भविष्य में व्यापार की मात्रा, दोनों की दृष्टि से, हमारे नौवहन टन भार का बढ़ाया जाना आवश्यक है। हमारा व्यापारिक जहाजी बेड़ा बढ़ाने के लिये अतिरिक्त भार–वाहकों, अनेमी पोतों तथा टेंकरों एवं वर्तमान और नये मार्गों के लिये विदेशी लाइनर सेवाओं के लिये जहाजों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक प्राक्कलन के अनुसार चौथी योजना के लिये जहाजी बेड़े का अनुमानित लक्ष्य 45 लाख जी० आर० टी० होना चाहिये। जब चौथी योजना के लिये व्यापारिक जहाजी बेड़े का लक्ष्य अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया जायेगा तब जहाजों के प्राप्त करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

सस्ती दरों पर निर्यात योग्य माल के उत्पादन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अनुबन्ध 1 में दी गई सूची के अधिकांश उपाय उत्पादन की लागत कम करने के लिए बनाये गये थे। इसके अतिरिक्त, लागत की कमी पर हाल में भारतीय विदेशी व्यापार संस्था द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई थी; अध्ययन का मूल लक्ष्य उन क्षेत्रों को ढूंढ़ना था जहां निर्यात योग्य माल के उत्पादन की लागत में और कमी हो सके तथा इस जानकारी को व्यापार तथा उद्योग को उपलब्ध कराना था। टेक्नोलोजी तथा अन्य क्षेत्रों में लागत घटाने के लिये नये ज्ञान के अधिकाधिक उपयोग की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के कर्मचारियों का मजूरी ढांचा

4791. श्री रवि राय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों के लगभग 300 वर्गों के मजूरी ढांचे पर विचार करने के लिये मेजर जनरल हरकीरथ सिंह की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय युक्तियुक्त करण समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कमेटी का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने का ढांचों और उपकरणों की सप्लाई

4792. **श्री रवि राय** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के साथ हुए करार के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पहले चरण में बोकारो के 10 लाख 70 हजार टन की क्षमता के लिये जून, 1971 तक लगभग 100,000 टन के मशीनों के उपकरण और ढांचे (72,000 टन के उपकरण और 26,500 टन के ढांचे) सप्लाई करने होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची को 17 लाख मी० टन की क्षमता वाले बोकारो संयंत्र के लिए 71,950 मी० टन के उपकरण, 26,500 मी० टन के इस्पाती ढांचे, 402 मी० टन के मशीनी औजार अर्थात कुल 98,852 मी० टन माल का सम्भरण करना है। विभिन्न वस्तुओं के सम्भरण कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

(ख) 1 अक्टूबर, 1968 तक 2012 मी० टन के उपकरण, 5023 मी० टन के इस्पाती ढांचे और 19 मी० टन के मशीनी औजार अर्थात कुल 7054 मी० टन निर्मित हो चुके हैं और इनमें से 1678 मी० टन उपकरण तथा 3137 मी० टन के ढांचे (कुल 4815 मी० टन) बोकारो स्टील लिमिटेड को भेजे जा चुके हैं।

चाय उद्योग के लिये राहत के उपाय

4793. **श्री रवि राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत फरवरी से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों में लगातार गिरावट आने के कारण चाय उद्योग के लाभ में होने वाली कमी को दूर करने के लिये अनेक राहत उपायों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1 अक्तूबर, 1968 से चाय उद्योग को राहत देने के लिये निम्नलिखित उपाय घोषित किये गये हैं:–

1. **निर्यात शुल्क में कमी :**

   निर्यात शुल्क छूट 24 पै० से बढ़ाकर 35 पै० प्रति किग्रा कर दी गई है।

2. **उत्पादन शुल्क में कमी:**

   विशिष्ट उत्पादन शुल्क, जो मूल उत्पादन शुल्क का 20 प्रतिशत है, हटा दिया गया है।

3. **पुनः रोपण उपदान :**

   मैदानी बागान के लिये 3500 रु० प्रति हेक्टार तथा पहाड़ी बागान के लिये 4500 रु० प्रति हेक्टार की दर पर एक पुनःरोपण उपदान योजना है। उपदान राशि चाय बोर्ड की मार्फत दी जायेगी और यह योजना केवल उन क्षेत्रों पर लागू होगी जहां 1–10–1968 को या उसके बाद चाय की झाड़ियों का उन्मूलन हो गया है और जहां चाय की झाड़ियां 50 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं।

रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में मरम्मत का काम

4794. **श्री रवि राय :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की मरम्मत बहुत समय पहले ही होनी चाहिये थी तथा मरम्मत पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि अधिकारियों को मरम्मत कराने की आवश्यकताओं का पहले ही पता था परन्तु समय पर कार्यवाही करने के लिये कोई ठोस उपाय नहीं किये गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश मशीनों में टूट-फूट अधिकांशतया उनको गलत ढंग से चलाने, काम अधिक होने तथा कर्मचारियों द्वारा तोड़ फोड़ के कारण हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराने के लिये क्या विभाग द्वारा कोई जांच कराई गई है तथा मरम्मत का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क) से (घ) सितम्बर, 1968 में "वाईटल रिपेयरस निसेसरी फार द पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट सरकार ने देखी है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष ने पूंजीगत

किस्म की बड़े पैमाने पर मरम्मत का उल्लेख किया है । भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के एक मिलियन टन क्षमता के इस्पात कारखानों को, जो पिछले 8 या 9 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, अब बड़े पैमाने पर पूंजीगत मरम्मत की आवश्यकता है । इस्पात कारखानों के लिए यह एक सामान्य बात है । इस्पात कारखानों की कुछ इकाइयों की पूंजीगत मरम्मत का काम उस समय शुरु किया जायेगा जब कि विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुरूपी इकाइयां उत्पादन आरम्भ में कर देगीं जिससे कि महत्वपूर्ण किस्मों के तैयार इस्पात के उत्पादनस्तर पर प्रभाव न पड़े ।

2. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्टियों की भारी क्षति और पाण्डे समिति की रिपोर्ट से सदन पहले ही अवगत है । इस समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर 19 जुलाई, 1967 को रखी गई थी । तदुपरांत, 10 अप्रैल 1968 को समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति के बारे में सदन को सूचित किया गया था । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख जिसमें अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी शामिल है, इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने 21 जुलाई, 1967 को लोक सभा में हुई आधे घन्टे की बहस के दौरान किया था । मरम्मत का अधिकांश काम 1970 के मध्य तक, और कोक भट्टी बैटरी नम्बर एक का पुनर्निर्माण 1971 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

3 हाल में, 4 सितम्बर, 1968 को कर्मचारियों के एक समूह द्वारा पानी की सप्लाई अचानक बन्द कर देने से बेलन मिलों (पहिये और धुरों का कारखाना भी शामिल है) के री-हीटिंग भट्टियों को भी क्षति हुई । लगभग 5 लाख रुपये के व्यय से मरम्मत होने के पश्चात, क्षतिग्रस्त इकाइयों ने सितम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह से पुनः कार्य शुरू कर दिया है ।

Import Licences to S. T. C.

4795. **Shri Ramavtar Sharma :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation of India is shown preference in the Matter of giving import licences;

(b) the names of the firm which have been given the maximum number of Import licences as compared to other firms during the past five years; and

(c) the percentage of commission charged by the State Trading Corporation on these licences ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. sir, except in the case of canalised items or trade with countries having State owned export agencies.

(b) It is not possible to supply this information without a particular commodity being specified.

(c) The State Trading Corporation charges a small service charge of about $1\frac{1}{2}$ percent on the landed cost of goods for the services rendered by it.

Import Substitution Programme

4796. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the progress made so far in the work of manufacturing goods being imported at present within the country or replacing them with goods available in the country;

(b) whether it is a fact that there is still enough scope for reducing the imports; and

(c) if so, the details of future programme in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) As a result of organised measures taken it has been possible to achieve a sizeable reduction in the import of components and raw materials in a number of industries. The saving in foreign exchange on this account during the year 1967 has been about Rs. 30 crores.

(b) Yer, Sir. It is expected that saving in foreign exchange as a result of import substitution measures will progressively increase from year to year.

(c) The following steps are being taken on a continous basis to implement the import substitution programe in each industry:

(i) Substitution of imported raw materials, components and spare parts with indigenously manufactured materials and components of same specifications or of comparable specifications;

(ii) Reduction in the consumption of imported raw material and components per unit of production;

(iii) Progressive change over of production of chemicals and chemical products from intermediates to their production from basic raw materials;

(iv) Acceleration of phased manufacturing programmes to achieve a greater indigenous content in the shortest possible time;

(v) More rigorous scrutiny of the request for capital goods imports with a view to ensuring that the plant and equipment etc. which are already being produced in the country or are likely to be produced in the near future, are not allowed to be imported;

(vi) Instructions to the concerned authorities both in the Central and State Governments to associate the DGTD with the planning of the projects from the very early stages, to ensure that the items of equipment which are capable of being developed within the country are not allowed to be imported for lack of timely planning; and

(vii) A scheme for giving encouragement to the work in the field of import substitution is also under operation under which awards are given to the individuals and institutions that produce practical ideas which give rise to import saving.

जस्ताचढ़ी लोहे की चादरों का निर्माण

4797. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री जुगल मंडल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय जस्ताचढ़ी लोहे की चादरों का प्रतिवर्ष कितना निर्माण होता है; तथा इस समय इन चादरों की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी है ?

(ख) ऐसी चादरें मुख्यतः किन किन कारखानों में बनती है और क्या अधिक कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने अथवा वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक):(क) 1967-68 में जस्ती चादरों का 74,110 टन उत्पादन हुआ था और 1968-69 में 1,68,400 टन उत्पादन होने का अनुमान है। व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद का अनुमान है कि सन् 1970-71 में जस्ती चादरों की मांग 3,35,216 टन होगी।

(ख) और (ग): जस्ती चादरों के 3 मुख्य उत्पादक है—नामशः टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और राउरकेला स्टील प्लान्ट। जस्ती चादरों का उत्पादन काली सादी चादरों के उत्पादन से सम्बद्ध है और चूंकि काली चादरें केवल मुख्य उत्पादकों द्वारा ही उत्पादित हो सकती है अतः अन्य छोटी इकाइयों को लाइसेंस देने का प्रश्न ही नहीं उठता। राउरकेला स्टील प्लांट की विस्तार परियोजना के अन्तर्गत एक जस्तीकरण इकाई स्थापित की गई है। इस इकाई में जुलाई 1968 से जस्ती चादरों का उत्पादन होने लगा है और 1,60,000 टन प्रस्थापित क्षमता की तुलना में 1968-69 में 50,000 टन जस्ती चादरों के उत्पादन की आशा है। निमार्णाधीन बोकारो इस्पात कारखाने में भी निर्माण के प्रथम चरण की पूर्ति के बाद 1,50,000 टन जस्ती चादरों का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।

चाय के बारे में भारत-श्रीलंका करार

4798. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० की० अमीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संयुक्त रूप से चाय बेचने के बारे में हुए करार को कार्यान्वित करने के लिये इस वर्ष मई के अन्तिम भाग में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन विशिष्ट विषयों पर बातचीत हुई थी तथा प्रत्येक विषय के बारे में क्या-क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस करार के परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में 1968-69 में भारतीय चाय का कितना निर्यात बढ़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) मिश्रित तथा पैकेट बंद चाय की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त चाय सार्थ संघ का संविधान तैयार करने और उसके लक्ष्यों, कार्यों, वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वरूप तथा कार्य विधियों का क्षेत्र ठीक-ठीक परिभाषित करने के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना करने पर दोनों देश सहमत हो गये हैं। श्रीलंका व भारत की सरकारों ने सार्थ संघ के ज्ञापन तथा अंतर्नियम तैयार करने के कार्यकारी दलों की स्थापना की हैं। मामले पर अन्तिम निर्णय करने के लिये दोनों देशों के कार्यकारी दलों की संयुक्त बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जायेंगी।

अन्य किये गये विनिश्चय संयुक्त विपणन सर्वेक्षण, नये बिक्री स्थलों की वांछनीयता के विशेष संदर्भ में वर्तमान नीलामी व्यवस्था की संयुक्त समीक्षा, दोनों देशों में हो रहे चाय गवेषणा कार्य के समन्वय के लिये संयुक्त समिति स्थापित करने से सम्बन्धित हैं। इन विनिश्चयों की कार्यान्वित के लिये किये जाने वाले उपायों पर शीघ्र ही श्रीलंका के साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

(ग) अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्रीलंका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स संयंत्र

4799. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र का आकार क्या होगा और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का श्रीलंका में मशीनों के औजार बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने उस देश में मशीनी औजारों के कारखाने की स्थापना के लिए श्रीलंका के संगठन को तकनीकी सहयोग तथा सहायता देने का प्रस्ताव किया है। श्रीलंका के संगठन की प्रार्थना पर श्रीलंका में मशीनी औजारों के संयंत्र के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने एक विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया है और उसके विवरण पर बातचीत चल रही है।

रूस के साथ सहयोग संबंधी प्रबन्ध

4800. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि भविष्य में भारत के साथ किये जाने वाले सभी सहयोग सम्बन्धी प्रबन्धों में आधी से अधिक पूंजी भारत की होगी;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये कितने योजना ऋण की मजूरी दे दी गई है और नवीनतम करार के अन्तर्गत रूस की सहायता का मुकाबला करने के लिये कितने भारतीय रुपयों की आवश्यकता होगी; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योग के किन विशेष क्षेत्रों में रूस का सहयोग मिलने की सम्भावना है और क्या यह सच है कि रूस की सहायता का मुकाबला करने के लिये रूस में भारतीय साधन जुटाने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो वे कठिनाइयां कितनी है तथा उनका स्वरूप क्या है और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इन परियोजनाओं में सोवियत रूस ने कोई विनियोजन नहीं किया है ।

(ख) आर्थिक सहयोग करार दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के अन्तर्गत सोवियत रूस ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की सहायता का संकेत दिया है । चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं कि 250 करोड़ रुपये की रूसी सहायता प्राप्त करने के लिये कितने रुपये के साधन जुटाने होंगे ।

(ग) चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है इसलिए इस अवस्था में यह कहना सम्भव न होगा कि चतुर्थ योजना में रूसी सहायता का प्रयोग किन किन उद्योगों में और किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा ।

रूसी सहायता से स्थापित की गई और स्थापित की जा रही परियोजनाऐं रुपये के साधनों की कमी के कारण प्रभावित नहीं हुई । सामान्य नीति यह रही है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्विति के लिए आवश्यक रुपये के साधनों को योजना तथा बजट के आवंटन से ही जुटाया जाये ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4801. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और यह निर्यात 1966 और 1967 में किये गये निर्यात की तुलना में कितना है;

(ख) क्या विश्व के बाजारों में हमारे मूल्य प्रतियोगी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि लौह-अयस्क पर लगाया गया निर्यात शुल्क निर्यात की वृद्धि में बाधक सिद्ध हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निर्यात को बनाये रखने के उद्देश्य से निर्यात शुल्क में कमी या समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1968 के पूर्वार्द्ध में तथा 1966 तथा 1967 की उन्हीं अवधियों में भारत का मैंगनीज अयस्क का निर्यात निम्नलिखित था :—

	मात्रा
1968 (जनवरी से जून)	6,31,002 मे.टन
1967 (जनवरी से जून)	5,75,401 मे. टन
1966 (जनवरी से जून)	6,47,240 मे. टन

(ख) से (घ): कतिपय गन्तव्यों के लिये मैंगनीज अयस्क के कुछ माल के मूल्य प्रतियोगी नहीं हैं परन्तु यह कहना उपयुक्त नहीं है कि हमारे निर्यातों की वृद्धि में निर्यात शुल्क बाधक है। सरकार की धारणा है कि इस समय निर्यात शुल्क में कमी हमारे निर्यात व्यापार के अधिकाधिक हित में नहीं होगी।

झांसी भुसावल यात्री गाड़ी

4802. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों में झांसी-भुसावल यात्री गाड़ी का इटारसी-नागपुर यात्री गाड़ी से कितनी बार मिलान हुआ ;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को भोपाल से नागपुर के रास्ते होकर आना तथा जाना पड़ता है क्या 'अप' और 'डाउन' नागपुर-इटारसी यात्री गाड़ियों के भोपाल तक बढ़ाये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि भोपाल स्टेशन पर गाड़ी के अन्तिम स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं नहीं हैं, तो भोपाल स्टेशन तक जाने वाली तथा वहां से चलने वाली अन्य गाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1-4-68 से पहले 358 अप झांसी-भुसावल सवारी गाड़ी और 394 डाउन इटारसी-नागपुर सवारी गाड़ी का इटारसी स्टेशन पर मेल निर्धारित नहीं था। अप्रैल से अक्टूबर, 1968 तक के सात महीनों के दौरान 24 बार यह मेल हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भोपाल स्टेशन पर उपलब्ध टर्मिनल सुविधाएं केवल इतनी हैं कि उनसे मध्य और पश्चिम रैलों की उन गाड़ियों को संभाला जाता है जो वहां समाप्त होती है और इस प्रकार फिलहाल किसी और गाड़ी को वहां समाप्त करने की गुंजाइश नहीं है।

माल छुड़ाई के लिए बैंक गारन्टी

4803. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे रसीद के खो जाने पर केवल 'क्षतिपूर्ति बन्ध' (इन्डेमनिटी बांड) के प्रस्तुत किये जाने पर माल को छुड़ाया नहीं जा सकता ;

(ख) क्या माल को छुड़ाने के लिये बैंक गारन्टी आवश्यक है ; और

(ग) क्या क्षतिपूर्ति बन्ध प्रस्तुत किये जाने के बाद भी पूर्व रेलवे हावड़ा पर बैंक गारन्टी देने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यदि रेलवे रसीद खो गयी हो, तो क्षतिपूर्ति नोट पर माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है बशर्ते क्षतिपूर्ति नोट को स्वीकार करने वाले कर्मचारी को सुपुर्दगी मांगने वाले पक्ष की सदाशयता और जामिन की साख का इत्मीनान हो ।

(ख) यदि क्षतिपूर्ति नोट को स्वीकार करने वाले कर्मचारी को जामिन की साख का इत्मीनान न हो अथवा सुपुर्दगी मांगने वाले पक्ष के अधिकार के बारे में सन्देह हो, तो बैंक गारन्टी मांगी जा सकती है ।

(ग) हावड़ा में जब सुपुर्दगी की अनुमति देने वाले कर्मचारी को क्षतिपूर्ति नोट के जामिन के सम्बन्ध में इत्मीनान नहीं होता, तो सामान्यतः बैंक गारन्टी पर जोर दिया जाता है ।

Cement Factories in Rajasthan

4804. Shri Ramavtar Sharma : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any plan for the setting up of three cement factories in Rajasthan is under consideration of Government;

(b) if so, the names of places whether the said factories would be set up and the time by which they are proposed to be set up ; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred on the said factories and details regarding their production capacity ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : The cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act 1951 with effect from 13th May, 1966. No proposal is under the consideration of Govt. Two new cement factories are expected to be set up in Rajasthan in the private sector in the next two or three years as indicated below:—

Location	Capacity (Tonnes)	Expected date of completion	Cost of the project
1. Udaipur	200,000	1970	Rs, 430 lakhs
2. Beawar	400,000	1970 (1st stage)	Rs. 900 lakhs

Besides the capacity of the two existing cement factories in Rajasthan at Chittorgarh and at Sawai Madhopur are also proposed to be expanded by an additional annual capacity of 2 lakhs tonnes each by 1970-71.

क्यूबा और उत्तर वियतनाम से भारत के व्यापार सम्बन्ध

4805. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के क्यूबा से कब से व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या भारत और अमरीका के बीच हुए विभिन्न व्यापार और ऋण समझौतों में कोई ऐसी शर्त है जिसके अन्तर्गत भारत को उत्तर वियतनाम और क्यूबा से व्यापार सम्बन्ध बनाये रखने से मना किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों देशों से व्यापार सम्बन्ध समाप्त करने तथा इसके साथ-साथ दक्षिण वियतनाम से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : भारत, क्यूबा तथा उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाये हुए है।

(ग) सं० रा० अमरीका के सहायता विधान के अनुसार एक ओर तो क्यूबा तथा उत्तर वियतनाम तथा दूसरी ओर सहायता प्राप्त करने वाले देशों के बीच व्यापार पर कुछ प्रतिबन्ध हैं किन्तु उससे इन देशों के साथ भारत के व्यापार पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

दक्षिण वियतनाम को निर्यात

4806. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 से 1967-68 तक (वर्ष वार) दक्षिण वियतनाम को कुल कितनी मात्रा में प्रत्येक माल का निर्यात किया गया ; और

(ख) इस माल के निर्यात करने वालों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1962–63 से 1967–68 तक की अवधि में दक्षिण वियतनाम को हमारे वर्षवार निर्यातों (मात्रा तथा मूल्य दोनों में) को, मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2749/68] विस्तृत आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय विभाग के 'मंथली स्टेटिसटिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया' नामक प्रकाशन में मिलेंगे।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय विभाग, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आयात/निर्यात के आंकड़ों में निर्यातकों के नाम नहीं होते।

बिजली के सामान का आयात

4807. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये अपेक्षित प्रत्येक श्रेणी के बिजली के सामान का, जो 1964–65 से 1967–68 तक आयात किया गया है, (वर्षवार) कुल मूल्य क्या है ; और

(ख) इस अवधि में भारत में उत्पादित प्रथम श्रेणी के बिजली के सामान का (वर्ष वार) मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं हेतु आयातित बिजली के सामान के मूल्य के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 1964–65 से 1967–68 की अवधि में बिजली के वितरण के लिये बिजली की मशीन, स्विच-गियर तथा उपकरण के वर्षवार आयात का एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2750/68]

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2750/68]

निरीक्षण और जांच निदेशालय

4808. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग के अधीन एक निरीक्षण और जांच निदेशालय अपनी मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई स्थित शाखाओं सहित नियमित क्षेत्र में धांधलेबाजी अधिकार और धन के दुरुपयोग जैसे कदाचारों को रोकने का काम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में निदेशालय की प्रत्येक शाखा द्वारा कितने-कितने कदाचार के मामले प्रकाश में लाये गये है ; और प्रत्येक मामले में कदाचार का स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) निरीक्षण एवं जांच-पड़ताल निदेशालय की इकाइयां दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत, निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये, कि कम्पनियां अपने लेखे की किताबें उचित रुप से तैयार करें, तथा स्वस्थ कम्पनी कार्य-प्रणाली अपनाये, होता है। जब विभाग को प्रतारण, उपकरण इत्यादि युक्त प्रथम दृष्टया मामले दृष्टिगोचर होते है, तो उनके लिये जांच-पड़ताल आदेश दिये जाते हैं। जहां ऐसी सामग्री प्राप्त होती है, जिसके अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत, अपाहरण अथवा कुछ अन्य अपराध किये गये हों तो इस प्रकार के मामले, जांच-पड़ताल तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को सौंप दिये जाते हैं। यदि निरीक्षण रिपोर्टों से, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन प्रकाश मे आते है, तो यह कम्पनियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा जहां उचित हो वहां मुकदमा दायर करने के लिये, सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रारों को भेज दिये जाते है।

(ख) उन कम्पनियों की एक सूची, जिनके बारे में, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जांच-पड़ताल के आदेश दिये गये है, अथवा, आगे कार्यवाही के लिये, पुलिस को सौंपे गये हैं, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2751/68]

मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स

4809. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स के नियन्त्रण में कौन-कौन सी कम्पनियां (एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार) ऐसी हैं जिन्होंने वित्तीय और तकनीकी मामलों में विदेशों के साथ समझौते किये हुए हैं ; और

(ख) प्रत्येक ऐसे करार की शर्तों का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विदेशी सहयोग करारों का व्यौरा गोपनीय समझा जाता है ।

पठानकोट से बैजनाथ पपरोला तक यात्री गाड़ियों का चलना

4810. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट से बैजनाथ पपरोला जाने तक वहां से वापिस लौटने वाली गाड़ियों में नौ डिब्बे के रेकों के बारे में सहमति हो गई है तथा उनके लिये आदेश दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पपरोला बैजनाथ से पठानकोट जाने वाली अप और डाउन गाड़ियों में विशेषकर 2 पीबीजे हमेशा बहुत भीड़ होती है ; और

(घ) यदि हां, तो गाड़ियों में भीड़ कम करने और उचित रेकों को चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पठानकोट बैजनाथ पपरोला छोटी लाइन खण्ड की 8 गाड़ियों में से 4 में नौ-नौ डिब्बे, 2 में आठ-आठ डिब्बे और 2 में सात-सात डिब्बे लगाना निर्धारित है ।

(ख) डिब्बों के क्षतिग्रस्त हो जाने और/अथवा भार परिसीमन के कारण कुछ अवसरों पर उपर्युक्त गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां निर्धारित संख्या से कम डिब्बों के साथ चलीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

कांगड़ा घाटी रेलवे पर पुराने रेल डिब्बे

4811. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी रेलवे में रेल के डिब्बे विशेषकर, इंजन, माल-डिब्बे और कुछ यात्री डिब्बे, पुराने, बेकार तथा ऐसे हैं जिनके प्रयोग की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अत्यधिक पुराने इंजन रास्ते में ही बिगड़ जाते हैं और अत्यधिक पुराने तथा कम माल की क्षमता वाले माल डिब्बे स्टेशनों के बीच माल की ढुलाई में बाधा उत्पन्न करते हैं , और

(ग) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन पर ऐसे इंजनों और माल-डिब्बों को बदलने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : यह ठीक है कि कांगड़ा-वैली खण्ड पर इस्तेमाल होने वाले कुछ रेल इजन, माल डिब्बे और सवारी डिब्बे गतायु हो चुके हैं लेकिन इस चल-स्टाक को ठीक हालत में रखा जाता हैं ।

(ख) यदि गतायु इंजनों की देख-भाल अच्छी तरह से की जाये तो दूसरे इंजनों की अपेक्षा इन में अधिक बार खराबियां नहीं आती । इस समय इन इंजनों का काम सन्तोषजनक है । लेकिन इस खण्ड पर माल डिब्बों की कमी है और चल-स्टाक की उपलब्धता के अनुसार यातायात का नियमन किया जाता है ।

(ग) गतायु चल स्टाक के बदलाव का काम एक सतत प्रक्रिया है और कांगड़ा वैली रेलवे सहित सभी भारतीय रेलों पर कार्यक्रम के आधार पर बदलाव किया जाता है जो चल स्टाक की हालत और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

Patna City Station

4812. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Secretary of the Managing Committee of Takht Harimandirji, Patna Sahib, handed him a letter when he visited the place on the 16th September, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that he had given written suggestions about change in the name of Patna City Station, provision of train and other facilities and improvement in the Condition of the station etc. along with that letter ;

(c) if so, the details of the suggestions ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d) : A statement giving brief details of the suggestions made and the remarks thereon is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. L. T 2752/68]

Bidi Production

4813. Shri Ramavtar Shastri : Shri K. Ramani :
Shri K. M. Abraham : Shri Mohammad Ismail :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bidi production in India has increased since the year 1963-64 ;

(b) If so, total production of Bidis during each year thereafter

(c) whether there has been an increase in the wages of Bidi workers alongwith the increase in production of Bidis ;

(d) if so, the comparative figures in respect thereof ;

(e) the quantity of Bidis consumed within the country and the quantity exported and the names of the countries to which it was exported ; and

(f) the amount of foreign exchange earned thereby during the last ten years (year-wise) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Bidis are manufactured in the cottage and small scale sectors. There is no large-scale bidi manufacturing unit in the country. Exact figures of production are not available. However, approximate quantities of unmanufactured tobacco cleared for the manufacture of bi is during 1963-64 to 1967-8 are given below:-

Year	Quantity (000) Kgs.
1963-64	60397
1964-65	68944
1965-66	67873
1966-67	70460
1967-68	72313
Total	339987

(c) and (d) : The rates of minimum wages fixed revised by the State Governments for the lowest paid unskilled workers in employment in tobacco manufactories (including bidi making) are indicated in Table 4.9 of the Indian Labour Statistics, 1968

(e) 703 Metric Tonnes of bidis were exported from India during the years 1963-64 to 1967-68 The countries to which these were exported are Aden, Bahrein Is. Kuwait, Ceylon, Muscat. Qtr. Trl. Omn, Saudi Arabia, Afghanistan, Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Kenya, Tanzania, U. S. A., Finland, Sweden The figures of consumption of bidis within the country are not available. However, from the quantities of unmannfactured tobacco released for bidi manufacture and the quantities exported during these 5 years, bidis manufactured out of 339284 tonnes of to b bacco are estimated to have been consumed within the country.

(f) Foreign exchange earned from bidi exports during the 10 years 1958-59 to 1967-68 was Rs, 4,23,17,116.

Demand for revision of pay Scales of Railway Meehanical Workers

4814. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association had handed over a memorandum to Government for upward revision of pay scale for Railway Mechanical Workers ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) : Certain representations have been received in this connection ; it has not been possible to accede to the request for revision of scales of pay.

Traffic Substitute Labourers of Danapur

4815. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) whether it is a fact that 24 substitute labourers employed in the Traffic Department at Danapur on the Eastern Railway had sent a joint representation to the Divisional Superintendent, regarding departmental irregularities, on the 1st October 1968 ;

(b) whether copies of the said representation were also sent to other officials of the Railway ;

(c) whether it has been stated in the representation that for the past one year, Officers have been removing the names of regular substitute labourers from the list arbitrarily and keeping the persons of their own choice ;

(d) whether several instances have also been pointed out in the representation ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto and the action taken to check these irregularities ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, but the date of joint representation is 11-10-1968.

(b) Yes,

(c) Yes.

(d) One instance of alleged irregularity has been pointed out.

(e) The matter is being looked into.

कारों का निर्माण

4816. श्री रा० की० अमीन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कार निर्माण करने वाले तीनों कारखाने अपनी वर्तमान क्षमता से कम निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाभप्रद आधार पर कार निर्माण के लिये वर्तमान कारखानों से बड़ा कारखाना होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों को अधिकतम निर्माण के योग्य बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश के तीन कार निर्माण संयंत्रों में से केवल एक संयंत्र जिसका नाम मे० स्टैण्डर्ड मोटर्स प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि० मद्रास है इस समय आंकी गई क्षमता से कम पर काम कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) आर्थिक दृष्टि से लाभकारी उत्पादन के लिए संयंत्र के आकार के अतिरिक्त लागत तथा मूल्य में बचत के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के आधार पर संयत्र का अभिन्यास भी आवश्यक है। कारों की अनुमानित मांग और विद्यमान स्तर से अधिक विस्तार के लिए शेष क्षमता की उपलब्धि भी विचारणीय है। इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुभव किया जाता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के पूर्ण लाभ तथा मूल्यों में कमी को पुराने उपकरणों से तथा पुराने ढंग से विद्यमान एककों के विस्तार से प्राप्त नहीं किया जा सकता कारों की अतिरिक्त क्षमता का समूचा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बासेन रोड़ स्टेशन के निकट बस और रेलगाड़ी की टक्कर

4817 श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में बिजली से चलने वाली उपनगरीय रेल गाड़ी की 21 अक्तूबर, 1968 को बम्बई से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बासेन रोड़ स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक बस से टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितने व्यक्तियों को चोटें आई ;

(ग) दुर्घटना होने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चें० मु० पुनाचा) : (क) महाराष्ट्र राज्य परिवहन को एक बस बसीन रोड़ स्टेशन के पास पश्चिम की ओर के बन्द समपार फाटक नं० 37 को तोड़ कर विरार से चर्चगेट जाने वाली बिजली उपनगरीय गाड़ी नं० 66 अप से टकरा गयी, जो उस समय समपार गुजर रही थी।

(ख) इस दुर्घटना में बस के 26 व्यक्तियों को, जिनमें बस का ड्राइवर भी शामिल था, चोटें आयीं, जिनमें से 10 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए।

(ग) प्रत्यक्षतः ऐसा जान पड़ता है कि ड्राइवर समपार फाटक की ओर आते समय तेजी से बस चला रहा था और बस पर नियन्त्रण न रख सका, जिससे बस समपार के बन्द फाटक को तोड़ कर गाड़ी से जा टकरायी।

(घ) राज्य परिवहन प्राधिकारियों (महाराष्ट्र सरकार) ने इस दुर्घटना का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर ले लिया है और घायलों को अनुग्रह भुगतान की व्यवस्था की है।

हंगरी से व्यापार करार

4818. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में हंगरी से वर्ष 1969 के लिए व्यापार करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत तथा हंगरी के बीच 22 नवम्बर 1963 को हुए एक द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत, जो 1970 के अन्त तक वैध है, वर्ष 1969 में लगभग 54 करोड़ रुपये मूल्य के माल के विनिमय के सम्बन्ध में दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के बीच 28 अक्तूबर, 1968 को बुडापेस्ट में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

परम्परागत मदों के अलावा भारत हंगरी को खनिज अयस्कों, रेलवे-माल डिब्बों, सिले सिलाये वस्त्रों, वस्त्र-उत्पादों, जूते तथा चमड़ा उत्पादों, तार-रस्सों, मोटरगाड़ी अनुषंगी सामग्री, एस्बस्टोस उत्पादों, रेयन टायर कोर्ड और धागे तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी माल का निर्यात करेगा।

हंगरी भारत को इस्पात तथा इस्पात उत्पाद, जिनमें ड्राम की चादरें शामिल हैं, रेलवे उपकरण, उर्वरक, औषधें तथा भेषजें, रसायन जिनमें भारी रसायन शामिल हैं, और मशीनों तथा उपकरणों की अन्य मदों की पूर्ति करेगा।

रेलवे सामग्री का मध्य पूर्व देशों को सप्लाई किया जाना

4819. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पश्चिम एशिया के कुछ देशों से रेलवे लाइन के निर्माण के लिये आवश्यक रेल की पटरी तथा अन्य रेलवे सामग्री सप्लाई किये जाने के बहुत से आदेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कुल कितनी आय होने का अनुमान है और विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी आय होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक प्राप्त हुए क्रयादेशों का कुल मूल्य लगभग 11 करोड़ रुपये हैं। इस समय विदेशी मुद्रा के रूप में आय की ठीक-ठीक मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सोडियम सल्फाइड के लिये आयात लाइसेंस

4820. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडियम सल्फाइड आयात करने के लिये गत वर्ष कितनी-कितनी मात्रा के लिये तथा कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा के आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता था कि राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फाइड कारखाना देश की सारी मांग को पूरा कर सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये लाइसेन्स उपर्युक्त कारखाने में उपलब्ध मात्रा से अधिक अपेक्षित मात्रा के लिये जारी किये गये थे अथवा सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सोडियम सल्फाइड के आयात पर गत वर्ष रोक थी।

(ख) राजस्थान सरकार का कारखाना सोडियम सल्फाइड का उत्पादन नहीं करता। उसमें सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है जिसके आयात पर भी अप्रैल, 1968 से रोक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Ticketless Travel in Bihar

4821. Shri Sarda Nand : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons caught for travelling without tickets at Barauni, Jamalpur, Katihar, Samastipur, Danapur and Sonepur stations since 1st January, 1968 :

(b) the amount realized by Government as penalty from them ; and

(c) the number of persons arrested for not paying the amount of penalty ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) : A statement giving the requisite information is laid on the Table fo House [Placed in Library See No. L T.2753/68]

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

4822. Shri Sharda Nand : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of Czechoslovakian technicians working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi as on the 1st August, 1968.

(b) The number of Czech technicians working in the Corporation at present ; and

(c) the number of Czech technicians who left working in the Corporation after Soviet intervention is Czechoslovakia and the names of the countries to which they went ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The number of Czech technicians working in the Corporation on 1st August, 1968 was as follows:-

(i)	Foundry Forge Project	208
(ii)	Heavy Machine Tools Project	20
		228

(b) The number of Czech technicians working as on 1st December, 1968 was as follows :-

(i)	Foundry Forge Project	180
(ii)	Heavy Machine Tools Project	19
		199

(c) In the month of October, 1968, seven Czech experts left for Canada. This is in addition to the Czech experts who left for Czechoslovakia after completing their contract period.

India's Exports and Imports

4823. Shri Sharda Nand : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of the goods exported by India since 1st January, 1968 and the names of countries to which these goods were exported ; and

(b) the value of goods imported during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b): The total value of India's exports (including re-exports) and imports during the period 1st January, 1968 to 30 th September, 1968 have been Rs. 969 crores and Rs. 1448 crores respectively.

Country-wise break up of these figures is available in the "Monthly Statistics of the Foreign Trade of India" a publication brought out by the Director General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

'हिन्दुस्तान,' स्टैन्डर्ड और 'फिएट' कारें

4824. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरकार उद्योग को जब सरक्षण दिया गया, तो 'हिन्दुस्तान फिएट' और 'स्टैण्डर्ड' कारों के विक्रय मूल्य क्या थे और अब इन के विक्रय मूल्य क्या है ;

(ख) विक्रय मूल्य में वृद्धि के क्या कारण है ; और

(ग) विक्रय मूल्य किस स्तर पर और कब तक स्थिर होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1956) के आधार पर मूल्यों के पुनरीक्षण के पूर्व जनवरी, 1957 के तीन मेकों के कारखाना निकले विक्रय मूल्य और इनके वर्तमान कारखाना निकले विक्रय मूल्य इस प्रकार है:—

कार का मेक	जनवरी, 1957 में प्रचलित कारखाना निकले खुदरा मूल्य	वर्तमान कारखाना निकले खुदरा मूल्य
हिन्दुस्तान	9,845	14,892
फिएट	8,847	13,551
स्टैण्डर्ड	9,450	14,003 (4 दरवाजे)

(ख) उत्पादन लागत बढ़ जाने, आयातित पूर्जों के मूल्य में वृद्धि हो जाने, सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क और अन्य सरकारी करों में वृद्धि हो जाने, टायरों व ट्यूबों के मूल्य बढ़ जाने, आयातित पुर्जों के स्थान पर देसी पुर्जों का प्रयोग करने पर लागत बढ़ जाने और स्टैण्डर्ड कार के सम्बन्ध में दो दरवाजों के स्थान पर चार दरवाजे कर दिये जाने जैसे अनेक कारणों से पिछले कुछ वर्षों से कारों की कीमतें बढ़ गई हैं।

(ग) कारों की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं जैसे पुर्जों व कच्चे माल की कीमतें तथा उत्पादकों की मंजूरी का बिल।

Profits earned by State Trading Corporation

4825. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rate of profit earned by the State Trading Corporation is far less than that of the private sector ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps contemplated by Government to run the State Trading Corporation on commercial basis in view of the recommendations made by the Review Committee on the S. T. C. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshe) : (a) and (b) : The Corporation is not essentially a profit making organisation. It undertakes various promotional activities which are not normally undertaken by the private sector and they sometimes involve losses. As the Corporation is also a service organisation, it does not take advantage of certain special situations to make excessive profits. On balance, therefore, its rates of profits have been modest as compared to the private sector.

(c) The final recommendations of the S. T. C.'s Review Committee are still awaited. Government would consider the final report which is expected by the end of may, 1969 for further action.

Industrial Development in Bihar

4826. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government has prepared any Scheme in regard to the Industrial development in the State during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the details of the scheme ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) These schemes of industrial development have been prepared by the Government of Bihar, for the purpose of the Fourth Five Year Plan for the State. The plan proposed by the State is presently under consideration and no decision has yet been taken on it.

रूस को निर्यात करने के लिये माल डिब्बों का निर्यात

4827. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस जिस प्रकार के रेलवे के डिब्बे भारत से खरीदने का इच्छुक है उस प्रकार के डिब्बों के निर्माण के लिये कारखानों को नया रुप देना आवश्यक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो कारखानों को नया रूप देने पर क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्कूल और कालिज

4828. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के उन स्कूलों और कालिजों के सैक्शनों और अध्यापकों, लैक्चरारों के क्या नाम हैं जो उन कक्षाओं को वैकल्पिक विषय पढ़ा रहे है जिनमें पांच से कम विद्यार्थी पढ़ते हैं ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन कक्षाओं में वैकल्पिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या क्या थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : भाग (क) और (ख) से सम्बन्धित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 2754/68]

गुना-मकसी रेलवे लाइन

4829. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारण है कि गुना-मकसी रेलवे लाइन पर लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद काम रोक दिया गया है जब कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए केवल 3 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है ;

(ख) क्या 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर देने से पूर्व वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मिट्टी के काम का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया था ;

(ग) क्या इस वर्ष वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी के सैंकड़ों स्थानों से पूरी तौर से बह जाने से हुई भारी क्षति की उन्हें जानकारी है ;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा करने का विचार है ताकि स्थानीय लोग भय मुक्त हो सकें ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) धन की कमी और इस क्षेत्र में यातायात की वृद्धि की दर का जो अनुमान पहले लगाया था, उसकी तुलना में यातायात की वृद्धि की दर धीमी रही । इसलिए इस लाइन के निर्माण-कार्य की गति धीमी कर दी गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यद्यपि इस वर्ष वर्षा और बाढ़ों के कारण मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन मालूम हुआ है कि किसी भी स्थान पर डाली हुई मिट्टी पूरी तरह बह नहीं गयी है । ठेके की शर्तों के अनुसार अलग-अलग टुकड़ों का काम समाप्त करके उन्हें रेल प्रशासनों को सौंपने से पहले, काम चालू रहने के दौरान यदि मिट्टी के काम को कोई नुकसान होता है, तो उसे ठेकेदार पूरा करेंगे ।

(घ) और (ङ) : इस क्षेत्र में यातायात की वृद्धि की दर और पर्याप्त धन की उपलब्धि को ध्यान में रखकर इस लाइन को पूरा करने के लिए संशोधित तारीख निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कृष्णा फाइनेन्स ट्रान्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड

4830. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा फाइनेन्स ट्रान्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली जिसका दिवाला 23 अक्टूबर, 1968 को निकल गया था, के निदेशक ने उच्च न्यायालय के सामने एक शपथ पत्र में यह घोषित किया था कि कम्पनी की आस्तियां 14,00,000 रुपये की थी और उसकी प्रदत्त पूंजी 25,00,000 रुपये थी और उसे अपने जमाकर्ताओं को 11,00 000 रुपये की धनराशि देनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी के खातों की 30 जून, 1965 के बाद लेखा-परीक्षा नहीं की गई थी ;

(ग) निदेशक द्वारा 14,00,000 रुपये की अस्तियों का दावा करने के बावजूद भी सरकारी परिसमापक द्वारा जमाकर्ताओं को कोई लाभांश न दिये जाने के क्या कारण है ;

(घ) निदेशकों द्वारा झूंठा शपथ पत्र देने के कारण उन पर कानूनी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ; और

(ङ) कम्पनी के निदेशकों के क्या नाम हैं और उसे किस तारीख को रजिस्टर किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक निदेशक (श्री एच० के० दास शर्मा) में उच्च न्यायालय के समक्ष 4-8-1967 के अपने

शपथ पत्र में कहा था कि "लगभग 14 लाख रुपयों का धन, विभिन्न पार्टियों से प्राप्त करना है, इसके मुकाबिले कम्पनी को 11 लाख रुपयों का धन देना है"।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) कम्पनी की परिसम्पति मुख्यतः, ऋण के रूप में कम्पनी द्वारा वाहनों के लिये दी गई अवक्रेता ऋणीयों को देय हैं। यह कथित ऋण अभी प्राप्त करने हैं। अंशदामियों तथा जमाकर्ताओं की सूची, न्यायालय द्वारा अभी निश्चित नहीं की गई है। देने का प्रश्न, न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार, अधिकार निर्णित होने के पश्चात ही उत्पन्न होगा।

(घ) चूंकि शपथ-पत्र से केवल परिसम्पति तथा देयता के अनुमानित आंकड़ों का ही पता चलता है, अतः इस स्तर पर, पग उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) समापन आदेश की तिथि पर, जो व्यक्ति कम्पनी के निदेशक थे, वह निम्नांकित है:—

1. श्री एच० के० दास शर्मा
2. श्री जे० एम० अरोड़ा
3. श्री एम० एल० अग्रवाल
4. श्री हन्स राज पुरी
5. श्री एम० एल० सेठ

कम्पनी 3 जून, 1957 को पंजीकृत की गई थी।

टिकट कलक्टरों की वरिष्ठता का निर्धारित किया जाना

4831. श्री उमानाथ :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के बारे में सरकार को 11 जून, 1968 को टिकट कलक्टरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और मामले को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) विशिष्ठ ब्यौरे के अभाव में, इस प्रकार के किसी अभ्यावेदन को ढूंढ निकालना संभव नहीं हो सका है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रूसी और अमरीकी फिल्मों का आयात

4832. श्री बासुमतारी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को प्रति वर्ष आयात की जाने वाली रूसी और अमरीकी फिल्मों की संख्या क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में रूसी और अमरीकी फिल्मों के आयात में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है चूंकि आयातित फिल्मों की संख्या के अनुसार रिकार्ड नहीं रखे जाते । गत तीन वर्षों में फिल्मों के आयात को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1965-66, 1966-67, तथा 1967-68 में सिनेमा की तैयार फिल्में (धुली हुई अथवा अन्यथा) के आयात का विवरण ।

परिमाण हजार मीटरों में
मूल्य हजार रुपये में
(अवमूल्यन के पश्चात की दर से)

क्रमांक	देश	1965-66		1966-67		1967-68	
		परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1.	सं० रा० अमरीका	1068	1554	1141	1906	735	1221
2.	सोवियत संघ	51	178	149	157	31	69

(ख) 1965-66 की तुलना 1966-67 में फिल्मों के आयात में वृद्धि हुई परन्तु 1967-68 में काफी गिरावट आई ।

दिल्ली/फिरोजपुर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टर की वरिष्ठता सूची

4833. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे का जनरल मैनेजर पिछले दस वर्षों से दिल्ली/फिरोजपुर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने में असफल रहा है ;

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1968 को जनरल मैनेजर द्वारा परिचालित अन्तिम वरिष्ठता सूची के बारे में अभी भी आपत्ति उठाई जा रही है और यदि हां, तो गलत वरिष्ठता सूची बनाने वाले कर्मचारियों के क्या नाम है ;

(ग) क्या गलत वरिष्ठता और पदोन्नति के बारे में मुख्य लेखा परीक्षक, दिल्ली द्वारा 1966 में उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी, जनरल मैनेजर उत्तर-पश्चिम रेलवे, लाहौर के दिनांक 27-11-43 सख्या 847-ई/48 और जनरल मैनेजर, दिल्ली दिनांक 14-6-61

को पत्र संख्या 757 डब्लू/24-IV (ई आई बी) के अनुसार यह वरिष्ठता सूची है, यदि और नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या 1954 से सूची को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण कर्मचारियों को स्थायी बनाने के कार्य रुक पड़े हैं ; और

(च) सूची को ठीक तैयार न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आसाम में सीमेंट कारखाना

4834. **श्री बासुमतारी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम के बोकाजन में एक सीमेंट कारखाने के स्थापित किये जाने के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के आसाम स्थित बोकाजन में 2 लाख मी० टन की क्षमता वाले सीमेंट के कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर योजना आयोग से परामर्श किया जा रहा है और यह अभी विचाराधीन है।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

4835. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख) : मूल्यों पर अब कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मूल्य अधिसूचित किये जाते हैं। संयुक्त संयंत्र समिति ने 30 जुलाई, 1968 को विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात के संशोधित मूल्यों की घोषणा की थी। संशोधित मूल्य सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2755/68]**

ट्रैक्टरों का उत्पादन

4836. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री न० कु० सांघी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि ट्रैक्टरों के उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता को पूरे तौर पर भी काम में लाया जाये फिर भी प्रतिवर्ष लगभग 35,000 ट्रैक्टरों की कमी रहेगी ;

(ख) क्या कृषि के क्षेत्र में हो रही प्रगति की राह में इस मांग तथा सप्लाई के अन्तर के कारण बाधा पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि ट्रैक्टरों की कमी कृषि के विकास की प्रगति में बाधा न बने ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कृषि विभाग द्वारा किये गये पूर्वांकन के अनुसार सन् 1973-74 तक कृषि ट्रैक्टरों की मांग 90,000 प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है। जबकि सन् 1973-74 तक देशीय ट्रैक्टरों का उत्पादन 50,000 अदत प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है।

(ख) और (ग) : मांग और देशीय उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये देश के उत्पादनकर्ताओं को अपनी अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग के शीघ्र विकास के शोषण की दृष्टि से दिनांक 7 फरवरी, 1968 से इस उद्योग को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट दे दी गई है। उद्योग को लाइसेन्स से छूट देने पर एक योजना सिद्धान्त रूप में रूसी ट्रैक्टर (डी टी-14 बी) के उत्पादन के लिए स्वीकृत कर ली गई है। इस क्षेत्र में नये एककों के स्थापित करने के अन्य अनेक प्रस्तावों पर कार्यवाही हो रही हैं। इस अवधि में कृषीय उत्पादन की प्रगति में रुकावट न हो इस हेतु ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दे दी गई है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बांसपानी से जोरूरी तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

4837. श्री गु० चं० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण पूर्व रेलवे के बांसपानी से जोरूरी तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव दिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में जोरूरी से बांसपानी के बीच कितना लोहा तथा मैंगनीज़ अयस्क सड़क द्वारा लाया ले जाया गया ;

(ग) इस अयस्क को सड़क द्वारा लाने ले जाने पर कुल कितनी लागत आई ;

(घ) इस तथ्य को देखते हुए कि खान मालिकों ने लाइन के बढ़ाये जाने पर आने वाली लागत को देने का वचन दिया है, क्या इस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो इस रेलवे के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे नियमों में संशोधन

4838. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विधि तथा गृह-कार्य मंत्रालय के मंत्रियों के परामर्श से रेलवे नियमों तथा संबंधित कानून में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) हाल में संसद् के दोनों सदनों ने भारतीय रेल अधिनियम 1890 में एक संशोधन पास किया है और गाड़ियों के चलने में रुकावट डालने और सिगनल गियर से छेड़-छाड़ करने अथवा इसी तरह की अन्य बातों से निबटने के लिए उसमें धारा 100 बी जोड़ी गयी है।

(ख) इस धारा (100-बी) में उस रेल कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था है जो धरना देकर, पिकेटिंग करके, बिना प्राधिकार के किसी चल-स्टाक को लाइन पर रखकर या सिगनल गियर से छेड़-छाड़ करके या अन्यथा किसी गाड़ी, रेल-कार अथवा अन्य चल-स्टाक को रोकता अथवा रुकवाता है।

कटिहार-लुमडिंग सवारी गाड़ी के टी-टी और गार्ड पर हमला

4839. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 नवम्बर, 1968 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कटिहार-सिलिगुडी सैक्शन पर सुइनी स्टेशन पर एक भीड़ ने कटिहार-लुमडिंग सवारी गाड़ी के टी-टी और गार्ड पर छुरों, लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बारसोई स्टेशन पर 21 अप सवारी गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के एक समूह को चल टिकट परीक्षक ने पकड़ कर गाड़ी से उतार दिया था। गाड़ी से उतारे गये विद्यार्थी फिर उसी गाड़ी पर चढ़ गये । सुधानी स्टेशन पर उन्होंने टिकट परीक्षक और गाड़ी के गार्ड को मारा-पीटा और घायल कर दिया ।

(ग) यह मामला राजकीय रेलवे पुलिस किशनगंज द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/323 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 121/127 के अन्तर्गत अपराध सं० 4(11)68 के रूप में दर्ज कर लिया गया था और उसकी जांच की जा रही है। स्थानीय रेल अधिकारियों ने स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि विद्यार्थियों और अन्य समाज विरोधी तत्वों को गुन्डागर्दी से रोकने के लिए विशेष उपाय करें ।

पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस रेलगाड़ी में डकैती

4840. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री देवेन सेन :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 नवम्बर, 1968 को चार सशस्त्र डाकुओं ने पूर्वी रेलवे के ग्रैंड कोर्ड सैक्शन पर पुसौली और कुदरा स्टेशनों के बीच चल रही पठानकोट-सियालदाह एक्सप्रेस रेल गाड़ी के खचाखच भरे हुए तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों के माल को लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): सासाराम (बिहार) की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 (डाका डालते हुये स्वमेव घायल हो जाना) के अधीन 20-11-1968 का मामला स०8 दर्ज किया है । पुलिस द्वारा तेजी से जांच की जा रही हैं। सरकारी रेलवे पुलिस ने गाड़ियों में चलना शुरु कर दिया है । इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए राज्य की पुलिस के साथ मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

4841. श्री पी० पी० एस्थोस : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रौद्योगिकीय परामर्शदात्री ब्यूरो के भण्डार में चोरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मामले की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह मामला केन्द्रीय जांच विभाग को भेजा गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) स्टोर प्रभारी अधिकार के स्टोर में कुछ कमी होने की सूचना अगस्त, 1968 में दी थी ।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तुरन्त मामले की जांच के आदेश दे दिये थे । आगे की कार्यवाही उसके प्रतिवेदन की जांच के पश्चात् की जायेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई स्कूटर परियोजना

4842. श्री पी० पी० एस्थोस : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिकी परामर्श ब्यूरो में एक स्कूटर परियोजना आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) इस समय यह किस आकार/अवस्था में है ; और

(घ) यह परियोजना किसके निर्देश पर आरम्भ की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 4295.89 रुपये ।

(ग) विकास कार्य में अभी प्रगति हो रही है ।

(घ) मुख्य परामर्शदाता राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

4843. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक परामर्श ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों को नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जीवन बिहार भवन के आगे और पीछे तहखानों (बेसमैंट) में बैठा कर काम कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से उन से तहखानों में बैठाकर काम कराया जा रहा है ; और

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका के किन उप-नियमों के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को अपने कर्मचारियों को तहखानों में बैठाकर काम करवाने की अनुमति दी गयी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । स्थान की कमी के कारण तहखाने का भी प्रयोग करना पड़ा ।

(ख)	पीछे का तहखाना	जनवरी, 1963 से
	आगे का तहखाना	दिसम्बर, 1966 से

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

4844. **श्री पी० पी० एस्थोस :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रौद्योगिकीय परामर्शदात्री ब्यूरो को वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक फर्म के रूप में रजिस्टर किया गया है ; और

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकार निगम का रुतबा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तकनीकी परामर्शदाता ब्यूरो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का एक प्रभाग है जो कि इन्जीनियरी की परामर्शदात्री सेवाऐं कर रहा है । ब्यूरो का पंजीकरण व्यावसायकि अथवा औद्योगिक कम्पनी के रूप से नहीं कराया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

4845. **श्री पी० पी० एस्थोस :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम प्रौद्योगिकीय परामर्शदात्री ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों को तपेदिक हो गई है क्योंकि उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, स्थित जीवन बिहार भवन के तहखाने (बेसमैंट) में अस्वस्थ परिस्थितियों में बैठना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तपेदिक अथवा अन्य ऐसे रोग होने का पता लगा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)(क) और (ख): राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिकीय परामर्शदाता ब्यूरो के कर्मचारियों में क्षय रोग के चार मामले हुए। इनमें एक 1 लोअर डिवीजन क्लर्क, 1 फेरोप्रिन्टर तथा दो चपरासी हैं। इनमें से केवल फेरोप्रिन्टर ही संसद मार्ग स्थित जीवन बिहार इमारत के तहखाने में काम करता था। शेष व्यक्ति समय-समय पर विभिन्न मंजिलों पर काम करते रहे हैं।

प्रीमियर टायर फैक्टरी

4846. श्री वासुदेवन नायर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कलमासेरी में प्रीमियर टायर फैक्टरी के विस्तार कार्यक्रम के लिए मंजूरी देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका को काजू का निर्यात

4847. श्री वासुदेवन नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू की पैकिंग के बारे में काजू के भारतीय निर्यातकर्ताओं तथा अमरीकी आयातकर्ताओं के बीच कोई मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या इसका हमारे निर्यात व्यापार पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ काठ की पेटियां, जिनमें काजू के डिब्बे भरे जाते हैं, पेटियों के काठ में कीड़ा लगने के कारण सं० रा० अमरीका के प्राधिकारियों ने रोक ली थीं। इसलिये अमरीकी काजू आयातकों ने मांग की कि काजू के डिब्बों की बाहरी पैकिंग काठ की पेटियों के स्थान पर गत्ते की पेटियों में होनी चाहिये। यह शर्त काजू निर्यातकों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और तदनुसार प्रबन्ध किये जा रहे हैं जिनमें कोचीन पत्तन पर काजू के डिब्बों से भरी गत्तों की पेटियों के लदान की व्यवस्था भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

हावड़ा जाने वाली तूफान एक्सप्रैस का पटरी से उतर जाना

4848. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अक्टूबर, 1968 की शाम को कानपुर-टूण्डला, सैक्शन में इटावा स्टेशन में प्रवेश करते समय हावड़ा जाने वाली तूफान एक्सप्रैस की छः बोगियां पटरी से उतर गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्यक्षतः दुर्घटना गाड़ी के इंजन से पांचवें नम्बर पर लगे डिब्बे के अगले बायें रोलर बियरिंग धुरी बक्स का रोलर बियरिंग जाम हो जाने के कारण हुई ।

(ग) कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने और दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए रेलों ने पहले ही एक सघन चौमुखी शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और प्राद्योगिक-संरक्षा अभियान चला रखा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय पुस्तकों के आयात पर प्रतिबन्ध

4849. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री देवेन सेन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में भारतीय पुस्तकों के आयात पर लगाये गये कठोर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप पुस्तक निर्यात व्यापार में गम्भीर बाधा उत्पन्न हो गयी है ;

(ख क्या सरकार ने इन प्रतिबन्धों में ढील देने के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : भारतीय पुस्तकों के आयात पर पाकिस्तान द्वारा लगाए प्रतिबन्धों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । वास्तव में दोनों देशों के बीच व्यापार इस समय रुका हुआ है चूंकि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के साथ व्यापार पर रोक नहीं हटायी है ।

चाय से प्राप्त होने वाली निर्यात आय में कमी

4850. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, अक्तूबर, 1968 के महीनों के दौरान चाय से प्राप्त होने वाली आय गत वर्ष इसी अवधि में हुई आय की तुलना में पांच करोड़ रुपये कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चाय में कमी होने का एक कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना भी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सितम्बर, 1968 में निर्यात की गई चाय का मूल्य सितम्बर, 1967 में निर्यात की गई चाय के मूल्य की तुलना में 1.87 करोड़ रु० अधिक था। किन्तु ऐसा अनुमान है कि अक्तूबर, 1968 में निर्यात की गई चाय का मूल्य 1967 की उसी अवधि में किये गये निर्यात की तुलना में 7.97 करोड़ रु० कम रहा है।

(ख) अक्तूबर, 1968 में चाय से कम निर्यात आय होने के मुख्य कारण ये थे :

(1) अक्तूबर, 1968 के शुरू के भाग में जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग में, जो कि चाय उगाने वाले जिले हैं, भारी चक्रवाती तूफान तथा बाढ़ों के आ जाने के परिणामस्वरूप चाय की निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन में कमी ;

(2) संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचने के कारण उत्तरी बंगाल तथा आसाम से चाय के आवागमन में बाधा, जिसके फलस्वरूप कलकत्ता तथा लन्दन की नीलामियों के लिये चाय की नई आवक का न होना ; तथा

(3) ब्रिटेन में अधिक स्टाक जमा हो जाने और उसके फलस्वरूप लन्दन की नीलामियों में मूल्यों में गिरावट के कारण लन्दन में होने वाली नीलामियों के लिये प्रेषित किये जाने वाले माल में कटौती।

(ग) जी, नहीं।

टेल्लीचेरी स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

4851. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेल्लीचेरी रेलवे स्टेशन के निकट कोई ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार वहां तक पहुँचने के लिये सड़क बनाने के बारे में सहमत हो गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) से (ग) : केरल सरकार ने 'अनंतिम रूप से प्रस्ताव किया है कि 1969-70 में टेल्लीचेरी स्टेशन के समीप टेल्लीचेरी-कुर्ग रोड पर किलोमीटर 732/9-10 पर स्थित वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाया

जाय। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि वह पहुँच मार्गों से सम्बन्धित काम को कब तक शुरू कर सकेगी।

ज्योंहि, राज्य सरकार अंतिम निर्णय और अपने हिस्से के काम के लिए आवश्यक रकम का विनिधान करेगी, रेल प्रशासन द्वारा पुल के ढांचे के निर्माण के लिए उपयुक्त कार्रवाही की जायेगी।

केरल में हथकरघा उद्योग को संकट

4852. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विशेषकर कन्नूर जिले में हथकरघा उद्योग के सामने गम्भीर संकट है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हो गये है;

(घ) उद्योग को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) : सरकारी क्षेत्र के हथकरघा उद्योग की सहायता के लिए सहकारी क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गयी है। जैसे करघा-रहित बुनकरों की समितियों के रूप में संगठन, हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट, बुनकरों आदि को शेयर खरीदने के लिए ऋण देना आदि। इन उपायों द्वारा शीर्ष समितियां प्राथमिक समितियों के माल को बेचने में काफी हद तक सफल रही हैं। जहां तक राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग का सम्बन्ध है, संयुक्त पूंजी कम्पनी के रूप में रंजीयित एक हथकरघा वित्त निगम ने कार्य आरम्भ कर दिया है जिसके द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति उद्योग के अधिकाधिक लाभ के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। ऋण देने के लिए भी निगम ने कार्यवाही की है। उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है।

सीमेंट उद्योग द्वारा पटसन के थैलों का प्रयोग

4853. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग द्वारा पटसन के साधारण थैले प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में सीमेंट नष्ट हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हानि को रोकने के लिए सीमेंट उद्योग को पटसन के परतदार थैले प्रयोग करने के तथा सीमेंट के थैलों को लाने ले जाने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमों को कम करने के निदेश देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट के लिए पटसन के बोरे प्रयोग करने से लगभग 1/2 प्रतिशत सीमेंट नष्ट होना अनुमानित हैं ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। मामले पर तब विचार किया जायगा जब कि पटसन के परतदार बोरे पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध होने लगेंगे जिससे कि सीमेंट उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

4854. **श्री रा० बरुआ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने भारत में कृषि वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने तथा भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये एक ठोस कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रय का ब्यौरा क्या है तथा उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनकी विदेशी बाजारों में पर्याप्त मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : विभिन्न राज्यों के सम्भाव्य क्षेत्रों में कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू तथा नारियल आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये बनाई जा रही हैं ताकि निर्यात के लिये/आयात प्रतिस्थापन के लिये अपेक्षाकृत अधिक परिमाण प्राप्य हो सके। निर्यातों के बारे में चौथी योजना के लक्ष्य बनाए जा रहें हैं। इस बीच जहां आवश्यक हो, नकद सहायता और आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इनमें से कुछ मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु उप समितियां बनाई गई हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिये विदेशों में विक्रय-सह-अध्ययन दल। प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। सम्भाव्य बाजारों में व्यापारिक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के अलावा, निर्यात निष्पादन की सतत समीक्षा की जाती है। जब भी आवश्यकता होती है निर्यात को बढ़ाने के लिये अपेक्षित संवर्धनात्मक उपाय किये जाते हैं।

बांदा स्टेशन पर उपरि पुल और प्लेटफ़ार्म

4855. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले बांदा जंक्शन (मध्य रेलवे) पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिये एक उपरि पुल और स्टेशन के उत्तर की ओर एक प्लैटफार्म के निर्माण की योजना, जिस पर 2.49 लाख रुपये खर्च होने थे, मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या योजना पर 7000 रुपये खर्च करने के बाद बचत के आधार पर कार्य स्थगित कर दिया गया ;

(ग) क्या एक प्लेटफार्म और एक तालाब के किनारों के निकट डिब्बे आदि धोने की साईडिंग पर 25,000 रुपये खर्च किये गये हैं और इस योजना को छोड़ दिया गया हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्लैटफार्म पर पूरे 12 डिब्बों की रेलगाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है और यदि हां, तो क्या कारण हैं कि सम्बन्धित इंजीनियर इस बात को पहले ही नहीं समझ सके ;

(ङ) क्या बांदा में वर्तमान गोदाम को गिराने और लगभग 8 लाख रुपये की लागत पर एक प्लैटफार्म बनाने का प्रस्ताव है ; और

(च) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लखित योजना सर्वोत्तम सिद्ध होती और इसको छुड़वाने में पूंजीपतियों का हाथ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) से (च): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Banda Loco shed

4856. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Banda Loco shed is the only shed on the Central Railway and in India where a labourer is required to work 12 hours a day instead of 8 hours a day ; and

(b) if so, ihe reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No,

(b) Does not arise.

सूती कपड़ा मिलों को ऋण

4857. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा इसकी स्थापना से लेकर अब तक नये ऋणों का देना बन्द किये जाने तक सूती मिलों को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) कितनी कपड़ा मिलों को सहायता दी गई है और उनकी क्षमता कितनी-कितनी है :

(ग) इन मिलों ने कितना ऋण वापिस कर दिया है और इनकी ओर ऋण की कितनी राशि बकाया है ;

(घ) क्या उस पर ऐसा ऋण भी है जो समय गुजर जाने पर भी नहीं लौटाया गया है और यदि हां, तो उनकी कितनी राशि है ; और

(ङ) कितनी मिलों ने समय गुजर जाने पर भी ऋण नहीं लोटाया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) निगम को कुल 155 ऋण आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका योग 72.06 करोड़ रुपये था । इनमें से 67

आवेदनों को स्वीकृत किया जिनका कुल योग 19.59 करोड़ रुपये था। इनमें से 44 ऋण जिनका कुल योग 14.18 करोड़ रुपये था। सम्बद्ध कम्पनियों के स्वीकार कर लिए और शेष 23 ऋण जिनका कुल योग 5.41 करोड़ रुपये था आवेदकों ने नहीं लिया। दो अन्य मामलों में जिनका योग 80.23 लाख रुपये था निगम ने अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया। इस प्रकार अमल में लाए गए स्वीकृत ऋणों की संख्या 42 थी जिनकी कुल राशि 13.37 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी के मामले में निगम ने 3.75 लाख रुपये की सहायता अल्पावधि किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों को खरीदने के लिए दी।

(ख) से (ङ): जिन सूती कपड़े की मिलों को सहायता दी गई उनके नाम, उनकी क्षमता, स्वीकृत ऋण, ऋण की राशि, वसूल की गई तथा शेष राशि आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुबन्ध 1) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2756/68]**

(घ) सूती कपड़े की उन मिलों का ब्यौरा जिन्हें निगम सहायता दी और उन्होंने मूलधन तथा ब्याज की किश्तों की अदायगी नहीं की संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुबन्ध 2) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2756/68]**

Running of Passenger Trains on Bailadila-Jagdalpur Line

4858. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the Bailadila-Jagdalpur line (Madhya Pradesh) arrangement exist only for the transportation of factory meterial ;

(b) if so, the reasons for which arrangements are not being made to run passenger trains on this line for the convenience of the people of these areas ; and

(c) the reasons for which undue delay is being caused in laying a Railway line from Jagdalpur to Jharandalli ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b): The Bailadilla (Kirandul) Jagdalpur section forms a part of the newly laid Kottavalasa-Kirandul line which has been opened for goods traffic from 1st November, 1968. Consolidation of the new track is essential before passenger services are introduced. Further this line passes through sparsely populated areas and is primarily meant for ore traffic. The available paths on this line are to be fully utilised for important ore trains for iron ore export which will suffer if passenger trains, which are not likely to be fully occupied, are introduced at present. As and when this line justifies for passenger services, the introduction of passenger services will, no doubt, be considered.

(c) A recent investigation for a rail connection between Dhalli-Rajhara (Jharandalli) and Dantewara (which would have connected with Jagdalpur) revealed that this rail link would not be remunerative. Due to the present difficult ways and means position, it ts difficult to consider the construction of this rail link in the near future.

Cement Factory in Bastar

4859. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme regarding the setting up of a cement factory in Bastar (M. P.) has since been finalised ; and

(b) if so, the reasons for the delay in the settting up of the said factory ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b): The proposal of the Cement Corporation of India Ltd. for setting up a cement plant at Jagdalpur, Bastar District (Madhya Pradesh), is under consideration in consultation with the Planning Commission. A decision on allowing the Cement Corporation to take up this and other new projects is expected to be taken at the time of finalising the outlays for the Fourth Five Year Plan.

Pelletisation Plant at Bastar

4860. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pelletisation Plant can be set up at a lower cost at Bastar since all the facilities for its setting up are available there ;

(b) whether the supply of pellets would increase by 100 per cent as a result thereof ?

(c) whether it will cost Rs. 20 crores only to set up this plant whereas it will earn an annual profit of Rs. 17 crores r

(d) if so, the reasons for not setting up the plant so far ; and

(e) whether the work of setting up this plant would be undertaken forthwith.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) to (e) : The National Mineral Development Corporation (a Govt. of India undertaking) intends to entrust the techno-economic feasibility study on pelletisation of iron ore fines at Bailadila mines in Bastar, District, to their consultants. The study will cover, among other things, the optimum production capacity of pellets, the processes to be used, an. estimate of capital and operational cost as well as profitability, market survey, demand for pellets etc.

A decision on the establishment of a pelletisation plant ba ed on Bailadila fines can be taken only after receipt and examination of the feasibility report.

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

4861. डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में सीमेंट के कारखाने लगाने का पहले निर्णय किया गया था , और

(ख) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): 1963 में कांगड़ा जिले के सामलोती नामक स्थान में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक निजी फर्म को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। वह फर्म उस योजना

को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ है इसलिए उसने 1964 में उस लाइसेंस को रद्द करने के लिए उसे वापस दे दिया ।

'सिथेंटिक' वस्त्र का आयात

4862. श्री चित्ति बाबू :
श्री अजमल खां :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अप्रैल, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक कुल कितने मीटर 'सिथेंटिक' वस्त्र का आयात किया गया और वह कितने मूल्य के थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : अप्रैल से अगस्त 1968 की अवधि में, जिस के आंकड़े उपलब्ध हैं, सिथेंटिक वस्त्रों का आयात निम्नलिखित था :

मात्रा (हजार मीटर)	मूल्य (लाख रुपये)
1298	62

नेपाल से 'सिथेंटिक' वस्त्र का आयात

4863. श्री चित्ति बाबू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पहले ही नेपाल से 90 लाख रुपये के मूल्य का 'सिथेंटिक' वस्त्र जिस पर दोनों देश सहमत हो गये थे, आयात कर चुका है ;

(ख) क्या अप्रैल, 1968 से अक्तूबर, 1968 की अवधि में वस्त्र का आयात 19 लाख मीटर से जिसका मूल्य लगभग 90 लाख रुपया है, और जिस पर दोनों देश सहमत हो गये थे, बढ़ चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नवम्बर, 1968 से मार्च, 1969 की शेष अवधि के लिये इस वस्त्र के आयात पर रोक लगा दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग): श्री बली राम भगत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा काठमाण्डू में नवम्बर, में 1968 की गई बातचीत के फलस्वरूप नेपाल सरकार भारत को संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित रखने के लिये सहमत हो गई है । अप्रैल-अगस्त, 1968 की अवधि में नेपाल से 53 लाख रुपये के संश्लिष्ट वस्त्रों का आयात किया गया । अगस्त, 1968 से आगे के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और मामला विचाराधीन है ।

औद्योगिक माल का निर्यात

4864. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने औद्योगिक सामान का निर्यात करने के लिए सरकार से कम से कम आरम्भ में निगम को उपदान देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या निगम ने यह भी सुझाव दिया है कि लघु क्षेत्र में निर्यात की मदों का उत्पादन करने को पर्याप्त क्षमता मौजूद है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): जी, हां ।

(ग) और (घ): मामला अभी विचाराधीन है ।

समस्तीपुर–दरभंगा रेलवे लाइन

4865. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री 19 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर–रक्सौल रेलवे लाइन का समस्तीपुर- दरभंगा सैक्शन केवल 20 कि० मी० लम्बा है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि दरभंगा से भारत-नेपाल सीमा तक तीन लाइनें, अर्थात् रक्सौल जयनगर और निर्मली तक हैं जो इस लाइन के दरभंगा तक बनाये जाने पर बड़ी लाइन से जुड़ जायेगी :

(ग) क्या दरभंगा देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस लाइन को रक्सौल तक बढ़ाये जाने से पहले समस्तीपुर-दरभंगा सैक्शन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) समस्तीपुर–दरभंगा खण्ड की लम्बाई 37.42 किलोमीटर है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह देश के बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है ।

(घ) समूचे समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल खण्ड की मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का निश्चय इस बात पर निर्भर करेगा कि निकट भविष्य में किया जाने वाला प्रस्तावित सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकलता है ।

रूस को रेलवे माल डिब्बों के निर्यात के लिए क्रयादेश

4866. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने भारतीय रेल के माल डिब्बों सम्बन्धी अपने क्रयादेशों को बहुत कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाल को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर शुल्क

4867. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में पाकिस्तानी वस्तुओं की तुलना में कुछ भारतीय वस्तुओं तथा औषधियों पर अधिक शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है करार के उपबन्धों के उल्लंघन में लगभग 750 भारतीय वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है और उसमें से कुछ पर पूर्ण तथा आंशिक प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं जबकि भारत नेपाली वस्तुओं को प्राथमिकता देता है ;

(ग) यदि हां, तो नेपाल सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं से विभेदपूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नेपाल में हाल ही में हुई मंत्री स्तर की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग): अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) से (च): कुछ मदों के सम्बन्ध में नेपाल की टैरिफ पद्धति भारत के विरुद्ध विभेद-पूर्ण होने के प्रश्न पर नवम्बर, 1968 मे काठमांडू में हुई मंत्री–स्तरीय वार्ता में विचार किया गया। विगत वर्षों में भारतीय माल के विरुद्ध कोई विभेद हुआ हो तो उसका पता लगाने तथा उसे दूर करने और उचित उपचारी कार्यवाही करने के लिये नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहमत हो गया।

छोटी कार परियोजना

4868. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस दल के सचिव ने दल के कुछ सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ पैरिस की यात्रा की थी तथा भारत के लिए छोटी कार के प्रश्न पर वहां के प्रमुख मोटरकार निर्माताओं से बातचीत की थी ;

(ख) क्या सरकार ने अपनी ओर से सदस्यों तथा अधिकारियों की बातचीत करने के लिए नियुक्त किया था ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले तथा दल के अधिकारी किस पद के हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): सरकार ने देश में छोटी कार के उत्पादन के बारे में पेरिस की मोटर कार बनाने वाली किसी फर्म से बातचीत करने के लिए वहां कांग्रेस दल के सचिव ने या दल के किसी सदस्य या अधिकारी को नहीं भेजा है । न सरकार को ऐसी कोई जानकारी हुई है कि कांग्रेस दल का कोई सदस्य अथवा अधिकारी पेरिस गया या नहीं और उसने वहां मोटर कार बनाने वाली किसी फर्म से बातचीत की या नहीं और यदि बातचीत की भी तो उस का क्या परिणाम निकला है ।

Pay Scale of Air-Conditioned Coach In-Charge

4869. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great disparity between the pay and other Departmental facilities being given to the Air-conditioned Coach In-charges in the North Eastern Railway and those in the Northeast Frontier Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that no arrangements have been made for lavatoriesetc for the Air, conditioned Coach In-charges in the North Eastern Railway ; and

(d) whether the Air conditioned Coach In-charges of the North Eastern Railway have sent any memoranda to Government in regard to their demands and, if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b): There is no disparity in their scale of pay. As regards facilities, such as uniforms the matter is under consideration of the North Eastern Railway Administration.

(c) Yes. The provision of a separate lavatory for the Coach In-charges is not feasible.

(d) Yes, the same is under examination.

Vihara Stone Quarry

4870. **Shri Jageswar Yadav :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vihara Stone Quarry, District Banda, Uttar Pradesh was auctioned by the Forest Department in the name of Shri Jagan Nath for 1962-63 and 1963-64 at the rate of Rs. 5,200 per year ;

(b) whether contractor Jagan Nath had already paid this instalment for one year and whether he was permitted to work for one year only in the said quarry.

(c) whether the said quarry was auctioned for the year 1963-64 by the Tehsil in the name of another contractor Shri Bhawani Din for Rs. 3,700 and that the amount has been deposited by him in the Tehsil ;

(d) whether after having been deprived of the right to work the said mine for 1963-64, Shri Jagan Nath sent an application to this effect to the Range Officer, Kharvi and whether he has now been asked to deposit Rs. 5,200 after lapse of a period of four years : and

(e) if so, the reasons therefor and whether Government would issue orders to stop the realisation of the said amount

The Deputy Minister in the Ministry of the Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) and (b): A stone quarry located in the former enclave forest area of Vihara, Tehsil Karvi, district Banda was publicly auctioned by the D. F. O., Banda for a period of two years i. e. for 1962-63 and 1963-64, at the rate of Rs. 5,200/ per year in favour of Shri Jagannath. For the year 1962-63. Shri Jagannath paid Rs. 5,200-, but for the year 1963-64, he neither made any payment nor worked the quarry although there were no restrictions from the side of the Forest Department for working the quarry in the second year.

(c) Yes, Sir,

(d) Under the agreement entered into by him with the Forest Department, it was incumbent upon Shri Jagnannath to have either made the payment of Rs. 5,200 for the year 1963-64 or sent a timely representation to the D. F. O., Banda about his difficulties, if any. He failed to do so and, consequently, a letter was sent to him on 6.12.1965 requesting him to make the above payment. Subsequently, the Collector, Banda was requested to effect the recovery of the sum as arrears of land revenue.

(e) The orders of recovery, which were issued due to some mis-understanding, have already been withdrawn.

Industrial Development in Maharashtra

4871. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of the factories proposed to be established in Maharashtra during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) the estimated amount likely to be spent on each of those factories ;

(c) whether it is a fact that Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtara State (except Bombay) are very backward in the field of industry ; and

(d) if so, the action being taken to remove the backwardness of these regions of the State ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b): The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. Information about new industries to be set up in Maharashtra during the Plan period will be available only after the Plan is formulated.

(c) and (d): Yes, Sir. In pursuance of a decision taken at the meeting of the National Development Council held on the 13th September, 1968, the Planning Commission have set up two Working Groups to make a careful study of the question of regional imbalances. One of the Groups would recommend the criteria for identification of backward areas and the other would recommend the fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas. Necessary action to remove the regional imbalances will be taken when the reports of these Working Groups have been received.

पालनपुर से दिल्ली के लिए एक शटल गाड़ी में टमाटरों के पार्सल भेजे जाना

4872. **कु० मा० कौशिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सच है कि 3 अप्रैल, 1968 को पी०डब्ल्यू०बी० संख्या 31325 से 32 तक के अन्तर्गत पालनपुर (पी एन० बी०) से दिल्ली के लिये टमाटरों के बुक किये गये कुछ पार्सल सीधी जाने वाली एक गाड़ी की बजाये एक शटल गाड़ी में लाद दिये गये थे, जिसके फलस्वरूप वह माल, जो दिल्ली में 26 घण्टों में पहुंच सकता था, वह अपने गन्तव्य स्थान पर 8 अप्रैल, 1968 को पहुंचा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि माल भेजने वाले को हुई हानि के लिये किये गये दावे को भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 74 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में, जिसमें माल को गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में पांच दिन लगे, रेलवे की ठीक जिम्मेवारी क्या है और माल भेजने वाले को हुई हानि की जिम्मेवारी स्वीकार न की जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : 3-4-1968 को पार्सल रवन्ना सं० 31325 से 32 तक के अधीन टमाटरों का कोई पार्सल पश्चिम रेलवे के पालनपुर स्टेशन (जिसका कोड पी एन० यू है न कि पी एन बी) से दिल्ली के लिए बुक नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) : ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, सवाल नहीं उठता।

राजस्थान में खनिज

4873. **श्री बृजराज सिंह कोटी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिजों के उत्पादन के मामले में राजस्थान बिहार से दूसरे दर्जे पर है ;

(ख) देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का खनिज उत्पादन कितने प्रतिशत है;

(ग) राजस्थान से खनिजों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(घ) राजस्थान में खनिजों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनका निर्यात करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान में 1967 के दौरान खनिज उत्पादन का मूल्य, खनिजों के अखिल-भारतीय उत्पादन मूल्य का 1.4 प्रतिशत था।

(ग) राजस्थान से निर्यातों के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्राइवेट खान मालिकों के अतिरिक्त कई सरकारी अभिकरण खनिज निक्षेपों के समन्वेषण और विकास में संलग्न हैं, जिसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए उत्पादन और निर्यात की आशा है।

नई दिल्ली के अशोक होटल में सोना नामक दुकान

4874. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के नये कक्ष में हाल ही में सोना नामक एक दुकान खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना पर कितनी पूंजी लगाई गई है और इसका आवर्ती मासिक खर्च कितना है ;

(ग) इस समय देश में अथवा विदेशों में ऐसी दुकाने कितनी हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में तथा विदेशों में ऐसी और दुकानें खोलने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) पूंजीगत व्यय	0.39 लाख रु०
आवर्ती मासिक व्यय	0.04 लाख रु०

(ग) छः—एक भारत में तथा पांच विदेशों में।

(घ) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का इस प्रकार की कुछ और दुकानें खोलने का विचार है।

छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वालों के संबंध में समिति

4875. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वालों के संबंध में अब्दुल्ला समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग): समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर रबड़ बोर्ड के विचारों को, जो अब प्राप्त हो गये हैं, ध्यान में रख कर विचार किया जा रहा है।

नेपाल में चोरी छिपे पटसन ले जाया जाना

4876. **श्री चित्ति बाबू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से पटसन का निर्यात इसके उत्पादन की अपेक्षा अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि नेपाल से अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले पटसन में फालतू पटसन भारत से नेपाल जाता हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इससे निर्यात शुल्क के रूप में भारत को कितनी हानि होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते । ऐसा मालूम होता है कि नेपाल को भारत से पटसन का कुछ तस्कर व्यापार किया जा रहा है । सरकार तस्कर व्यापार तथा व्यापार-विशेष रोकने के प्रयत्न कर रही है । कच्चे पटसन पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है, इसलिये निर्यात शुल्क की हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्र तथा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का आयात

4877. श्री चित्तिबाबू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में नेपाल से क्रमशः 90 लाख रुपये और 1.80 करोड़ रुपये मूल्य के संश्लिष्ट वस्त्र तथा स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं के आयात पर कोई शुल्क लगाया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में इनके आयात पर सरकार का विचार शुल्क लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1967–68 में नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के आयात क्रमशः 90.9 लाख रुपये तथा 1.86 करोड़ रुपये के मूल्य के थे ।

(ख) और (ग): भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार 1960 की व्यापार तथा परिवहन संधि के उपबंधों के अनुसार विनियमित होता है । संधि के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि एक देश के उदभव का माल जो दूसरे के क्षेत्र में उपभोग के लिये हो, सीमा शुल्क तथा अन्य सामान शुल्कों और मात्रा संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त होगा । परन्तु यदि कोई माल भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2 (क) के अंतर्गत विमुक्त न किया गया हो तो उसके आयात पर उसी प्रकार के उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लगेगा ।

बिरला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध जांच

4878. श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल की एक उप–समिति बिरला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध-जांच की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मंत्रीमंडलीय-उपसमिति ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): इस उप-समिति में उप प्रधान मंत्री और औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य, गृह-कार्य, विधि तथा वाणिज्य मंत्री हैं । अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Recruitment of Senior Operative Trainees in Bokaro Steel Plant

4879. Shri Mrityunjay Prasad: Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether the Officers in the Bokaro Steel Plant have prescribed maximum qualification and also the minimum qualification for recruitment to 300 posts of Senior Operative Trainees and have clearly directed Employment Exchanges not to forward the names or applications of degree holder Engineers ;

(b) whether it is a fact that there is no Diploma Course for Chemical and Metallurgical Engineering in Bihar and, that the applications of those Degree-holder Engineers in these subjects, who belong to Bihar, are not even considered ; and

(c) whether Government propose to direct the Officers of the Bokaro Steel Plant to change this system of boycotting the Engineers belonging to Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) Yes, Sir

Yes, Sir. Degree-holders in Chemical and Metallurgical Engineering belonging to Bihar or any other State are not considered for the posts of Senior Operative Trainees as these trainees would be absorbed in junior positions which are not suitable for Engineering graduates. It has, however, been decided to take Science Graduates also for these posts, besides Diploma holders.

(c) Does not arise.

रेलवे के अस्पतालों में चिकित्सा शास्त्र के स्नातक तथा लाइसेंस-प्राप्त डाक्टर

4880. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के उच्च न्यायालय ने 1966 की लेख याचिका संख्याएं 717 और 2124 के सन्दर्भ में यह आदेश दिया है कि रेलवे के अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सा शास्त्र के स्नातक तथा लाइसेंस-प्राप्त डाक्टरों के वेतनमानों, श्रेणियों और पदोन्नतियों के मामले में भेदभाव न किया जाये : और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश पर रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख): जी हां । मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की गयी है और मामला न्यायाधीन है ।

मलयेशिया में संयुक्त उपक्रम

4881. श्री रा. बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया में भारत और मलयेशिया के संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की नई संभावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में आठ सदस्यों का एक शिष्ट-मंडल वहां गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन-किन विषयों पर बातचीत की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई करार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय पार्टियों के सहयोग से मलयेशिया में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा प्रायोजित सात सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल नवम्बर, 1968 में मलयेशिया गया था ।

(ख) प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य ये थे :—

(1) श्री एस. पी. गोदरेज

(2) श्री एम. एल. आप्टे

(3) श्री विजय के. चौहान

(4) श्री वी. ईश्वरन

(5) श्री बिशन सहाय

(6) श्री रणजीत शाह

(7) डा० रामगोपाल अग्रवाल

(ग) और (घ): प्रतिनिधि-मंडल के विस्तृत प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की टेलीफोन आपरेटर के रूप में पदोन्नतियां

4882. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे मुख्य कार्यालय को इस आशय के आदेश दिये हैं कि चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों की सेवा को नियमित किया जाये जो टेलीफोन आपरेटरों के पद पर पदोन्नत किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य कार्यालय ने इन आदेशों को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, इन मामलों को नियमित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने विशेष छूट दी है ।

(ख) उत्तर रेलवे के मुख्यालय ने मण्डल प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दे दिये हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मीटर गेज के डीजल विद्युत इंजन

4883. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गेंज के प्रथम डीजल विद्युत इंजन को हाल में चालू किया गया है ;

(ख) आगामी दो वर्षों में ऐसे कितने इंजनों का निर्माण किया जायेगा : और

(ग) भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल विद्युत इंजनों का प्रयोग करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और आगामी दो वर्षों में किन लाइनों पर बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां, 22-11-1968 को ।

(ख) वर्तमान योजना के अनुसार अगले दो वर्षों में मीटर लाइन के जितने डीजल रेल इंजन तैयार किये जाने की आशा है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1969-70	=	30
1970-71	=	50

(ग) 1968-69से 1970-71 की अवधि में मीटर लाइन के जितने भाप रेल इंजन गतायु हो जायेंगे, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1-4-68 तक	1969-70 में	1970-71 में
641	98 और	75 और

इन इंजनों का वास्तविक रूप से नाकारा घोषित किया जाना और इनका बदलाव उनकी वास्तविक स्थिति और यातायात की जरूरतों के अनुसार इंजनों की कुल उपलब्धि पर निर्भर करता है । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि वास्तव में इनमें से कितने इंजनों के बदले डीजल इंजन चलाये जायेंगे ।

विशेष खण्डों पर यातायात के घनत्व, परिचालन की आवश्यकताओं और अन्य सम्बन्धित बातों पर आधारित–अग्रताओं के आधार पर डीजल रेल इंजनों का नियतन किया जायेगा ।

सूती कपड़ा मिलों का बन्द हो जाना

4884. श्री लोबो प्रभु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के आरम्भ से प्रत्येक राज्य में कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं ; और

(ख) इस उद्योग के राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक महत्व तथा उन कठिनाइयों को, जिनका इसे सामना करना पड़ता रहा है, ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस

उद्योग को दीर्घकालीन ऋण ब्याज की उन विशेष दरों पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करने का है, जो लघु-उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण पर ली जाने वाली दरों से अधिक न हों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) एक विवरण, जिसमें जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऐसी मिलों की संख्या नीचे दी जाती है जो चालू वर्ष के आरम्भ होने के पश्चात् बन्द हुई और जो 31 अक्तूबर, 1968 तक पुनः चालू हो गई अथवा बन्द पड़ी रहीं :—

राज्य का नाम	बन्द मिलें	पुनः चालू मिलें	अभी तक बन्द पड़ी मिलें।
1. आन्ध्र प्रदेश	3	3	–
2. बिहार	2	1	1
3. गुजरात	11	1	10
4. केरल	5	5	–
6. मद्रास	34	16	18
5. महाराष्ट्र	1	–	1
7. मैसूर	1	1	-
8. राजस्थान	3	2	1
9. उत्तर प्रदेश	2	1	1
10. पश्चिम बंगाल	4	1	3
11. पांडिचेरी	1	–	1
योग :	67	31	36

(ख) जी, नहीं।

Late Running of 1 M.D. (Moradabad-Delhi) Train

4885. Shri Molahu Prasad :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time of arrival at Delhi Junction of 1 M. D. Train which comes from Moradabad to Delhi, on each day from 1st October, 1968 to 30th November, 1968, the number of days on which it arrived at Delhi Junction at its scheduled time and the number of days on which it reached late during the aforesaid period;

(b) the reasons on account of which the said train reached late on each of those days;

(c) whether any action has been taken against the persons responsible for the late arrival of the train; if so, the nature thereof; and

(d) whether Government propose to take any action to ensure that arrival of this train at its scheduled time at Delhi in future and, if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 1 M. D. Moradabad-Delhi Passenger arrived Delhi late on all days during 1st October to 30th November, 68. The actual time of arrival of 1 M.D. Passenger at Delhi on each day during this period is given in the statement attached. [Placed in Library. See No. LT-2757/68]

(b) The late running was due to a variety of factors, mainly frequent failure of communications on account of theft of copper wire, high incidence of alarm chain pulling, detentions for displaced crossings and reception line difficulties at Ghaziabad largely on account of unscheduled running of this and other trains. The main detentions on each day are indicated in the Statement referred to in part(a) above.

(c) The staff found responsible for avoidable detentions to this and other trains are being suitably taken up.

(d) Running of this train is closely watched and a punctuality drive to improve its performance has been instituted. Provision of departmental line wire by using A.C.S.R. conductor for working control circuit instead of copper wire is also under consideration. In the meanwhile, efforts are also being made in conjunction with Civil authorities in charge of law and order, to tackle the social evils of Alarm Chain pulling and theft of equipment to the extent feasible.

पोलैंड के विशेषज्ञ के शव को 5 नवम्बर, 1968 को पटना से हावड़ा ले जाया जाना

4886. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 नवम्बर, 1968 को बरौनी तापीय विद्युत परियोजना से सम्बन्धित पोलैण्ड के एक विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बिहार विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने पूर्व रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया था कि उसका शव 5 नवम्बर, 1968 को 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस द्वारा पटना से हावड़ा ले जाया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि दानापुर में डिवीज़नल सुरक्षा अधिकारी, श्री जे० एम० बघारा ने, जो स्थानापन्न डिवीजनल यातायात अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, सभी सम्बन्धित स्टेशनों को सूचित कर दिया था कि शव 5 नवम्बर, 1968 को 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस द्वारा पटना से वाराणसी ले जाया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गलत सूचना देने के कारण की जांच की है और इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : 4–11–1968 के 4 बजे शाम को बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने रेल प्रशासन को सूचित किया कि उस सगठन से सम्बद्ध एक पोलिश विशेषज्ञ, जिसकी मृत्यु 3–11–68 को हो गयी थी, की लाश हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस से पटना से दिल्ली भेजी जायेगी। श्री जे० एम० बडेरा, मण्डल सुरक्षा अधिकारी, दानापुर ने लाश को ले जाने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक हिदायत जारी कर दी थी। लेकिन 5–11–1968 को 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस के छूटने तक लाश पटना जंकशन स्टेशन पर नहीं लायी गयी थी। बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने उसी दिन बाद में यह सूचना दी कि लाश 5–11–1968 को पटना से रवाना होने वाली 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस से कलकत्ता भेजी जायेगी। रेल प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किये।

(घ) और (ङ): सवाल नहीं उठता।

विदेशी सहयोग

4887. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश उद्योग संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में भारत आया था और उसने विदेशी सहयोग के बारे में सरकार के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ किन विषयों पर बातचीत हुई; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): जिन विषयों पर चर्चा की गई उनके बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2758/68]

डायमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी, लन्दन

4888. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, लन्दन के प्रतिनिधियों के एक दल ने, जो हाल ही में भारत आया था, पन्ना खानों के समस्त माल को खरीदने का दीर्घावधि करार करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पेशकश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्ती

4889. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीकाकुलम जिले के अमदलबलसा नामक स्थान पर एक औद्योगिक बस्ती के निर्माण की योजना थी;

(ख) कितने शैड बनाने का अनुमान है, औद्योगिक बस्ती पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और उस पर अभी तक कितना खर्च किया गया है; और

(ग) निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है और इनका निर्माण कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अमदलवलसा में परम्परागत औद्योगिक बस्ती के स्थापना की कोई योजना नहीं है। फिर भी वहां एक सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्ती है जिसमें भावी उद्यमियों को अपने कारखाने के शेड बनाने के लिए विकसित प्लाट उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(ख) चूंकि यह सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्ती है अतः सरकार का इसमें एककों तथा शैडों के निर्माण का कोई विचार नहीं है। 46 विकसित प्लाटों में से अब तक 9 प्लाट आवन्टित किए गए हैं। 4 उद्यमियों ने शेड बनाने प्रारम्भ कर दिए हैं और आशा है कि शेष भी शीघ्र ही बनाना शुरु कर देंगे। इस बस्ती के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अनुमानित व्यय 2.07 लाख रुपये था। 30 सितम्बर, 1968 तक इस पर 1.82 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(ग) चूंकि सरकार का शेड बनाने का कोई विचार नहीं है अतः सरकार की ओर से विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय ग्रेफाइट अयस्क

4890. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उपलब्ध ग्रेफाइट अयस्क माल बनाने की दृष्टि से घटिया किस्म का है;

(ख) क्या सरकार ग्रेफाइट की किस्म को बढ़िया बनाने वाले किसी उद्योग की स्थापना सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है;

(ग) क्या किसी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय ग्रेफाइट में बहुत अधिक राख की मात्रा का होना बताया जाता है और इसकी प्रतिशत ग्रेफाइटी कार्बन की मात्रा 25–30 प्रतिशत के मध्य है जब कि ग्रेफाइट मूषाओं, पेंसिलों, ग्रेफाइट स्नेहकों और ढलाई ग्रेफाइट, मिजेट इलैक्ट्रोड्स, शुष्क सैलों, बैटरियों और ग्रैफाइटीकृत ऐस्बैस्टास की पैकिंग आदि के उत्पादन के लिये बहुत ऊंची शुद्धता के प्राकृतिक ग्रैफाइट, जिसमें 90 प्रतिशत से ऊपर की ग्रैफाइट कार्बन मात्रा हो, की आवश्यकता होती है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्सेज़, बंगलौर, राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर, प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, भुवनेश्वर और आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के भौमिकी विभाग में भारतीय ग्रैफाइट के परिष्करण के सम्बन्ध में कार्य किया गया है। राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला जमशेदपुर में विकसित प्रक्रिया को मैसर्स पदमा स्टेट, ग्रैफाइट माईनिंग एण्ड कम्पनी तितलागढ़ (उड़ीसा) द्वारा अपना लिया गया बताया जाता है। भारतीय ग्रैफाइट के उन्नयन की सुविधाएं कुछ सीमा तक सरकारी ग्रैफाइट मूषा उद्योग राजामन्दरी में उपलब्ध है।

(ग) ग्रैफाइट परिष्करण के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में कलिंगपतनम से रायगढ़ तक के लिये रेलवे लाइन

4891. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में कलिंगपतनम से श्रीकाकुलम होती हुई रायगढ़ तक एक नयी रेलवे लाइन बिछाने का एक स्थायी प्रस्ताव विद्यमान है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पहले की जा चुकी है और किसी योजना का प्रस्ताव किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई विशेष जांच की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस रेल सम्पर्क के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण निकट भविष्य में कलिंगपतनम् पोर्ट-रायगढ़ लाइन के निर्माण पर विचार करना कठिन है और इसीलिए फिलहाल कोई जांच-पड़ताल करने का विचार नहीं है।

रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों से भेजे गये माल की ढुलाई में विलम्ब

4892. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों से नौवहन के लिये भेजा गया माल विशाखापतनम पत्तन पर से नियत समय से बाद में पहुँचता है;

(ख) क्या ढुलाई (ट्रांशिपमेंट) में विलम्ब के कारण हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कोई विलम्ब-शुल्क दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो माल की शीघ्र ढुलाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या शीघ्र ढुलाई के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इन दो इस्पात कारखानों से एक पृथक रेलवे लाइन बिछाने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पहाड़पुर और गुराडू स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना

4893. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 सशस्त्र डाकुओं ने पूर्व रेलवे के पहाडपुर और गुरांडू स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी को लूटा था;

(ख) क्या इसी लाइन पर मई, 1968 में भी लूटने की घटना हुई थी;

(ग) क्या कोई माल बरामद किया गया है; और

(घ) क्या इस लाइन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यह चलती माल गाड़ी से माल चुराने का मामला था न कि सशस्त्र डाकुओं द्वारा लूटने का।

(ख) जी हां, 15 मई, 1968 को इस खण्ड पर चोरी भी हुई थी।

(ग) और (घ) : जी हां, इस मामले में मटर की 5 बोरियां बरामद हुई। मई 1968 में हुई चोरी के मामले में जौ की 23 बोरियां, जूट की 2 गांठें और चीनी की एक बोरी बरामद हुई थी। रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के सतत प्रयास के फलस्वरूप पहले मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार किये गये और उन पर मुकदमा चलाया गया और दूसरे मामले में 8 अपराधी गिरफ्तार किये गये। सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र और अपराध शाखा के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर निवारक उपायों में भी तेजी लायी गयी है और खास-खास सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस का पहरा भी शुरू किया गया है।

रेलवे में वायरलैस आपरेटरों के वेतनमान

4894. **श्री चित्ति बाबू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे-वार ऐसे वायरलैस आपरेटर कितने हैं जो 150–300 रुपये के वेतनमान अधिकतम वेतन पा रहे हैं;

(ख) रेलवे-वार प्रत्येक वर्ग में कितने प्रतिशत वायरलैस आपरेटरों को उच्च वेतनमान दिया गया है;

(ग) तत्समान वर्गों को जितने प्रतिशत व्यक्तियों को उच्च वेतनमान दिये जाते हैं, क्या उसी पद्धति के अनुसार वर्गोन्नति की प्रतिशत को भी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) क्या डाक और तार विभाग द्वारा दिये गये वेतनमान के समान उन्हें मध्यवर्ती वेतनमान देने का भी कोई प्रस्ताव है, क्योंकि उन्हें डाक और तार विभाग के समान वेतनमान पर ही भर्ती किया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) जी नहीं।

ब्रिटेन की आयात निक्षेप योजना में भारत को रियायत

4895. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से कहा है कि ब्रिटेन को भारत के अधिकांश व्यापार को ब्रिटेन आयात निक्षेप योजना की क्रियान्विति से अलग रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख): लन्दन स्थित हमारे उच्चायुक्त ने ब्रिटिश सरकार को आयात जमा योजना के प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की चिन्ता के विषय में और इस योजना के प्रवर्तन से इस समय जो मदें मुक्त हैं उनके अतिरिक्त और भी मदों को, जिनके निर्यात में हमें दिलचस्पी है, मुक्त कराने में हमारी दिलचस्पी के विषय में अवगत करा दिया है। इस मामले पर ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ भी विचार किया गया जब वे हाल ही में दिल्ली आये थे, और परिणामत: इस बात पर सहमति हो गई कि योजना के कार्यक्षेत्र से सूती वस्त्रों को मुक्त करने के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार द्वारा और आगे विचार किया जायेगा। उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि योजना के

प्रवर्तन से हथकरघा वस्त्र, कतिपय औद्योगिक कच्चे माल तथा मध्यवर्ती पदार्थों को मुक्त करने पर विचार किया जाए। लन्दन स्थित हमारे उच्चायुक्त को निदेश दिया गया है कि वे अपने प्रयास जारी रखें।

इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात

4896. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के लिये अनेक बड़े आर्डर प्राप्त कर लिये हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत तेजी से विश्व में कुछ विशिष्ट इंजीनियरी उत्पाद सप्लाई करने वाला देश बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों के निर्यात के लिये नये बाजारों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) भारत द्वारा प्राप्त की गयी अधिक मूल्यों की संविदाएं विद्युत उपकेन्द्रों की संपूर्ण पूर्ति और उन्हें लगाने के लिये आद्योपान्त स्थापना की संविदाओं के अलावा, रेल के माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, तथा पटरी सामान, पारेषण लाइन बुर्ज, पावर केबल, एल्यूमिनियम तथा तांबे के संवाहक, कपड़ा मशीनरी आदि के निर्यात से सम्बद्ध हैं।

(ग) सरकार द्वारा चयनात्मक आधार पर विशेष तदर्थ सहायता प्रदान किये जाने के अलावा, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से बाजार सर्वेक्षण, प्रकाशनों तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रचार, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने, प्रतिनिधिमण्डलों तथा अध्ययन दलों को प्रायोजित करने आदि का नियमित कार्य-क्रम चलाया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में दोषपूर्ण उत्पादन की दर

4897. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का 10 प्रतिशत उत्पादन दोषपूर्ण था;

(ख) क्या यह भी सच है कि टाटा आयरन तथा स्टील कम्पनी में चार प्रतिशत से अधिक दोषपूर्ण उत्पादन नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में इतना अधिक दोषपूर्ण उत्पादन होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह-अयस्क की खानों का विकास

4898. **श्री वेणी शंकर** शर्मा : क्या इस्पात, **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क सम्बन्धी योजना दल ने लौह-अयस्क खानों के विकास तथा इसके निर्यात को 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन के मौजूदा स्तर से बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक दुगुना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के हेतु चौथी योजना के दौरान 240 करोड़ रुपये लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): सरकार द्वारा सुझावों पर, चौथी पंचवर्षीय योजना के बनाने के संदर्भ में विचार हो रहा है ।

दुर्गा काटन मिल, काडी (गुजरात)

4899. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गा टैक्सटाइल मिल, काडी (गुजरात राज्य) एक संकटग्रस्त मिल है जो सरकार या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण गत दो वर्षों से बन्द पड़ी है और जिसके परिणामस्वरूप दो हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को स्थापित निगम से ऋण दिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अलाभकर कार्य चालन, वित्तीय कठिनाइयों, श्रम विवाद तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयो के कारण सितम्बर, 1965 में यह मिल बन्द हुई । बन्द होने से पहले, मिल में लगभग 1600 कर्मचारी लगे हुए थे ।

(ख) और (ग) मिल को समाप्त कर देने के योग्य समझा जाता है । इसके अतिरिक्त, मिल की समस्त सम्पत्ति न्यायालय ने कुर्क कर ली है । अतः राज्य वस्त्र निगम के माध्यम से इसे ऋण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मशीनों तथा संयंत्रों का आयात

4900. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वाणिज्य मंत्री 19 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली ऐसी मशीनों तथा संयंत्रों के जिनके मामले में भिन्न-भिन्न विशिष्ट विवरण होने के कारण तुलना नहीं की जाती है, उचित मूल्यों का कैसे पता लगाया जाता है;

(ख) क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अपने संयंत्र सब से सस्ते दामों पर प्राप्त करने के लिये अपनाये जाने वाले तरीकों का पता है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मशीनों इत्यादि का आयात की अनुमति देने के पहले वित्त मंत्रालय की बिल्कुल सलाह नहीं ली जाती है यदि हां, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक धन का उचित प्रयोग हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : संयंत्रों तथा मशीनों के आयात के लिये आवेदनपत्र देते समय, आवेदक फर्म संभरण के विभिन्न स्रोतों से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का पता लगाती है तथा इस मामले में अपनी पसन्द बताती है। किन्तु परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की कमी के कारण केवल द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं के आधार पर ही मशीनों के आयात की अनुमति दी जाती है और उस विशेष स्थान से ही आयात के लिये आवेदक की प्रार्थना को मानना सम्भव नहीं होता। अत: अधिकतम मामलों में उस देश के पूर्तिकर्त्ता को क्रयादेश दिये जाते हैं जिससे ऋण प्राप्त हुआ हो।

(ग) पूंजीगत माल समिति नामक एक अन्त: विभागीय समिति द्वारा प्रार्थना पर विचार करके स्वीकृति दे देने के पश्चात् ही संयंत्रों तथा मशीनों के आयात की अनुमति दी जाती है। इस समिति में वित्त मत्रालय का प्रतिनिधित्व होता है और जब तक उनका प्रतिनिधि सहमत नहीं हो जाता पूंजीगत माल के किसी आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

इस्पात के मूल्य

4901. श्री लोबो प्रभु : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के विदेशी तथा अन्तर्देशीय मूल्यों में औसतन कितना अन्तर है;

(ख) इसमें से कितने के लिए राज सहायता मिली हुई है तथा गत वर्ष कुल राशि कितनी थी; और

(ग) क्या यह सहायता सामान्य राजस्व से ली गई थी अथवा देश में बेचे गए इस्पात के मूल्यों में इसको शामिल किया गया था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) सम्भवत: आदरणीय सदस्य महोदय का संकेत निर्यात हेतु इंजिनियरिंग माल निर्माताओं को दिए जाने वाले इस्पात और कच्चे लोहे के आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अन्तर की प्रतिपूर्ति की योजना की ओर है। यह योजना उन इंजिनियरी उद्योगों पर लागू है जिन्हें निर्यात-हेतु इंजिनियरी माल के उत्पादन के लिए देशीय साधारण इस्पात और कच्चे लोहे की

आवश्यकता होती है। निर्यात-हेतु इंजिनियरी माल के निर्माताओं को देशीय लोहा और इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर दिए जाते हैं। आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर भिन्न-भिन्न प्रकार के इस्पात के लिए भिन्न-भिन्न है। इस योजना के लिए निधि कच्चे लोहे और इस्पात के देशीय मूल्यों पर अतिरिक्त वसूली से एकत्र की जाती है। 2-5-67 से 30-9-68 की अवधि में इस प्रकार लगभग 1.40 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

Woollen Uniforms for Dispensers on the Railways

4902. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dispensers (Compounders) in the Medical Wing of the Railways are now provided only woollen jerseys whereas they had been getting full woollen uniforms (coats and pants) in the past; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : According to the instructions issued recently, Dispensers in the Medical Department of the Railways are now eligible to get full woollen uniforms in winter i. e. coat and pant, subject to the economy orders issued in Jan, 1966 which envisage supply of uniforms in accordance with the Old Dress Regulations or New Regulations promulgated in Feb, 63, which-ever is less liberal.

Chittor-Kotah Railway Line

4903. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the steps taken so far in regard to the construction of Chittor-Kotah new railway line;

(b) whether it is also a fact that the Railway Board had approved the construction of this Railway line in 1941 or so and had also supplied material therefor;

(c) if so, the reasons for which the construction of the said Railway line, which was not considered to be uneconomic at that time, is now being stated as uneconomic when the all round development in that area since that time has resulted in ten times increase in the production of raw material and traffic; and

(d) whether the old scheme as approved by the Railway Board would be laid on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) : This line was sanctioned in 1949 but construction work could not be taken in hand in view of the anticipated merger of Rajasthan Railway with the Western Railway. The rails and fittings obtained for this scheme were therefore transferred to another project. Subsequent surveys carried out in 1955-56 and a reassessment in 1965-66 revealed that this project would not be remunerative and hence it is not being considered for construction at present.

(c) The line is not likely to be remunerative on the present day cost of construction.

(d) The old survey reports have become completely out-dated and therefore, no useful purpose will be served by laying them on the table of the House.

Railway Lines in Rajasthan

4904. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the mileage of Railway lines as compared to other States is less in Rajasthan, although it is the second biggest State in the country in area and here the population though less is scattered in vast areas; and

(b) whether the Railway Board propose to include in the next budget, the schemes for the construction of Railway lines from Chittor to Kotah, Bari Sadri to Neemuch, Doongarpur to Banswara, Pratapgarh. Bheelwara. Kotah and Jodhpur to Jaisalmer lines as proposed by the State Government ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Information about the length of railway lines is not compiled Statewise but only Railway Zone-wise. The State of Rajasthan is served by the Central, the Northern and the Western Railways. Full particulars of the route and track length of the Railway zones are given in statement 8 of the "Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways-Statistical Statements for the year 1966-67", copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) No, Sir.

Khetri Copper Project

4905. **Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :**

(a) the total expenditure incurred on Khetri Copper Project in Rajasthan so far and the time by which the project is likely to be completed;

(b) whether it is a fact that mutual conflict between the officers and the labourers in Khetri Copper Project has created disturbance and that for want of efficient and good working. the progress in the project has been slow; and

(c) what was the initial plan prepared for completion of the project, the nature of difficulties faced in its implementation and the present position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The total expenditure incurred on Khetri Copper Project in Rajasthan upto 31st October, 1968 is Rs. 13.24 crores. The Project is expected to be commissioned by 1970-71 and to achieve full production by 1972-73.

(b) No, Sir.

(c) The Khetri Copper Project was assigned to N. M. D C. in March, 1961. M/s. Western Knapp Engineering Company who were appointed as consultants, submitted a Project report in January, 1962 recommending desirability of establishing a mine and plant with an annual capacity of 21,000 tonnes of Electrolytic copper against the production of 10,000 tonnes envisaged earlier. This scheme was approved by Government in May, 1962. The scope of the Project was subsequently enlarged to produce 31,000 tonnes of copper metal of electrolytic grade from Khetri/Kolihan, 600 tonnes of Sulphuric Acid per day and over 2,00,000 tonnes of Triple Super phosphate.

The other difficulties faced in the implementation were non-availability of foreign credit, inadequacy of power supply, delay in procurment of equipment and finalisation of contracts for imported equipments.

Hindustan Zinc Limited

4906. **Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :**

(a) the total amount invested by Government so far in the Hindustan Zinc Limited, Udaipur and the details of its income and expenditure for the last three years;

(b) the amount of compensation paid so far to the Metal Corporation of India which has been taken over by the Government of India; and

(c) if no compensation has been paid so far, the time by which the decision would be taken in this respect and the basis therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Government have so far invested Rs. 11.59 crores in the Hindustan Zinc Limited. The income and expenditure of the Company during the last three years was as under :—

	Period from 22.10.65 to 31.3.67.	Period from 1.4.67 to 31.3.68.	Period from 1.4.68 to 30.11.68.
		(Rs. in lakhs)	
Sale income	131.88	146.47	250.25
Cash Expenditure on account of Discharge of pre-acquisition Liabilities, interest on Government loans, Purchase on revenue & Capital Account, Salaries & Wages, Bonus etc., Railway Freight & Excise duty, other Revenue & Capital Expenditure.	947.63	445.63	374.68

(b) and (c) : No compensation has yet been paid to the Metal Corporation of India. The amount of compensation considered reasonable by Government in terms of the Acquisition Act and payable to Corporation was communicated to it on 28.6.1968 for its acceptance of the amount. The Company has not so far accepted the compensation offered.

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों का धारणाधिकार

4907. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या का ओपन लाइनों में धारणाधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों ने परीक्षा पास कर ली है, उन्हें काम पर लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): केवल रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती कर्मचारियों के लियन' की व्यवस्था चालू लाइन रेलों में की जाती है। रेल बिजली योजना द्वारा स्थानीय रूप से भर्ती किये गये तीसरे दर्जे के कर्मचारियों का 'लियन' चालू लाइन में नहीं रखा जाता। रेल बिजली योजना के उन फालतू कर्मचारियों, जिनका कहीं भी 'लियन' नहीं होता, की जांच एक समिति द्वारा की जाती है और स्थान खाली होने पर उन्हें चालू लाइन के उन वैकल्पिक पदों पर लगा दिया जाता है जिनके लिए वे उपयुक्त पाये जाते हैं।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों की पदावनति

4908. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को थोड़े समय के अन्दर अन्य रेलों में वापिस भेज दिया जायेगा;

(ख) क्या रेलवे विद्युतीकरण परियोजना से अन्य रेलों में स्थानान्तरण पर इन कर्मचारियों को वेतन तथा रैंक में पदावनति का सामना करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पदोन्नति के लिए रेलवे विद्युतीकरण के चयन को वैध स्वीकार किये जाने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश देने तथा नीति बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ): विभिन्न रेलों से बड़ी संख्या में तीसरे दर्जे के कर्मचारी रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में लगाये गये हैं। उनमें से कुछ पदोन्नति पर आये होंगे और कुछ अन्य कर्मचारियों की रेलवे विद्युतीकरण योजना में आने के बाद पदोन्नति हुई होगी। रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में कर्मचारियों की पदोन्नति इस संगठन में काम करने की अवधि तक विशुद्धतः अस्थायी मानी जाती है।

जहां तक मूल रेलवे में स्थिति का सम्बन्ध है, रेलवे विद्युतीकरण परियोजना से परावर्तित होने पर कर्मचारियों को ऐसे पदों पर तैनात किया जाना होता है जिन पर वे मूल रेलवे में होते और वही वेतन देना होता है जो उन पदों पर उनको सामान्य रूप से अनुमेय होता यदि वे रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में स्थानान्तरण पर न गये होते। यदि ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल रेलवे में परावर्तित करने में विशेष रियायत दी जाती है, तो इसके फलस्वरूप मूल कर्मचारियों में असन्तोष फैलेगा जो मूल संवर्गों में पहले से काम कर रहे हैं। उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों की यह सही शिकायत होगी कि पूर्वोक्त वर्ग के कर्मचारियों ने मूल संवर्ग से बाहर जाकर पहले ही लाभ उठा लिया है और अब उनकी कीमत पर प्रशासन उन्हें स्थायी लाभ दे रहा है। दोनों वर्गों के कर्मचारियों के दावों पर एक साथ विचार करने पर सरकार समझती है कि जो कर्मचारी रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में चले गये थे और पदोन्नति पा चुके हैं, उन्हें मूल संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद स्थिति में न रखा जाये।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में हुए प्रवरणों की मान्यता के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि किसी परियोजना में होने वाले प्रवरण का क्षेत्र नियमित रेलवे के प्रवरण से वस्तुतः भिन्न होगा। परियोजना में प्रवरण का स्तर कुछ हद तक उदार होगा क्योंकि प्रवरण उस परियोजना में केवल अस्थायी पदों को भरने के उद्देश्य से किया जाता है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जायेगी। किसी रेलवे में प्रवरण कठोर होता है क्योंकि प्रवरित कर्मचारी न केवल उस ग्रेड में सन्तुष्ट होंगे, बल्कि अपने सेवा-काल में वे भावी पदोन्नति के लिए भी प्रत्याशी होंगे। ऐसे स्थायी आदेश पहले से मौजूद हैं कि अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि में भिन्न रेलवे या संगठन में जिन व्यक्तियों को पदोन्नति मिली हो, उनके मामलों में मूल रेलवे में

उच्चतर ग्रेडों पर पदोन्नति के लिए स्वतः विचार न किया जाये और मूल संवर्ग में पदों को भरने के लिए सामान्य नियम लागू होने चाहिए।

लेकिन जब ऐसे कर्मचारियों का मूल संवर्ग में प्रत्यरण किया जाता है, तो अन्य बातों के साथ उधार लेने वाली यूनिटों मे उच्चतर ग्रेडों में उनके काम की रिपोर्टों का भी ध्यान रखा जाता है। केवल रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सामान्य आदेशों से विचलित होने का औचित्य नहीं है।

उत्तर कोरिया से शिष्ट मण्डल

4909. श्री रा० की० अमीन : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अजमल खां : श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री कृ० म० कौशिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके निजी आमन्त्रण पर उत्तर कोरिया सरकार के विदेश व्यापार के महा-निदेशक श्री किम गुक लिन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया का एक शिष्टमण्डल हाल में नई दिल्ली आया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमण्डल के आगमन का क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या भारत से उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये भारत सरकार और उत्तर कोरिया के शिष्ट मंडलों में कोई करार हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके परिणामों पर विचार किया है क्योंकि मैंगनीज अयस्क युद्ध सामग्री है और इसके निर्यात से वियतनाम में युद्ध और तेज होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) : जी हां। दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास की सम्भावना पर बातचीत करने के लिये कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य से विदेश व्यापार के महा निदेशक श्री किम गुक लिन के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल 25 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में पहुंचा है। इस दौरे के दौरान हुई बातचीत के परिणामस्वरूप आगामी दो वर्षों के लिये व्यापार एवं भुगतान व्यवस्थाओं के विषय में पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है। कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य को मैंगनीज अयस्क निर्यात करने के लिये, इन वार्त्ताओं के दौरान, कोई विशिष्ट करार तो नहीं किया गया है, परन्तु भारत से उस देश को निर्यात करने के लिये उपलब्ध वस्तुओं की सूची में यह मद भी शामिल है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और नये बाजार खोज कर, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ इस मद का निर्यात बढ़ाने के भी वास्तव में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रायपुर मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

4910. श्री सु० मू० सेठ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर मेटल प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड (मध्य प्रदेश को अक्तूबर-मार्च, 1962 अप्रैल-सितम्बर), 1962 अक्तूबर–फरवरी, 1962 की अवधि के लिए अस्पतालों में काम आने वाले बर्तन बनाने के लिए स्टेनलैस स्टील की चादरों और कायलों के लिए "वास्तविक उपभोक्ता" लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने अस्पताल के बर्तन बनाने की बजाय आयातित स्टेनलैस स्टील की चादरों और कायलों को बेच दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक विकास विभाग के एक अधिकारी द्वारा आयातित सामग्री के दुरुपयोग के मामले की जांच की गई थी जिसको इन आरोपों की सत्यता का पता लगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या दोषी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो क्या; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है वह सभा–पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे यातायात लेखा-कार्यालय में फालतू कर्मचारी

4911. श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रक्रिया को सरल बनाये जाने/यन्त्रीकरण के पश्चात दिल्ली में पश्चिम रेलवे के रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे के यातायात लेखा-कार्यालय तथा अजमेर में पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अग्निगुंडाला में तांबे के निक्षेप

4912. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्निगुंडाला स्थित तांबा, सीसे के निक्षेपों मे खनिज निकालने के व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन को पूरा करने में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को कितना समय लगेगा;

(ख) इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि दो विदेशी विशेषज्ञ, श्री मोगन और श्री रौयस, खेतड़ी राखा और अग्निगुंडाला में उत्पादन की आयोजना के लिये परामर्शदाता के रूप में काफी समय से काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके साथ हुए करार की शर्तें क्या हैं और उनका वेतन कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अग्निगुंडाला के बन्डलामोट्टू खण्ड के कम्र । के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस का कि इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई एक तकनीकी समिति द्वारा पुनरावलोकन किया जाना है । कम्पनी नल्लाकोंडा खण्ड के सम्बन्ध में भी एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है । इसी बीच, विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण और आगे हीरक व्यधन कार्य किया जा रहा है । इस विषय में कोई देरी नहीं हुई है ।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्थाओं के अन्तर्गत श्री डब्ल्यू० डी० मौरगन की सेवाएं प्राप्त की गई थी । नवम्बर, 1967 में हिन्दुस्तान कापर के बनाये जाने पर उस की सेवाएं उस कम्पनी को सौंपी गई थी । वह हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के पास केवल थोड़े ही समय के लिये, फरवरी 1968 तक रहा । हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के पास श्री रायस नाम का कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं रहा है ।

(घ) श्री मौरगन की सेवाएं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन नियुक्त किये जाने वाले विदेशी विशेषज्ञों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों पर प्राप्त की गई थी । इस प्रकार के मामलों में भारत सरकार का दायित्व केवल स्थानीय खर्चे, जैसे कि, कार्यालय-आवास, कार्यालय-उपकरण, साज सामान और सप्लाईज, आशुलिपिक, तकनीकी और सचिवालय विषयक सहायता, अनुवाद और दुभाषिया सेवाएं, यदि आवश्यक हो, पर्याप्त मकानों की ढूंढ, प्राप्त किये गये विशेषज्ञों के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र द्वारा लिये जाने वाले स्थानीय खर्चे, विशेषज्ञ तथा उसके परिवार के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं और सुविधाएं, ड्यूटी पर आन्तरिक परिवहन, आदि है ।

विशेषज्ञों को तनख्वाह और अन्य भत्ते देने और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा और उनके घरेलू सामान के भारत में लाने और यहां से ले जाने के खर्चे का दायित्व संयुक्त राष्ट्र का है ।

अमृतसर में कृत्रिम रेशम उद्योग

4913. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेयन के धागे के बहुत अधिक और बढ़ते हुए मूल्य के कारण अमृतसर में कृत्रिम रेशम बुनाई लघु उद्योग गम्भीर संकट से गुजर रहा है और उसके बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेयन के धागे का 70 प्रतिशत उत्पादन पर एक औद्योगिक गृह का नियन्त्रण है; और

(ग) यदि हां, तो कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग के उचित हितों की कताई करने वालों द्वारा अनुचित लाभखोरी से रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कृत्रिम रेशम के धागे के मूल्यों में वृद्धि के विषय में, टैरिफ आयोग को मानव-निर्मित रेशा । धागा उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने का निर्देश दिया गया है । आशा है कि आयोग जांच पूरी करके अप्रैल, 1969 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ।

जावा मोटर साइकिल फैक्टरी

4914: श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के समीप स्थित जावा मोटर साइकिल फैक्टरी 30 नवम्बर, 1968 से बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रबन्धकों के कथनानुसार मजदूरों ने धीमे काम करो रीति अपनाना दिनांक 19 नवम्बर, 1968 से प्रारम्भ कर दिया था अतएव लगभग दस दिन तक कोई उत्पादन नहीं हुआ । अतः प्रबन्धकों ने 30 नवम्बर, 1968 से कारखाना बन्द कर दिया ।

(ग) दिनांक 16 दिसम्बर, को कारखाना पुनः चालू हो गया ।

अनन्तपुर में सोने के निक्षेप

4915 : श्री रा० कृ० सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनन्तपुर के समीप सोने के नये निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में सोना उपलब्ध होने का अनुमान है; और

(ग) क्या उसका वाणिज्यिक स्तर पर विदोहन करने की योजना तैयार कर ली गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिना टिकट यात्रा

4916 : श्री रा० कृ० सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के अक्तूबर और नवम्बर महीनों में रेलवे ने कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े हैं;

(ख) उनसे कितनी कुल राशि वसूल की गई है; और

(ग) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : अक्तूबर, 1968 के दौरान 8,15,848 व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उनसे 28,19,532 रुपये की रकम वसूल की गयी।

नवम्बर, 1968 से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) स्टेशनों पर और गाड़ियों में टिकटों की सामान्य जांच करने के अलावा बिना टिकट यात्रा और अन्य प्रकार की अनियमित यात्रा को कम करने के लिए बार-बार सघन जांच की जाती है, जिसमें चल टिकट परीक्षकों के उड़न दस्तों और मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाने वाली अचानक जांच भी शामिल हैं।

एक शिक्षात्मक अभियान भी चलाया जा रहा है।

टिकट-जांच सम्बन्धी व्यवस्था के पर्यवेक्षण का काम भी तेज कर दिया गया है।

मशीनें बनाने के कारखाने

4917 : **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार और तिरुचिरापल्ली में स्थित विद्युत् उपकरण बनाने वाले चार कारखानों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्ण क्षमता का प्रयोग न किये जाने के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) पूर्ण क्षमता के प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैदराबाद, हरिद्वार तथा तिरुचिरापल्ली एककों की अब तक विकसित क्षमता का पर्याप्त प्रयोग किया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रयादेशों का स्वरूप अभी तक अनिश्चित है और यह चतुर्थ योजना की अवधि में विद्युत विकास कार्यक्रम पर निर्भर करता है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्विच गियर तथा हल्की वोल्टेज के केपिसेटरों को छोड़कर 1968-69 में पर्याप्त प्रयोग के लिये क्रयादेश उपलब्ध हैं। तापि बिजली सयन्त्रों के बारे में 1970-71 के पश्चात् की अवधि में स्थिति अभी अनिश्चित है और वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में समूचे विद्युत विकास कार्यक्रम पर निर्भर करती है।

(ख) इस अवस्था में क्षमता के कम प्रयुक्त होने से होने वाली हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं।

(ग) अभी विद्युत सयन्त्र बिक्री के भरसक प्रयासों द्वारा अधिकतम क्रयादेश प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। यह उपक्रम नए-नए उत्पादनों पर तथा विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विविधता लाने पर विचार कर रहे हैं। निर्यात की सम्भावनाओं से चतुर्थ पचवर्षीय योजना की अवधि में अप्रयुक्त रहने वाली क्षमता का कुछ अंश प्रयुक्त हो जायेगा।

सूती कपड़े का निर्यात

4918 : श्री सीताराम केसरी
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में सूती कपड़े का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) क्या इस कमी के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं। जनवरी-नवम्बर, 1968 की अवधि में किये गये सूती वस्त्रों के निर्यात 1967 की उसी अवधि में हुए निर्यातों की अपेक्षा अधिक हैं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी सहयोग

4919 : श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग सम्बन्धी करारों में निर्बन्धक उपबन्ध में ढील देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सम्बन्धित देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जिन उत्पादों के विषय में निर्यात सभाव्यता है उनके निर्माण के लिए कुछ विदेशी सहयोगी करारों में जो निर्यात प्रतिबन्ध विद्यमान हैं उनको समाप्त कराने अथवा उन्हें उदार कराने के लिये विदेशी सहयोगियों को राजी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) ये प्रयत्न अब भी जारी हैं।

बोकारो स्टील संयंत्र के निकट और सहायक उद्योग

4920 : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को दी है जिसमें उसने इस बात का उल्लेख किया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के चारों ओर कौन-कौन से सहायक उद्योग स्थापित किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना रिपोर्ट का स्वरूप और उसकी मुख्य बातें क्या-क्या है और बोकारो इस्पात संयंत्र के चारों ओर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों की अलग-अलग उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(ग) सरकार की इस योजना के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं। ऐसा मालूम हुआ है कि बिहार सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के चारों ओर सहायक उद्योगों के विकास के लिए एक समिति नियुक्त की है और इस बारे में सविस्तार अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में खनन पट्टे

4921 : **श्री लोबो प्रभु :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 26 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में खनन पट्टे पर दी गई खानों का क्षेत्र कितना है, और उन्होंने कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले के लिये अलग-अलग कितने प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग किया है ;

(ख) यदि इस्पात कारखाने आत्म-निर्भर हो जाते हैं, तो इसका वाणिज्यिक कोयला खानों से निकाले जाने वाले कोकिंग कोयले पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या गत वर्ष मांग कम होने के कारण कम कोयला निकला था; और

(घ) गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितना कोयला निकाला गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) दोनों क्षेत्रों में कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला उत्पादित कर रही लगभग 790 चालू कोयला खानें हैं। उनमें से, 79 खानें सरकारी क्षेत्र के अधीन है। उपयोगिता की प्रतिशतता निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि कोयला खान का उपयोग एक निरन्तर चलने वाली क्रिया है।

(ख) यदि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जायें तो

कोकिंग कोयले का उत्पादन करने वाली बाजारू कोयला खानें उसे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों और अन्य धातु कार्मिक उद्योगों को सप्लाई करेगी, जिनकी कोयले की मांग के चौथी योजना के दौरान बढ़ जाने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) 1966–67 और 1967-68 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन क्रमश: 685.6 और 683.2 लाख मैट्रिक टन था । इन्हीं वर्षों के लिये कोकिंग कोयले के तुलनात्मक आंकड़े क्रमश: 165.8 और 161.2 लाख मैट्रिक टन थे । कोयले के उत्पादन में गिरावट नगण्य ही रही है ।

Strike by Sweepers in Sitapur Colony

4922. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that the sweepers remained on strike for seven days from 25th August, 1968 at the instance of the inspector of Works in Sitapur Colony of the North Eastern Railway ; and

(b) if so, the action taken so far in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) There was no strike as such. It is reported that the Sweepers could not attend to sanitation work for fear of being assaulted by the occupants of Railway Colony, who had earlier assaulted an Inspector of Works.

(b) The disturbance caused by the inhabitants has been reported to the Police and a complaint also lodged.

Refreshment Rooms at Suratgarh Station (N. Rly.).

4923. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to provide vegetarian and non-vegetarian Refreshment Rooms at Suratgarh Station in Bikaner Division of the Northern Railway for the facility of passengers ;

(b) is so, when this would be done and if not, the reasons therefor; and

(c) whether the Ministry is aware that the Central Mechanised Agricultural Farm is located there and not only Indian but foreign visitors also come to see the farm and thus there is necessity of such a Refreshment Room ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c): The existing vending contractors at Suratgarh Station cater adequately to the needs of the general travelling public. The foreign visitors to the Central Mechanised Agricultural Farm at Suratgarh normally use the Guest House in the Farm and do not require any catering service at the station. Besides, their number is very small. The needs of other visitors to the Farm are adequately met by the existing catering facilities provided at the station as well as in a number of catering establishments located outside the station building.

The provision of Refreshment Rooms at Suratgarh station has thereofre, not, been found necessary.

Railway Line Between Hindumalkot to Sriganganagar

4924. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which construction work of laying the new railway line between Hindumalkot and Sriganganagar on the Northern Railway would be completed; and

(b) the number of stations proposed to be set up between these two places and the names and locations thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The line in expected to be completed by the end of 1969.

(b) The following 4 stations will be provided between Hindumalkot and Sriganganagar stations :—

	Name of Station.	Class of Station.	Distanee from Hindumalkot (in KMs)
1.	Orki	Flag	7.19
2.	Shivpur	Crossing	12.19
3.	Kailan	D. K. Siding	17.57
4.	Mohanpura	do	21.71

New Railway Line From Kolayat to Phalodi

4925. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to construct a new Railway line from Kolayat Station in Bikaner Division to Phalodi Station in Jodhpur Division of the Northern Railway in view of the security of the region ; and

(b) if so, when the said scheme would be implemented and the amount likely to be spent thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Supply of Gypsum From Rajasthan

4926. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the names of States to which gypsum is supplied at present from Rajasthan and the quantity thereof ;

(b) the names of the industries in which gypsum is being utilised at present; and

(c) the names of the districts, or regions of Rajasthan where gypsum is available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Gypsum is supplied from Rajasthan mainly to Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Orissa and Assam States. The state-wise supply figures are not available.

(b) Fertilizer and Cement industries account for 99% of gypsum consumption while rest is consumed by Plaster of Paris Industry and for agricultural use etc.

(c) Gypsum is availabe in Rajasthan in Barmer, Bikaner, Nagaur, Pali, Sriganganagar, Jodhpur, Jaislamer and Bharatpur districts. The first five districts mainly account for production in Rajasthan.

Accident near Bhojpura Level Crossing

4927. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Railway accident took place on the Eastern Railway near the level crossing at village Bhojpura (Varanasi) on the night of the 15th/16th August, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that in this accident some passengers sitting in the bus were injured and some of them have claimed compensation from the Railway Administration ;

(c) the amount of compensation Railway Administration have decided to pay to them; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the accident in which a light engine collided with a public bus at manned level crossing gate No. 102/B between Sakaldiha and Kuchman stations on the Eastern Railway at 0.20 hrs. on 16.8.1968.

(b) Yes,

(c) and (d): The question whether the Railway Administration is liable to pay compensation in this case will be decided and the claims disposed of on receipt of the final Police report which is awaited. Efforts are being made to obtain the Police report as early as possible.

Bridge on G. T. Road at Mughal Sarai

4928. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway bridge on the G. T. Road at Mughal Sarai (Varanasi) has two passages one for the trains and the other for cars, buses, longes rickshaws and the pedestrians ;

(b) whether it is also a fact that when the cars approach each other from the opposite direction on the said passage it becomes difficult for the pedestrians to save themselves;

(c) whether Government are considering to construct a separate passage for the pedestrians on this bridge and if so, when the work in this regard would be taken in hand ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) It is presumed that the reference is to the bridge over river Ganga and known as Malaviya Bridge. It carries two railway tracks on the lower deck and the road-way with two foot paths on either side of the road on the upper deck.

(b) No such difficulty has come to the notice of railway authorities.

(c) and (d): As stated above, the road is on the upper deck and is provided with side foot paths.

इस्पात पुनर्बेलन (री-रोलिंग) उद्योग

4929. श्री नन्द कुमार सोमानी क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 में इस्पात पुनर्बेलन मिलों द्वारा कितना निर्यात किया गया और 1968–69 के लिये उनके निर्यात का क्या लक्ष्य है ;

(ख) यह टाटा ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी और इन्डियन ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी के निर्यात की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ।

(ग) क्या पुनर्बेलन मिलों को बिलेटों की सप्लाई उनकी मांग से बहुत कम हो रही है ;

(घ) क्या बिलेटों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ङ) क्या बिलेटों की सप्लाई कम होने तथा ऊंचे मूल्य के कारण इस्पात के पुनर्बेलनों के निर्यात और निर्माण-कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(च) पुनर्बेलन मिलों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : इस्पात पुनर्बेलन मिलों, टाटा और इंडियन आयरन एण्ड स्टील द्वारा 1965–66, 1966–67, 1967-68 में किया गया निर्यात तथा 1968–69 के लिए रखे गये लक्ष्य निम्नलिखित है:

(टन)

	1965–67	1966–67	1967-68	1968-69 के लक्ष्य
इस्पात पुनर्बेलन मिलें	66,709	134,403	219,215	250,000
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	26,251	42,641	68 999	150,000
इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	4,341	32,329	127,328	55,000

(ग) और (घ) : बिलेट की कमी हाल ही में हुई है। बिलेट का निर्यात पिछले साल शुरु किया गया था जिस समय बाजार में बहुत मा्ल था और उत्पादकों के पास बहुत सा माल अविक्रित पड़ा हुआ था ।

(ङ) और (च) : निर्यात हेतु सामान तैयार करने के लिए इस्पात पुनर्बेलन मिलों की बिलेट की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस्पात पुनर्बेलन मिलों को निर्यात के लिए माल के प्रेषण में भी प्राथमिकता दी जाती है। 31-7-1968 से बिलेट के मूल्य में वृद्धि का निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर

4930 श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयरों के बारे में 20 नवम्बर, 1968 को दिए गए वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली है कि कई लाख शेयरों का इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का एक ब्लाक को कानून के उपबन्धों के विपरीत प्रबन्ध ने स्वयं 'बेनामी' कर के रोक लिया है ;

(ख) यदि हां, तो 'डलहौजी होल्डिंग्स शेयर' नामक ब्लाक के बारे में ऐसी शिकायतों की कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) ऐसे शेयर कितने हैं तथा कितने मूल्य के हैं; और

(घ) क्या शेयर होल्डरों के हित में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । इस प्रभाव की शिकायतें प्राप्त हुई है कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल लिमिटेड का, कानून द्वारा संमिश्रण होने से तुरन्त पहले ही, इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा, स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल में धृत अपने 11 लाख हिस्सों को, मैसर्स डलहौजी होल्डिंग्ज लि० को हस्तान्तरण करना, कानून के उपबन्धों के प्रतिकूल है । यह भी आरोपित किया गया है कि हस्तान्तरण एक ऐसी कम्पनी के लिये किया गया है, जो, इन हिस्सों के हेतु, मतदान शक्ति को नियन्त्रण करने तथा प्रयोग करने की दृष्टि से, इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध अभिकर्त्ता के नियन्त्रण तथा प्रभाव में थी ।

(ख) यह मामला इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कुछ हिस्सेधारियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था । उस उच्च न्यायालय को डिवीजन बेंच ने, 1957 में दिये गये अपने निर्णय में अपीलकर्त्ताओं के तर्क-वितर्कों को खारिज करते हुये, अपील में उठाये गये इंगितों पर निर्णय दिया था ।

(ग) स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल के 10 रु० को अंकित अर्हा के 11 लाख हिस्से, जो डलहौजी होल्डिंग्ज को हस्तान्तरण किये गये थे, वह समिश्रण होने पर इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के 10 रु० प्रति हिस्से के 8,80,000 इक्विटी हिस्सों से विनिमय किये गये थे । समय समय पर, इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड अधिकार एवं अधिलाभश हिस्से प्रेषित करती रही थी । उनमें से हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा बेचे गये हिस्सों को घटाकर इस लेखे में इस समय 10 रु० प्रति हिस्से को अंकित अर्हा के 33,69,200 इक्विटी हिस्से हैं ।

(घ) शिकायत कर्त्ताओं ने, सरकार द्वारा कार्यवाही करने के लिये हिस्सेधारियों के हित में अनेक सुझाव दिये हैं, जो परीक्षान्तर्गत है ।

अफगानिस्तान से फलों का आयात

4931 : श्री भोलानाथ मास्टर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए वर्तमान प्रबन्धों को बनाये रखने के बारे में पाकिस्तान सरकार सहमत नहीं है;

(ख) क्या इस समय फल ईरान होकर आते हैं और इस प्रकार महगे होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख): जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Coke

4932. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total quantity of coke being prepared in the country from coal, and the products being prepared from coal gas and whether all the gas coming out of coke-ovens all over India is being utilised ;

(b) whether it is a fact that in other countries only gas is used with so much advantage that coke is obtained as a by-product and if so, the steps being taken by Government in this direction ; and

(c) whether it is also a fact that at Sindri this gas is being used to make fertilizers, tar and benzene and that fifty percent cost of preparing coke is removed thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में व्यक्तियों को आयातित कारों की बिक्री

4933. श्री म० सिं० सहगल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मध्य प्रदेश में किन व्यक्तियों ने 1 अप्रैल, 1967 से आयातित कारें खरीदी हैं, किन प्रयोजनों के लिए कारें खरीदी गई और क्या मूल्य लिये गये हैं ; और

(ख) क्या यह जानने का कोई प्रयास किया गया था कि उक्त कारें उसी प्रयोजन के लिए काम में लाई जा रही हैं जिसके लिए वह खरीदी गई थीं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिड़ला हाउस को राष्ट्रीय स्मारक बनाना

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) मै निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"सरकार द्वारा बिड़ला हाउस को अपने हाथ में लिये जाने तथा इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बारे में सुझाव।"

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) बिड़ला भवन, नई दिल्ली जहां 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गाधी शहीद हुए थे, के सम्बन्ध में सदन की संवेदनाओं एवं अनुभूतियों को सरकार भली प्रकार समझती है तथा वह इसमें सम्मिलित है। महात्मा जी की दुःखद हत्या के समय से इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित करन के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। सदन को विदित है कि उद्यान का वह भाग जहां गांधी जी अपनी सुप्रसिद्ध प्रार्थना सभा किया करते थे जिसमें ग्रीष्म वास भी शामिल है, उस भाग को मुख्य भवन से अलग कर दिया गया हैं, तथा सर्वसाधारण बगैर रोक-टोक के गांधी जी की स्मृति में श्रद्धांजली देन के लिए वहां जा सकते हैं। इसी कारण 1955 तथा उससे पूर्व भी जब यह मामला विचार के लिए आया, तो यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि इस स्थान के अर्जन करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने उस समय यह कहा था कि सभा स्थल पहले से ही एक पवित्र स्थान के रूप में काम में लाया जा रहा है तथा वहां कोई भी जा सकता है।

सरकार को यह पता चला है कि इसके स्वामी इस सभा स्थल को उसे (सरकार को) हस्तान्तरित करने के लिए राजी हे। तदनुसार, सरकार इस पवित्र स्थल सहित स्थान को लेने, उसकी देखभाल की व्यवस्था सम्बन्धी उपायों, तथा पर्याप्त सुविधाएं जुटाने के प्रश्न पर, पूर्ण ध्यान, सम्मान एव गभीरता से विचार कर रही है ताकि वहां आने वाली जनता गांधीजी की स्मृति में श्रद्धांजली अर्पित कर सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी थी जो कि प्रधान मत्री को सम्बोधित थी।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली कुछ सूचनाएं प्रधान मन्त्री को तथा कुछ सम्बन्धित मन्त्री को सम्बोधित की गई थी। कुछ सूचनाएं इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा अनशन किये जाने के बारे में थी। इनको मैंने ग्राह्य न करने का निर्णय किया है। यदि इनको एक बार ग्राह्य कर लिया जाता है तो प्रतिदिन इसी विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं आती रहेंगी। अतः इनको ग्राह्य करना उचित नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) एक सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए अनशन कर रहे हैं। अतः यह टिप्पणी बहुत सख्त है।

अध्यक्ष महोदय : विषय का जो सार है वह अधिक महत्वपूर्ण है और वह है स्मारक।

श्री ए० श्रीधरन : मैं अपने साथी श्री शशि भूषण के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिये अनिश्चित काल तक का अनशन किया है। यह विषय हम लोगों के लिए बहुत पवित्र है। यह बड़ी शर्म की बात है कि सरकार ने स्मारक बनाने के लिए गत 20 वर्षों में कुछ नहीं किया है। सरकार यह बहाना कर रही है कि यह स्थान तथा भवन बिड़ला का है। जब सरकार गरीब लोगों की जमीन बिना नोटिस अथवा प्रतिकर दिये अर्जित कर लेती है तो इस स्थान तथा भवन को अर्जित न करने के क्या कारण हैं। विवरण से पता लगता है कि इस स्थान को अर्जित करने के लिए सरकार में हिम्मत नहीं है। यह भी कहा गया है कि लोग इस स्थान पर जहां गांधी जी प्रार्थना किया करते थे निर्बाध रूप से जा सकते हैं।

ध्यान दिलाने वाली इस सूचना का उत्तर प्रधान मन्त्री को देना चाहिए था। परन्तु उनके पास महात्मा गांधी के मामले के लिए कोई समय नहीं है क्योंकि वह राजनैतिक मामलों में अधिक रुचि लेती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस स्थान पर बिड़ला बन्धुओं का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि यह स्थान उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा पट्टे पर दिया गया था। अतः यह कहने का कोई महत्व नहीं कि जिस स्थान पर महात्मा जी प्रार्थना किया करते थे केवल उसी स्थान को लिया जायेगा। इसके विपरीत सरकार को चाहिए कि वह पूर्ण भवन को अर्जित करे और वहां पर शान्ति का मन्दिर बनाये क्योंकि संसार ने यह महसूस करना शुरु कर दिया है कि आटम बम्ब का विकल्प केवल महात्मा गांधी का मार्ग ही है। अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पूरी इमारत को अर्जित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

श्री जगन्नाथ राव : यह स्थल 1931 में घनश्यामदास बिड़ला को पट्टे पर दिया गया था। 1962 में इसको माधो प्रापर्टीज (प्र) लिमिटेड के नाम हस्तांतरित कर दिया गया था। वह कहना ठीक नहीं है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्थान उनको पट्टे पर दिया गया था। प्रश्न यह है कि क्या हम पूरी इमारत को अर्जित कर रहे हैं अथवा केवल उस स्थान को जहां महात्मा जी अपनी प्रसिद्ध प्रार्थना सभाएं किया करते थे। बिड़ला बन्धुओं ने प्रार्थना सभा के स्थान को शेष भवन से पृथक कर दिया है और लोग वहां पर निर्बाधरूप से जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि उसमें सुधार किस प्रकार किया जाये। सरकार इस स्थान को अर्जित करेगी तथा इसमें सुधार करेगी और इसके महत्व के अनुसार इसका रखरखाव करेगी।

Shri Amrit Nahata (Barmer): I congratulate Shri Shashi Bhushan for drawing the attention of the whole country towards this important issue.

Several villages have been acquired and thousands of people have been uprooted in the last two years, A number of slums have been cleared and their residents have been forced to leave their dweleings. I do not know why Government is hesitating in acquiring this building. Now it has been said that the garden where Gandhiji used to ho

prayer meetings is being acquired and that the building is not being acquired because the sentiments of the Birlas are attached with it. I would like to say that the whole building alongwith the garden should be acquired because Gandhi died in one of its rooms. So the people have also its sentiments attached to it.

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्यों ने झुग्गी झोंपड़ी को हटाये जाने के प्रश्न को बिड़ला हाउस को अर्जित करने के प्रश्न के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न यह है कि क्या समूचे भवन को अर्जित करना उचित होगा। जहां गांधी जी प्रार्थना सभाएं किया करते थे और जहां उनकी हत्या हुई थी वही स्थान पुण्य है। सरकार उस स्थान में सुधार करने का क्या प्रयत्न कर रही है ?

Shri S. N. Banerjee : I would like to know from the hon. Minister whether it is fact that the Birlas were willing to give this whole building alongwith the garden for the use of Prime Minister ? Is it also a fact that Gandhiji uttered his last words 'Hey Ram' and died in one of the rooms of the building ? I also want to know the objections raised by Birlas in handing over this building to the Government ?

श्री जगन्नाथराव : मेरी जानकारी यह है कि महात्मा गांधी जी ने गोली लगने के कारण अपने प्राण उसी स्थान पर त्याग दिये थे। अतः समूचे भवन को लेने का कोई महत्व नहीं है। जहां गाधी जी मरे थे उस पुण्य स्थान को अर्जित कर उसका सुधार किया जायेगा।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सारा संसार जानता है कि गोली लगने के पश्चात गांधी जी को बिड़ला भवन के एक कमरे में ले जाया गया था। वहीं पर उन्होने अपने प्राणों का त्याग किया था। परन्तु हमारी सरकार के मन्त्री इस बात को नहीं जानते कि गांधी जी ने अपने प्राणों का त्याग भवन के बाहर अथवा अन्दर किया था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : The government have not made any arrangements for the maintenance of that place during the last 20 years where Gandhiji died I would like to know from the hon. Minister whether the Government will acquire the whole building of it is a proved that Gandhiji breathed his last in that building ? I would also like to know whether Government will assure this House that some programme will be drawn up for the improvement of the site where Gandhi ji died after acquiring it ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस बात में माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां गाधीजी को गोली लगी थी उस स्थान का रखरखाव ठीक ढ ंग से नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि उसके सुधार के लिये सरकार उस स्थान को अपने हाथ में ले रही है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विकास परिषदों तथा लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (टायर एण्ड ट्यूब) दूसरा संशोधन नियम

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास परिषदों के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मशीन औजार उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(दो) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(तीन) कपड़ा मशीन उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 2727/68]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (2) के अन्तर्गत लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (टायर तथा ट्यूबें) दूसरा संशोधन नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2012 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2728/68]**

भारत अल्यूमिनियम कम्पनी के बारे में सरकारी समीक्षा तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारत अल्यूमिनियम कम्पनी, लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०2729/68]**

नारियल जटा बोर्ड के प्रमाणित लेखे तथा बंगाल नागपुर काटन मिल्स के बारे में अधिसूचना

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड एरणाकुलम के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2730/68**]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18 क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत बंगाल नागपुर काटनमिल्स लिमिटेड राजनन्दगांव की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4205 की एक प्रति जो दिनांक 22 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2731/68**]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं होटल मालिकों की एक फर्म को दी गई अनुचित सुविधा के बारे में निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय (निर्माण तथा आवास विभाग) के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 65 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

आर्थिक सहकारिता सम्बन्धी तीसरे एशियाई मन्त्री सम्मेलन के बारे में विवरण

STATEMENT RE. THIRD ASIAN MINISTER'S CONFERENCE ON ECONOMIC COOPERATION

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विवरण सभा पटल पर रख सकते हैं।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2732/68**]

अत्यावश्यक सेवाएं संधारण विधेयक–जारी

ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL-Contd.

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर हम निर्धारित समय से तीन गुना समय पहले ही ले चुके हैं। अभी खण्डवार चर्चा के लिए 1 घन्टा दस मिनट का समय शेष है। मेरी प्रार्थना है कि 3.30 बजे तक इस चर्चा को समाप्त करने के लिए सभा मेरी सहायता करे, ताकि तीसरे पाठ को जिसके लिए एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया है 4.30 बजे तक समाप्त किया जा सके। अभी सभा के समक्ष वितीय विधेयक बिहार में राष्ट्रपति शासन के विस्तार की घोषणा तथा नागालैंण्ड विधेयक हैं। इनको स्थगित नही किया जा सकता।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे प्रत्येक अवसर पर बोलने के लिए जोर न दें। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य शुक्रवार शाम तक कार्य को समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों सम्बन्धी चर्चा को किसी अन्य दिन तक स्थगित किया जा सकता है। उस घण्टे के लिए भी हम सरकारी कार्य लेंगे ताकि काम को समाप्त किया जा सके।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विधेयक का प्रारूप बहुत खराब है। अतः व्यवस्था के प्रश्न उठाये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्नों को नहीं रोका जा सकता परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस सप्ताह में कार्य समाप्त नहीं होता तो हमें अगले सप्ताह मे भी काम जारी रखना होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं नहीं समझता कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में चर्चा के लिए इस सत्र में कोई अन्य दिन और रह गया है। 18,19 और 20 को अन्य बातों पर चर्चा होनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह सम्भव नहीं है। यह ऐसी चर्चा है जिससे आज कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अतः हम इस पर फरवरी में चर्चा कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हम इसको अगले सप्ताह ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस सप्ताह काम समाप्त नहीं होता तो हमें अगले सप्ताह में भी सभा को जारी रखना होगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : क्या सभा 20 को स्थगित हो रही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यदि जो काम कार्यसूची पर है वह समाप्त हो जाता है तो/ वित्तीय विधेयकों को स्थगित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बिहार पर राष्ट्रपति शासन

के विस्तार सम्बन्धी घोषणा को भी स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि सभा मेरे साथ सहयोग करे तो इस सारे काम को एक दिन में समाप्त किया जा सकता है।

श्री उमा नाथ (पुदुकोटै) : इस विधेयक को स्थगित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा करना है तो इसके लिए सभा को बहुमत से निर्णय करना होगा।

श्री नम्बियार : जब विधेयक पर सामान्य चर्चा हो रही थी उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि विचार करने सम्बन्धी अवस्था पर विभिन्न पहलुओं को सामने लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप बारह बार बोल चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल जब श्री शुक्ला ने जे० सी० एम के प्रस्ताव के बारे में घोषणा की थी जो कि सरकार के विचाराधीन है उस समय हम में से अनेक प्रश्न किया था। श्री रंगा, एक वरिष्ठ सदस्य ने पूछा था कि क्या वह इसमें कोई संशोधन स्वीकार करेंगे अथवा विधेयक के इस पहलु विशेष में जोड़ेगें।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टरूप से जानता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा था कि यह संभव नहीं है।

श्री स० कुन्दू (बालासौर): मैंने कल कुछ संविधानिक प्रश्न उठाये थे।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair.* }

उपाध्यक्ष महोदय : कल सभा के स्थगित होने से पूर्व खण्ड दो पर व्यवस्था के कुछ प्रश्न उठाये गये थे। मैंने उन सब को सुना था और उन पर चर्चा समाप्त हो गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने समाप्त नहीं किया था। वह श्री मिश्र के व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। मैं उस प्रश्न पर किसी अन्य की बात सुनने को अब तैयार नहीं हूं। उस प्रश्न पर ब्यौरेवार चर्चा हो चुकी है। यदि कोई नई बात है तो उस पर आप मेरे विनिर्णय के पश्चात विचार करें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। क्या आप उनके तर्क से संतुष्ट हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर व्यवस्था के अनेक प्रश्न उठाये गये थे। मैं ने खण्ड के प्रत्येक पहलु पर सावधानी से विचार किया था ताकि कोई अन्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने की गुंजाइश न रहे।

सर्व श्री श्रीनिवास मिश्र तथा श्री दत्तात्रय कुन्टे ने अत्यावश्यक सेवाएं संधारण विधेयक, 1968 के खण्ड 2 में निहित कुछ उपबन्धों की संवैधानिक वैधता के बारे में कल व्यवस्था के प्रश्न उठाये थे। संक्षेप से वे इस प्रकार हैं :–

(1) 'अत्यावश्यक सेवा' को बहुत व्यापक अर्थ दिया है ताकि अनेक सेवाएं को इनके अन्तर्गत लाया जा सके जो कि अत्यावश्यक नहीं है।

(2) खण्ड 2 (1) (क) (II) में परिवहन सेवाएं आती हैं जो कि राज्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

(3) इससे अनुच्छेद 309 का उल्लघन होने के कारण राज्य सेवाओं के बारे में राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है।

(4) समयोपरिभत्ते के लिए प्रतिकर दिये बिना हड़ताल के लिए दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : इससे संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सभी बातों पर सावधानी से विचार किया है और मैं महसूस करता हूं परिवहन सेवाओं को छोड़कर अन्य संवैधानिक आपत्तियां ठीक नहीं है। कारण ये है कि (क) खण्ड 2 में आठ प्रकार की सेवाएं बताई गई है जो कि अपने स्वरूप के कारण समुदाय के जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। अवशेष खण्ड (9) में संसद को उन सेवाओं को, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में हड़ताल से किसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के संधारण, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा समाज के जीवन के लिए सप्लाई के रखरखाव तथा आवश्यक सेवाओं में अथवा जिस से समाज को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करने की शक्ति है। अधिसूचना पर 40 दिन के अन्दर-अन्दर संसद का अनुमोदन लेना होता है। अतः अधिसूचना की शक्तियों के मनमाने ढंग से प्रयोग किये जाने के प्रति पर्याप्त सुरक्षोपाय है। यह सच है कि इस खण्ड में न केवल केन्द्रीय सरकार बल्कि राज्य सरकार अथवा निजी पार्टियों के भी खण्ड आते हैं। प्रश्न यह है कि क्या सेवा उन मामलों से सम्बन्धित है जिनके बारे में संसद कानून बना सकता है अथवा जो समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक है। यदि ऐसा है तो समाज को कठिनाइयों से बचाने के लिए हड़ताल को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्ति होनी चाहिए। अतः इस उपबन्ध से राज्य के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

खण्ड 2 (1) (क) (2) भूमि अथवा जलमार्ग से वस्तुओं तथा यात्रियों के वहन के सम्बन्धी परिवहन के बारे में हैं। यह हो सकता है कि यह केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में न होता हो। खण्ड को और स्पष्ट तथा शुद्ध किया जाना चाहिए। उसमे यह उपबन्ध किया जाना चाहिए अर्थात 'जहां तक संसद को कानून बनाने की शक्ति है।"

जहा तक उप खण्ड (4) का पतनों पर माल उतारने तथा चढ़ाने का सम्बन्ध है बड़े बड़े पत्तन संघीय सूची में तथा छोटे पत्तन समवर्ती सूची में आते हैं। अतः इनके बारे में संसद को कानून बनाने की शक्ति है।

जहां तक अनुच्छेद 309 के उल्लंघन का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खण्ड (2) (1) (क) (9) का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमन करने का नहीं है। यह केवल अत्यावश्यक सेवाओं में चाहे वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हों, हड़ताल को निषेध करना है। जब तक संसद किसी उपक्रम के बारे में कानून बनाने में सक्षम है तब तक इसमें राज्य शक्तियों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

खण्ड 2(1) (ख) के उपबन्धों से फैक्टरी अधिनियम अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लघन नहीं होता। इससे केवल हड़ताल को निषेध किया गया है।

हमारे पास समय बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके है कि हमें 4 बजे तक इसको अवश्य समाप्त करना चाहिए। खण्ड 2 तथा 3 महत्वपूर्ण हैं और हमें उन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : आपके विनिर्णय के प्रक्रम को पारिचालित किया जाना चाहिए और आपने जो सशोधन प्रस्तुत किया है मन्त्री महोदय को उससे प्रस्तुत करना चाहिए। हम विधेयक पर कल चर्चा कर सकते हैं इस समय हम अनुदानों की अनुपूरक मागों को पास कर सकते हैं। जो कि महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक खण्ड में संशोधन के लिए मैं ने कहा है। मैं ने अपना विनिर्णय दे दिया है। वे इस पर विचार करेंगे। हमें चार बजे तक इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसको स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उमा नाथ (पुद्दूकोटै) : आपके विनिर्णय के आधार पर उनको संशोधन प्रस्तुत करना होगा। अभी तक यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के समय मैं उनको इस पर विचार करने को कहूंगा।

श्री उमानाथ : इसको चार बजे तक समाप्त करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस पर अभी खण्ड-वार चर्चा होनी है। व्यवस्थाओं के प्रश्न पर व्यय किये गये समय को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। अतः उस समय को निर्धारित समय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसको चार बजे तक समाप्त कर देना चाहिए।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjoured for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past fourteen of the clock.

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

(PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER)

Shri Kamal Nayan Bajaj (Wardha) : I want to explain something as my name has been mentioned by Shri Banerjee in the discussion regarding taking over of Birla House. What I said was that Mr. Birla offered his House to late Prime Minister--Pandit Jawahar Lal Nehru on the condition that it may be declared a permanent residence of the Prime Minister. When I talked to Panditji about this offer, he said that he cannot accept this offe..

As regards the question that where Mahatmaji breathed his last I may say that I was not present in Delhi at that time. When I talked to Dev Das Gandhi about this he said that when Mahatma was taken to the building the doctors who reached there declared him dead. But some of the persons and his attendants have a faint recollection that he breathed his last in the room, The Matter was not investigated because the people were too much overtaken by sorrow and grief.

अत्यावश्यक सेवायें संधारण विधेयक—जारी

ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब अत्यावश्यक सेवाएं संधारण विधेयक पर खण्ड-वार आगे चर्चा होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार द्वारा जो संशोधन करने का वचन दिया गया था उसकी प्रति अभी तक परिचालित नहीं की गई है ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संशोधन आपके विनिर्णय में शामिल है । हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं । हमने नोटिस दे दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि सरकार कोई नया संशोधन लाना चाहती है तो नियमों के अन्तगत हमें भी संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के अनुसार सरकार ने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है और उसको पांच तथा दस मिनटों में परिचालित कर दिया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमको संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दूंगा।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) इस पर विचार करने के बाद हम कल भी संशोधन दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह सुझाव दिया था कि केवल महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जिस समय अध्यक्ष महोदय ने इसकी समय-सीमा निर्धारित की थी उस समय उनको आपके विनिर्णय से होने वाले परिवर्तन का पता नहीं था। आपने पहले एक बार यह निर्णय दिया था कि जब सरकारी विधान में कुछ संशोधनों को स्वीकार किया जाना है वहां तीसरा वाचन अगले दिन किया जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के तीसरे वाचन को कल तक के लिये उठा रखा जाये, क्योंकि सरकार की ओर से कुछ संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं। अतः आपको चार बजे की समय-सीमा पर जोर नहीं देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ऐसा निर्णय दिया था परन्तु मुझे इस विषय के सम्बन्ध में सविवेक प्राप्त है। माननीय सदस्य को याद रखना चाहिए कि यह एक साधारण संशोधन है। अतः इस विधेयक को अगले दिन के लिये लम्बित रखना उचित नहीं है। हमें खण्ड 2 के सभी संशोधनों को अभी निपटा देना चाहिए।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यदि प्रतिदिन इसी प्रकार प्रश्न उठाये जायेंगे तो मैं इस चर्चा को बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं। आप इस पर मतदान करा लें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं इस पर मतदान कराता हूं तो सभी विरोधी दल सभा से उठ कर चले जायेंगे। विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष इस बारे में एक विनिर्णय दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं 1928 को विनिर्णय प्रस्तुत कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमें दो घण्टे में इसको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी) : मेरा सुझाव है कि हमें चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिए। यह सम्भव है कि हम इसको दो घण्टे में समाप्त कर सकें।

श्री स० मो० बनर्जी : संसद की बैठक 20 तारीख होगी। श्री शुल्क द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन इस प्रकार हैं। क्या नियमों के अन्तर्गत हमें नये संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ? सरकार अपने बहुमत के नाते इस विधेयक को पास करने जा रही है। परन्तु हमें लोगों की भावनाओं को यहां बताना है। हमने 273 संशोधन दिये हैं।

श्री स० कन्डू (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसको न उठाने के लिए आप से प्रार्थना करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनें।

श्री स० कन्डू : इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार हड़ताल की मनाही कर सकती है। मेरे खण्ड 5 का उल्लेख करना चाहता हूं "कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को, ऐसी हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है, इस अधिनियम के अन्तर्गत अवैध है, एक वर्ष की जेल हो सकती है अथवा एक हजार रु० तक जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं। मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। यदि मैं अवैध हड़ताल करने में सहायता करता हूं तो मुझ पर मुकदमा चलाया जायेगा। परन्तु यदि कोई दूसरा इन्हीं परिस्थितियों में तालाबन्दी करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। एक संगठन में तालाबन्दी का वही प्रभाव होगा जो कि हड़ताल का होता है। परन्तु तालाबन्दी के लिए कोई सजा नहीं रखी गई है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। मैं आप से इस प्रकार की प्रक्रिया को मानने की अनुमति न देने का अनुरोध करूंगा।

अन्य खण्डों पर मैं समय आने पर व्यवस्था के प्रश्न उठाऊंगा। मेरा निवेदन है कि आप इसको अवैध सवैंधानिक तथा रद्द घोषित कर दें क्योंकि इसमें नई प्रकार की तानाशाही स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल - मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में :

"air" ["वायु"] शब्द के पश्चात : "जिसके बारे में संसद को विधि की शक्ति है" ["with respect to which Parliament has Lower to make laws."] शब्द जोड़े जावें (275)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I bag to move amendments Nos. 39,41, 42 and 43 on claue 2. The Minister has said that this Bill has been introduced for the defence and safety of the country. Some thing has been said in the statement of Objects and Reasons. The objects and reasons are laudable but sweeping powers are sought to be obtained through the Bill before the House. It is a punitive Bill as is evident from the sweeping powers obtained under clause 2.

The hon-Minister has said that he doet not want to adopt vindictive attitude. He has also said that the Government are thinking of compulsory arbitration and a separate Bill will be introduced for the purpose. If it is so, there is no need for such a Bill as the Government servants have only asked for compulsory arbitration. Apart from that, that proposal should have been a part of this Bill. The Bill is incomplete without such a proposal. Moreover, the compulsory arbitration should not apply to the matters covered by Industrial Disputes Acts.

It is true that the Government employees should not normally resort to strike. However, it is the duty of the Government to look into their grievances and try to remove them. But instead of that, Government has introduced a Bill according to wich even refusing to sit overtime amounts to strike. It amounts to a slave like treatment with the employees. No Government can stay for long with the help of such black laws, police and army.

This Bill will has far--reaching effects. It will be better if the Government withdraws such a Bill. Another Bill can be introduced taking into account the difficulties of Government employees.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं अपने संशोधन संख्या 222 द्वारा 'हड़ताल' की परिभाषा में एक परन्तुक जोड़ना चाहता हूं कि शारीरिक बाधा, अभित्रास, हिंसा अथवा दमन की धमकी से काम में हुई रुकावट को हड़ताल नही समझा जाना चाहिए। हमने देखा गया है कि ऐसे कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को, जो काम पर जाना चाहते थे, इन प्रक्रियाओं द्वारा बाहर रखा गया था। सचिवालय में एक महिला कर्मचारी काम पर जाना चाहती थी परन्तु उस पर थूका गया था और उच्च अधिकारी उसे सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके थे। इसीलिये मेरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से विवश होकर काम पर नहीं आ सके थे, उन्हें हड़ताली नहीं माना जाना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : खण्ड 2 में "हड़ताल" तथा "अत्यावश्यक सेवाओं" की परिभाषा दी गई है। अत्यावश्यक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि सरकार जैसे ही अधिसूचना जारी करे सभी प्रकार की सेवायें इसके अन्तर्गत आ जायेंगी। कम से कम खण्ड 2 के उपखण्ड (छः) से (नौ) तो हटाये जाने चाहिए जिनसे सरकार का असीमित शक्तियां मिल जायेंगी। उपखण्ड (नौ) तो किसी भी हालत में नहीं रहनी चाहिये।

मेरा अगला संशोधन "हड़ताल" से सम्बन्धित है। विधेयक के अन्तर्गत हड़ताल का अर्थ न केवल काम बन्द करना है बल्कि समयोपरि काम से इन्कार करना भी है। "हड़ताल" शब्द को नया अर्थ दिया जा रहा है। हड़ताल की परिभाषा में से "ऐसे काम को समयोपरि काम करके पूरा करने से इन्कार, जो किसी आवश्यक सेवा को बनाये रखने के लिये अनिवार्य हो, हड़ताल समझा जायेगा" शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

एक और उपखंड ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं सकता। उसमें कहा गया है कि "ऐसा कोई कार्य, जिससे किसी आवश्यक सेवा का कार्य बन्द अथवा बहुत हद तक खतम हो जाता हो, भी हड़ताल समझा जायेगा।" यह मूर्खता की बात है। अतः मेरा निवेदन है कि हड़ताल तथा अत्यावश्यक सेवाओं की परिभाषा में यह शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मेरा संशोधन यह है कि उपखड के भाग (एक) से (छः) तथा (नौ) को हटा दिया जाना चाहिये, आपने अपना विनिर्णय दिया है कि जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है, जिन पर संसद कानून बना सकती है, विधि बनाना राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। परन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब से गैर कांग्रेसी सरकारें सत्तारूढ़ हुई हैं, केन्द्र और राज्य सरकारों के

बीच केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकार हथियाने के प्रश्न पर विवाद चल रहा है। उपखंड (क) (नौ) जिसके द्वारा वह सेवा जिसको संसद द्वारा पारित विधान द्वारा आवश्यक घोषित किया जा सकेगा, केन्द्र को अबाध अधिकार मिल जाते हैं तथा इससे केन्द्र तथा राज्यों के बीच तनाव बढ़ेगा। सम्भव है कि राज्य सरकारें कुछ उद्योगों को लोक हित में न समझें तथा केन्द्र का विचार उससे भिन्न हो और वह अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि यह उद्योग आवश्यक है। इससे केन्द्र तथा राज्यों में संघर्ष बढ़ेगा।

श्री शुक्ल ने कहा है कि इन शक्तियों का प्रयोग केवल आपात की स्थिति में ही किया जायेगा। संविधान के अन्तर्गत देश में कोई आपात की स्थिति नहीं है। दो प्रकार की आपात की स्थितियां तो हो नहीं सकती। क्या मंत्री महोदय के कहने का अर्थ यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी होगा जब राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा होगी।

कल मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि यह विधेयक श्रमिक वर्ग के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। सामूहिक सौदेबाजी का मूल आधार श्रमिकों के हड़ताल करने का अधिकार है। इस अधिकार के छिन जाने पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती।

माननीय मन्त्री ने यह भी कहा हैं कि हड़ताल की परिभाषा में समय से अधिक काम करना भी लाया जायेगा। इससे नियोजकों को कर्मचारियों का अधिकाधिक शोषण करने का अधिकार मिल जायेगा। कई स्थानों पर आजकल की आर्थिक संकट की स्थिति में अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाने से बचाने के लिये नियोजक वर्तमान कर्मचारियों को ही समयोपरि काम करने के लिये कहते हैं। यह उपबन्ध नियोजकों के पक्ष में जायेगा। इसी तरह यह उपबन्ध कि "कोई ऐसा काम जिससे किसी आवश्यक सेवा का काम बन्द अथवा बहुत हद तक कम हो जाता हो" को हड़ताल समझा जायेगा, कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध तथा पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। विधेयक से यह उपबन्ध हटाये जाने चाहिये।

मेरा अन्तिम संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है तो इसके लिये प्रत्येक सभा के उपस्थित दो तिहाई सदस्यों द्वारा इसको अनुमोदन किया जाना चाहिये और इसे तभी प्रभावी समझा जाना चाहिये।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 237 प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर जो वाद-विवाद हुआ है, उससे स्पष्ट हो कि सरकार इस विधेयक को किसी भी मूल्य पर पारित कराना चाहती है। यह खंड न केवल लोकतन्त्र बल्कि उपयोगिता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। यदि किसी फायरमैन अथवा इंजन चालक अथवा विमान चालक को अधिक समय तक काम करने के लिये बाध्य किया जाये, तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। इसलिये समयोपरि कार्य के बारे में खंड हटा दिया जाना चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have moved three amendments to clause 2. Clause 2 is a controversial clause, because it raises the question of infringement of the rights of the states. Where any set of workers resort to any strike and there is no

recognised trade union, the Government should have a right to ban such strike. But where there is a recognised tr de union, they should have a right to strike.

My second amendment pertains to clause 2 (b) (1). This is a very objectionable clause and it should be amended. A provision should be made that Govenment cannot compel the employees to work over time without the approval of recognised trade unions.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have tabled an amendment to the definition of 'strike' that after word 'persons' the words "at its own volition or at the instigation of any anti-social organisation secretly or openly" should be included. It should be done so as to provide for punishment to the persons responsible for excitement. A provision should also be made for the removal of justgrievances of the employees so that there may be no need for resorting to strikes.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 270 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, हम शुरु से ही खंड 2 पर कुछ संवैधानिक मामले उठाता रहा हूं। खंड 2 द्वारा सरकार को असीमित शक्तियां मिल जायेंगे। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में राष्ट्रपति शासन का लाभ उठाकर केन्द्रीय सरकार यह विधेयक पारित करना चाहती है तथा उन शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहती है। यदि सभी राज्यों में विधान मंडल काम कर रहे होते तो सरकार को उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श के बिना ऐसा करने का साहस कभी नहीं होता। सरकार जानती है कि उन राज्यों के राज्यपाल अपनी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें अपनी नौकरियां सुरक्षित करनी होती है।

मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि भारत के महान्यायवादी को अत्यावश्यक सेवायें विधेयक, 1968 के खंड 2 (1) (क) (नौ) तथा 2 (ख) (एक) पर उठाये गये कुछ मामलों पर सभा के सामने अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री कंवर लाल गुप्त तथा श्री वेणीशंकर शर्मा ने सन्देह प्रकट किया है कि क्या इस खंड का उपबन्ध जबरी मजूरी के समान नहीं है। यदि उन कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिये बिना यह काम उन पर ठोंसा जाये तो यह आलोचना तभी उचित है, यह बात नहीं कि साधारण परिस्थितियों में समयोपरि काम की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि केवल आयात के समय में ही किसी सेवा को अत्यावश्यक घोषित किया जा सकता है। परन्तु श्री उमानाथ का यह कहना ठीक नहीं है कि संविधान के अन्तर्गत आपात की घोषणा की जानी चाहिये। इसमें श्रमिकों के हित के विरोध की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिये ऐसा किया जाना आवश्यक है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पर बल नहीं देंगे।

श्री नम्बियार ने अपने ही ढंग से बहुत सी बात कही हैं। उनके अनुसार सभी वस्तुओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जा सकेगा। इस बारे में मैंने उच्च न्यायालय के निर्णय पढ़ कर बताया है। अधीस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी इस पर विचार किया है। यदि

अब भी वह अपनी बात पर कायम है तो मैं क्या कह सकता हूं। श्री उमानाथ अपनी बात कहने में बहुत निपुण हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों की बात भी कही है। आपने भी इस बारे में कुछ कहा है और इसमें कोई सार नहीं है। यह आरोप लगाया है कि हम सामूहिक लाभ के अधिकार को समाप्त करने जा रहे हैं हम हड़ताल करने के अधिकार को समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम अत्यावश्यक सेवाओं को प्रत्येक स्थिति में बनाये रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जनजीवन को अस्त-व्यस्त होने से बचाया जाये। यह व्यवस्था केवल कुछ समय के लिये नहीं है। कल को किसी अन्य दल की सरकार हो सकती है। यह कानून उस समय के लिये भी है। इस कानून द्वारा सरकार कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को समाप्त नहीं करना चाहती। हमारा उद्देश्य तो केवल यही है कि समाज के लिये कोई मुश्किल खड़ी न कर दे। मेरे विचार में महान्यवादी को राय देने के लिये बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन की एक समिति इस पर विचार कर चुकी हैं। मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

एक संशोधन सरकार को ओर से प्रस्तुत किया गया है। मेरा अनुरोध है कि उसे स्वीकार किया जाये। श्री महीडा का संशोधन भी मैं स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन संख्या 270 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 43 : विपक्ष में 125

Ayes 43 : Noes 125

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negativied

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 262 मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि पृष्ठ 3 पंक्ति 4 से 15 के स्थान पर

"(2) Every notificatin issued under sub-clause (ix of clause (a) of sub-section (I) shall be laid before each House of Parliament immediately after it is made if it is in session and on the first day of the commencement of the next session of the House if it is not in session, and shall cease to operate at the expiration of forty days from the dated of its being so laid or from the re-assembly of Parliament, as the case may be, unless before the expiration of that period a resolution approving the issue of the notification is passed by both House of Parliament.

Explanation : Where the House of Parliament are summoned to re-assemble on different dates, the period of forty days shall be reckoned from the later of those dates."

[" (2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (9) के अन्तर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना यदि वह संसद के अधिवेशन के दौरान जारी की गई तो तुरन्त ससद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी और यदि अधिवेशन न हो रहा हो तो संसद के अगले अधिवेशन के आरम्भ के प्रथम दिन रखी जायेगी और इस प्रकार रखे जाने तथा ससद के पुनः समवेत होने, जैसा भी हो, की तिथि से चालीस दिन हो जाने पर प्रवृत नहीं रहेगी जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन करने वाला संकल्प स्वीकृत न हुआ हो।

व्याख्या : यदि संसद के सदन पृथक-पृथक तिथियों पर समवेत हों तो चालीस दिन की यह अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जायेगी।]
रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शुक्ल का संशोधन संख्या 275 सभा में रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में :—

'air' वायु के बाद

"with respect to which Parliament has power to make laws"

[जिनके बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है]
रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 222 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमान, हमें सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखना है। प्रतिपक्ष की ओर से मतदान की मांग करना उनका अधिकार है। हमें इस पर चर्चा के लिये पर्याप्त समय देना चाहिये।

श्री उमानाथ : श्री शुक्ल की यह बात ठीक नहीं कि अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये कोई समय सीमा निश्चित कर दी है। उस समय भी अनेक सदस्यों ने आपत्ति उठायी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : 75 संशोधनों पर यदि मतदान की मांग की गई तो इसके लिये बहुत समय की आवश्यकता होगी। मेरा सुझाव है कि यह विधेयक, आज की बैठक स्थगित

होने से पहले पारित किया जाये। मेरा यह अनुरोध दोनों पक्षों से है। अब हम खण्ड 3 को लेते हैं।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 17, 18, 19, 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन संख्या 34, 35 और 36 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 70, 71, 72 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मैं अपने संशोधन संख्या 120 से 125 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): मैं अपना संशोधन संख्या 164 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपने संशोधन संख्या 183, 184, 186, 187 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं संशोधन संख्या 193 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 223 से 225 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 239, 241 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 263 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं संशोधन संख्या 267 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी गोंडा : मैं अपने संशोधन संख्या 268, 269 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : इस विधेयक द्वारा संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। इस बारे में न्यायालयों द्वारा निर्णय किया जाये। अब यहां पर खण्ड 3 को यदि आप देखें तो सरकार मूल अधिकारों का खण्डन कर रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार उनके हड़ताल सम्बन्धी अधिकार को समाप्त करने जा रही है। अब प्रश्न यह है क्या जनहित में यह ऐसा कर सकती है? क्या नैतिकता के नाम यह ऐसा कर सकते हैं? सरकार केन्द्रीय सेवाओं को नोटिस दे सकती है। शक्तियों के दिये जाने का भी प्रश्न है। इसे अधीनस्थ विधान समिति को सौंपने का प्रश्न भी उठाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक शक्तियों के देने का प्रश्न है, इस पर ब्यौरे से समिति द्वारा विचार किया गया था। यदि यह संविधान का उल्लंघन करता है तो यह निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मेरे विचार में केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार देना कि वे जैसे उचित चाहें नोटिस जारी करें अनुचित है। हमसे विधि के सामने समानता के सिद्धान्त का उल्लघन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ऐसे मामलों का निर्णय नहीं दे सकती। यह न्यायालयों का काम है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मेरा संशोधन एक साधारण संशोधन है।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

यह खन्ड 3 का है। यह विधेयक गत सितम्बर में उत्पन्न हुई विशेष स्थिति के फलस्वरूप लाया गया है। उस समय सांकेतिक हड़ताल की बजाय आम हड़ताल का अधिक खतरा बन गया था। मैं अथवा सरकार इस विधेयक के लाये जाने पर प्रसन्न नहीं हैं। हमें खुशी होती यदि कर्मचारियों को सरकार के साथ बातचीत करने और अपनी कार्यवाहियां करने की पूरी स्वतन्त्रता होती। परन्तु विशेष स्थिति के उत्पन्न होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसा विधेयक लाया जाये। कार्मिक सघों के कार्य में राजनीति आ जाने पर सरकार को ऐसा विधेयक लाने पर बाध्य होना पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि सरकार हड़ताल पर रोक लगाने पर फिर सोचे। सरकार को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये।

मध्यस्थता के बारे में कर्मचारियों की शिकायतें हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक ला रही है। मेरे सशोधन का उद्देश्य यही है कि जहां तक हो सके विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलभाया जाये। हमें चाहिये कि हड़ताल के न होने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। कर्मचारियों को भी समझौते के लिए पूरा यत्न करना चाहिये और ऐसी ही हड़ताल आरम्भ नहीं कर देनी चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैंने भी वही संशोधन प्रस्तुत किये हैं। आज देश में सबसे बड़ी संख्या मे सरकारी कर्मचारी एक वर्ग हैं। सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच के सम्बन्धों का प्रभाव गेर-सरकारी क्षेत्र पर पड़ता है। अतः सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। सरकार को कर्मचारियों की कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिये। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार मेरा संशोधन स्वीकार करे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I oppose section 3. It puts a ban on the right of strike of workers. When Government has agreed to compulsory arbitration and mediation then there is no need of putting a ban, Government should create conditions that strike is not resorted to.

Shri Deven Sen : Sir my amendments are nos. 15, 19, 20 and 21. You will recollect that a strike took place in 1960 also. It was on a bigger scale. About thirteen thousand persons were suspended in Calcutta alone. At that time the ordinance was not made a law afterwards. Then why it is being done this time ? I have quote the reason from a speech of Tata.

The capitalists of our country are afraid that with the political awakening in the country as shown by 1967 general election results-is going cause them harm They feel that right of strike of employees should be matched. Now this is a step in that direction. Now this law is for a period of five years, It means Government wants to have this weapon even after the next elections. They want to suppress the labour movement at the time of elections.

अध्यक्ष महोदय : इन दलीलों द्वारा सरकार गत चार पांच दिनों में प्रभावित नहीं हुई। इस चर्चा को अब हमें समाप्त करना चाहिये। सदस्यगण संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। समय का भी हमें ध्यान करना चाहिये। हमने अनेक बार इसके लिए समय बढ़ाया है। अभी भी आप और समय चाहते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बढ़ा हुआ अधिक समय तो व्यवस्था के प्रश्नों में ही लग गया था। यह ससदीय प्रणाली के अनुसार ही है। अतः यह मांग की गई है कि विधेयक का तीसरा वाचन कल लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कल के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सभा के स्थगन से पूर्व बहुत से और भी महत्वपूर्ण विधेयक लेने हैं। इसी लिए मैंने कहा था कि इसे आज समाप्त कर दिया जाए।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : **खण्ड 3 का उपखण्ड** (4) इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करता है। यह एक अनुचित कानून होगा। इस तरह सरकार मनमाने अधिकार लेना चाहती है। वैसे इस सरकार की नीति तो हड़ताली कर्मचारियों को मुअत्तिल करने और उन्हें पीटने की है, जैसा कि इन्द्रप्रस्थ भवन में हुआ है। अब सरकार इस नीति का संसद से अनुमोदन चाहती है। यह बहुत आपत्तिजनक बात है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री पी० कृष्णमूर्ति : प्रतिपक्ष वालों ने समझा था कि सरकार इस विधेयक में संशोधन द्वारा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थता का उपबन्ध करेगी, परन्तु अब वह ऐसा नहीं कर रही है।

अब इस खण्ड के अन्तर्गत हड़ताल पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में सरकार को सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करना चाहिये। इसीलिए मैंने अपना संशोधन रखा है। सरकार द्वारा यह अधिकार लेना अनुचित होगा। सरकार महिला सदस्य के संशोधन न मानकर ठीक नहीं कर रही है। यह बड़े खेद की बात है।

श्री लोबो प्रभु : मैं अव्यवस्था फैलाये जाने का विरोधी हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता हो, उसे लागू किया जाये। मेरा संशोधन का आशय यह कि कानून को ठीक प्रकार से अमल में लाया जाना चाहिये।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, it is not against moral and nor it is improper to resort to strike for redressal of genuine grievances and legitimate demands.

My amendment is for provision of measures of conciliation. We should take human attitude and should not ban the strikes at all.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस समय संशोधन संख्या 70, 71, 72, 263 और 264 को लेता हूं। मेरे सशोधन बहुत सामान्य प्रकार के हैं। संशोधन संख्या 71 का आशय यह है कि यदि एक मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए दिया गया है तो उसी समय के लिए हड़ताल पर रोक लगायी जाये।

मेरे संशोधन संख्या 263 का उद्देश्य यह है कि सरकार पहले मध्यस्थ निर्णय के लिए प्रयत्न करे फिर उस विशेष सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करे। इसका अर्थ यह है कि सरकार को हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार तो है परन्तु पहले मध्यस्थ निर्णय के लिए प्रयत्न होना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुदुदुकोटै) : मेरा प्रथम संशोधन यह है कि केन्द्रीय सरकार को कोई हड़ताल निषिद्ध करने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति ले लेनी चाहिए। क्योंकि विभिन्न दल अपनी-अपनी नीतियों को लेकर चलते हैं और इससे उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर केरल और मद्रास की सरकारों का केन्द्र की सरकार से, जो कि कांग्रेस की है, हड़ताल में भाग लेने के बारे में मतभेद है, इन्हीं विभिन्न नीतियों को लेकर राजनैतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अगर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से सहमति लिए बिना हड़ताल पर रोक लगाती है तो द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और केरल की सरकार को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार की बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा इसी प्रकार अन्य विभिन्न दलों को भी कांग्रेस दल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि केन्द्रीय सरकार एक आदेश द्वारा तालाबन्दी, छटनी आदि को निषिद्ध कर दे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल में एक विदेशी तेल कम्पनी में छटनी के बारे में काफी चर्चा हो रही थी। श्रम मन्त्री श्री हाथी ने कहा कि यह छंटनी अनुचित है, परन्तु साथ में उन्होंने यह भी कहा कि छटनी को निषिद्ध करना उनके अधिकार के बाहर है। अतएव सरकार को छंटनी पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य सामान्य जीवन तथा अत्यावश्यक सेवाओं को भली-भांति जारी रखने से है। अतएव कई मिलों के उत्पादन में जो कटौती होती है, उसको निषिद्ध करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

कारखानों के बन्द होने का प्रश्न भी विचारणीय है। इसके बन्द होने से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत इस प्रश्न को लाया जाये, इस संशोधन के पारित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार के कारखानों के बन्द होने को निषिद्ध ठहराया जाये अपितु जहां सरकार यह देखे कि किसी कारखाने के बन्द होने से अव्यवस्था फैलती है तो वहां इस प्रकार के बन्द को निषिद्ध ठहराया जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : हमारी आलोचनाओं के उतर में मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इस अधिनियम को राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं करना चाहते और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले में अनिवार्य पंच-निर्णय अथवा वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहते हैं। मेरा पहला संशोधन भी यह है कि "वाद-विवाद पंचनिर्णय को सौंपा जाये" और इसके साथ-साथ अगर चाहें तो हड़ताल को निषिद्ध ठहराया जाये।

केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक के द्वारा, जैसा वे चाहें नोटिस दे सकते हैं, यह अधिकार प्राप्त कर लिया। यह संविधान के अनुच्छेद 366 के 'सरकारी सूचना' के अर्थों के विपरीत है, क्योंकि इसके द्वारा यह राजपत्र में अधिसूचित करना होता है, अतः मेरा संशोधन यह है कि यह राजपत्र में अधिसूचित होना चाहिए।

खण्ड 3 के उपखन्ड 4 में जो यह कहा गया है "कोई भी व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा में है", वह बहुत भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी आ सकते हैं, मेरा संशोधन यह है कि इसमे यह वाक्य कि "कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है" जोड़ा जाये जिससे भ्रम दूर हो।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : खण्ड 3 में हड़ताल को अवैध घोषित करने के बारे में कहा गया है, इसके अनुसार जब सरकार यह समझती है कि लोक हित के लिए हड़ताल को अवैध घोषित करना आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकती है। परन्तु, जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया है, जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है इसमें सरकार का कर्मचारियों के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बताई गई है। आखिर कर्मचारी तभी हड़ताल करते हैं जब उनकी कोई शिकायतें हों। अतएव हड़ताल को अवैध घोषित करने से पूर्व एक दूसरे को समझने और समझौता करने की कोशिश होनी चाहिए। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है अतएव यह अनुचित और निरंकुश है। मेरा संशोधन यह है कि विवाद को न्याय निर्णय के लिए भेजने के बाद ही केवल हड़ताल को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। परन्तु यह सरकार केवल असीम शक्ति ही चाहती है ताकि वह जिसको चाहे उसी को अवैध घोषित कर दे, मैं इसको बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। खण्ड 3 में कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया गया है अतएव मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ताकि वह कम से कम कर्मचारियों को कुछ सीमा तक सन्तुष्ट कर सके।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : विधान अधीन सम्बन्धी समिति की सिफारिश के कारण नियम बनाने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अग्रिम व्यवस्था की गई है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए नियम संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए और संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही इसे लागू करना चाहिए सरकार का कहना है कि अगर वे संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा करें तो जिस उद्देश्य से यह नियम लाया जायेगा वह पूरा नहीं होगा। परन्तु मेरे विचार में प्रजातन्त्र में सरकार के पास सब आवश्यक अधिकार होने चाहिए। परन्तु उनकी सीमाएं भी होनी चाहिए। परन्तु उनकी सीमाएं भी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव को लेकर किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भूतलक्षी प्रभाव से हड़ताल को अवैध ठहराता है तो इसका अर्थ यह है कि दण्ड भी भूतलक्षी प्रभाव से मिलेगा, यह संविधान का उल्लघन है।

जब कोई संघ हड़ताल करने की सूचना देता है तो इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करके इसे अवैध नहीं ठहराना चाहिए वर्तमान कानून के अधीन संघ को हड़ताल करने का अधिकार है अतएव सरकार को एकदम इसे अवैध घोषित नहीं करना चाहिए नहीं तो ऐसा करना लोकतन्त्रीय सरकार की अनीति सम्बन्धी रीति बन जाएगी।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं माननीय सदस्य श्री उमानाथ द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि तालाबन्दी, कर्मचारियों की छटनी और मिलों के बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। परन्तु जब सरकार किसी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करती है तो कैसे वह उसमें तालाबन्दी कर सकती है इसके साथ-साथ छटनी करने का प्रश्न भी कैसे उठ सकता है? किसी ऐसे कार्य को भूतलक्षी प्रभाव के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है जो किसी बिशेष समय में अपराध नहीं था। यहां मामला ऐमा है जहां इस कार्य को अध्यादेश के अन्तर्गत अपराध माना गया है। यह तो अब केवल अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है।

Shri Sinkre (Panjim) : Although my amendment No. 23 may not be so important but it has some meaning because it is based on the happening of 19th September. The Prime Ministei was out of the country at that time and therefore the decision regarding the policy twoards Government employees could not be taken. The policy was only taken by the Cabinet after the arrival of the Prime Minister. But there is a general impression in the public that the policy regarding the ordinance is brought by the Home Minister whereas the Cabinet is responsible for it. Not the Home Minister but the whole Cabinet bring forward the policy.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि विधेयक के ऐसे उपबन्ध जोड़े जाने चाहिए जिसके द्वारा श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने से पहले और सरकार द्वारा भी हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व सभी वैकल्पिक उपायों पर अमल हो जाना चाहिए ताकि इस सम्भाव्य स्थिति को दूर किया जा सके। परन्तु इसमें कठिनाइयां हैं, अतएव सरकार के लिए इन संशोधनों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा हालांकि हम इसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हैं।

जब तक संयुक्त सलाहकारी समिति को सांविधिक आधार पर नहीं रखा जाता तब तक इस अधिनियम में संयुक्त सलाहकारी समिति का उल्लेख करने से सभी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इमका अभी कानूनी रूप से उल्लेख करना है और सांविधिक आधार पर रखना है। दूसरा कारण यह है कि इस योजना के अन्तर्गत यह अधिनियम सीमित है। जैसा कि सभा को पहले ही बताया जा चुका है कि हम विस्तृत और ठोस विधेयक लाना चाहते हैं और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम उनके दिए हुए सुझावों पर विचार करेंगे। यह विधेयक अस्थायी है और हम आगे विस्तृत विधेयक लायेंगे। किन्हीं सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि यह विधेयक इस कारण लाया गया है कि जिससे सरकार को चुनाव में मदद मिले। परन्तु ऐसा कोई राजनैतिक विचार हमारे मन में नहीं है। यह सभा स्वयं जानती है कि ऐसा विधेयक क्यों लाया गया है। यह विधेयक एक अस्थायी व्यवस्था है तभी हम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहे है। एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि इससे राज्य-सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे इसके बारे में मैंने स्पष्ट बता दिया है कि वे इससे किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होंगे। परन्तु ऐसी सम्भावना है कि जो अधिसूचना जारी की जाएगी उसमें गैर सरकारी क्षेत्र और कारखानों के कर्मचारी भी शामिल किये जाएंगे। यदि गैर सरकारी नियन्त्रण में तेल शोधक कारखाने अथवा बिजली घर जैसी आवश्यक सेवाएं हैं तो आपातकाल में उनको भी शामिल किया जा सकता है।

श्री उमानाथ : मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि तालाबन्दी, जबरी छुट्टी को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाए, उसका क्या हुआ ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : औद्योगिक विवाद अधिनियम की 22वीं और 23वीं धाराओं में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई संस्था जनोपयोगी है तो वहां हड़ताल और तालाबन्दी को निषिद्ध ठहराया जाया जा सकता है। सविधान के अनुसार राज्य सरकार ससद द्वारा पारित कानून को अपने यहां लागू करने को बाध्य है। क्योंकि यहां से कोई भी पारित कानून को राज्य सभा में भेजा जाता है जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है अतएव मैं यह नहीं समझता कि राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करना आवश्यक है। अगर हम राज्य सरकारों से सहमति लेने की रीति आरम्भ कर दें तो इस सभा का कार्य चलना ही मुश्किल हो जायेगा।

श्री ही०ना०मुकर्जी(कलकत्ता उत्तर-पूर्व) **:** श्री उमानाथ के प्रश्न का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होने मालिक और कर्मचारियों के मध्य भेदभाव के बारे में कहा है। मालिकों ने कई बार इस प्रकार के कार्य किये हैं। जहां सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने में असमर्थता प्रकट की है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तगत कर्मचारियों के लिए कई उपबंध होने के बावजूद भी सरकार इस अधिनियम को भी अमल में लाने की सोच रही है। परन्तु फिर भी सरकार क्यों कर्मचारियों के विरुद्ध भेद-भाव और मालिकों के प्रति पक्षपात का अनुसरण कर रही है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** मन्त्री महोदय के वक्तव्य से यह मालूम पड़ता है कि वह यह स्वीकार करते हैं कि औद्योगिक सम्बन्धों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए तब मेरे संशोधन नम्बर 263 के बारे में उनकी आपत्ति क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सभा का ध्यान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबन्धों की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके खण्ड 32 और 33 में यह कहा गया है कि जनोपयोगी संस्थाओं में हड़ताल और तालाबन्दी को सरकार आदेश द्वारा निषिद्ध ठहरा सकती हैं। धारा 2 और अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जनोपयोगी संस्थाओं के बारे में बताया गया है। अतएव हड़ताल और तालाबन्दी दोनों पर रोक लगाई जा सकती है। अतएव यह विधेयक उन जनोपयोगी संस्थाओं पर भी लागू हो सकता है जो गैर सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कहा गया है कि आदेश के जारी होने से पहले या बाद में होने वाली हड़ताल को अवैध ठहराया जा सकता है। यह उपबन्ध स्पष्ट है। हम नए विधेयक को बनाते समय माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए संशोधनों को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 263, 120 और 121 को छोड़कर बाकी सभी संशोधन मतदान के लिए सभा में प्रस्तुत किये गए, तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सख्या 263 मतदान के लिए रखा गया

Amendment No. 263 was put to the Vote of the House

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha was divided

पक्ष में-35 विपक्ष में-123

Ayes-35 Noes-123

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सख्या 120 और 121 मतदान के लिए रखा गया।

Amendments Nos. 120 and 121 was put to the Vote of the House

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha was divided

पक्ष में-32 विपक्ष में-121

Ayes-32 Noes-121

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha was divided

पक्ष में 129 विपक्ष में 33

Ayes 129 Noes 33

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 73, 74 और 75 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 94 और 95 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मैं अपने संशोधन संख्या 127, 128 और 129 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 153 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 165 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 188 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिकरे (पजिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 195 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) मैं अपना संशोधन संख्या 242 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 271 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खण्ड 4 में इस बात का उपबन्ध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को सजा दी जानी चाहिये और उन्हें राज्य की जेल में भेजा जाना चाहिये। 'जेल' राज्य का विषय है और राज्य के किसी विषय पर किया जाने वाला खर्च राज्य की संचित निधि से किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक खंड पर इसी प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा रहे हैं। मेरे विचार इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हैं। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : पहले व्यवस्था का प्रश्न यह था कि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न करना चाहिये या नहीं। यह उससे भिन्न है। अब इस सम्बन्ध में 12,000 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। यदि राज्य के खजाने पर इतना अधिक बोझ डाला जायेगा तो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस खंड के बारे में यह एक तर्क है परन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या हम इस सभा में कानून पास करके, उन्हें क्रियान्वित करने के लिये राज्य को खर्च करने के लिये कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि खंड में कोई कमी है तो सभा उसे रद्द कर सकती है। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Deven Sen (Asansol) : The labour class is being deprived of their rights. Our Cabinet Ministers have no influence on the general public. The labour class cannot be governed simply by passing laws. The former Cabinet lead by late Pandit Jawhar-

Lal Nehru had great influence over the public. Unfortunately we are being repressed and difficulties are being created in our way.

श्री स० मो० बनर्जी : 8000 कर्मचारियों पर मुकदमे दायर किये गये हैं। जिनमें से 2,600 केवल दिल्ली के हैं। यदि उन्हें एक दिन की भी सजा दी जाती है तो स्थानीय प्रबन्धकों अथवा प्राधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वे उन्हें वापिस ले अथवा न ले। सरकार को या तो यह आश्वासन देना चाहिये कि दोष सिद्ध होने पर भी वे किसी को नौकरी से हटायेंगे नहीं या इसमें मेरा संशोधन जोड़ दिया जाना चाहिये।

श्री उमानाथ : मैं अपने संशोधन संख्या 129 के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस संशोधन के माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे नियोजकों की सजा बढ़ा दी जाये जो तालाबन्दी की घोषणा करें अथवा जो मजूरी भुगतान अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों का उल्लंघन करें कोयम्बत्तूर जिले में लगभग 20 ऐसे कारखाने हैं जिन्होंने 3–4 महीनों की मासिक मजूरी देने से इन्कार कर दिया है। उन्हें मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी जानी चाहिये। परन्तु राज्य सरकारें नियोजकों को मजूरी का भुगतान करने के लिए विवश करने में अपने आपको असमर्थ पा रहीं है। ऐसे मामलों में नियोजकों की सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर देनी चाहिये। हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि मजदूर को उनकी मजूरी नहीं दी जाती है।

Shri Shiv Chandra Jha : I have suggested in my amendment that punishment should be awarded after due enquiry. This Bill is dangerous and undemocratic and Government wants to have emergency powers. The workers should be penalised only if they go on strike without due process envisaged Industrial Disputes Act. Otherwise not. Therefore due enquiry is necessary before convicting the workers.

श्री नम्बियार : इस खण्ड में गैर-कानूनी हड़ताल करने के लिये सजा देने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि दण्ड सम्बन्धी इस खण्ड को हटा दिया जाना चाहिये। यदि इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध करना ही है तो वह केवल जुर्माने का होना चाहिये।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : किसी व्यक्ति को सजा देने से पूर्व पहले यह सिद्ध करना होता है कि उसका मन दोषी था। परन्तु यदि किसी कर्मचारी को कार्यालय में नहीं आने दिया जाता तो यह गलती किसी और व्यक्ति की हो सकती है, उसके लिये उसे नौकरी से नहीं निकालना चाहिये और न ही सजा या जुर्माना करना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही के लिये यूनियन के नेता दोषी हो सकते हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि दंड दिये जाने से पूर्व कर्मचारी का मन दोषी है या नहीं, सिद्ध होना चाहिये। फिर गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण उचित जांच के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना पर्याप्त है। उसे जेल भेजने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री के० रमानी : इस दंड सम्बन्धी खण्ड का अर्थ यह है कि सरकार कर्मचारियों को जेल भेजना चाहती है। अब भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने वालों की सात दिन की मजूरी काटी जा सकती है। इस दंड को अधिक कठोर

बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि सरकार इस शक्ति को ग्रहण कर भी लेती है तो भी इसका प्रयोग करना कठिन है। अतः सरकार को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

Shri Shinkre (Panjim:) No doubt guilty person should be awarded imprisonment of six months. But he should not be fined because it would be a burden on his family.

श्री विद्याचरण शुक्ल : अधिकांश संशोधन दंड सम्बन्धी उपबन्ध को हटाने के बारे में हैं। वास्तव में दोषी कर्मचारी के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इस बात से सहमत है कि दोषी नियोजकों को दंड दिया जाना चाहिए। इनका दंड बढ़ाये जाने के बारे में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है।

यह कहना अनुचित है कि निरपराध व्यक्तियों को दंड दिया जाता है। ऐसे 42,000 कर्मचारियों को दिये गये नोटिस वापिस ले लिए गए हैं जो उस दिन गलती से या डर के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद उन्हें दंड नहीं दिया गया।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मैं उदाहरण देकर अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ। पांडीचेरी टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ कर्मचारियों ने पांच मिनट के लिए काम छोड़ा था परन्तु उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी एक मामले में अन्याय सम्भव है। हमें अभ्यावेदन मिले हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं। जहां अन्याय हुआ है, हम उसे ठीक कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन देंगे कि ऐसे मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा ? क्या उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपा करके संशोधन संख्या 75 अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 75 के अतिरिक्त अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 75 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendments was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में	101	विपक्ष में	23
Ayes	101	Noes	23

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 (भड़काने आदि की सजा)

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 76,77,78,79 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ : मैं अपना संशोधन संख्या 130, 131, 132, 133 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 154, 155, 166, 167 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने संशोधन संख्या 76, 77, 78 और 79 प्रस्तुत किए हैं। लेकिन सभा में शान्ति बनाये रखने के हेतु मैं अपना भाषण केवल संशोधन संख्या 79 तक ही सीमित रखूंगा।

लगभग 4000 अस्थायी कर्मचारियों को भड़काने का बहाना लेकर एक महीने का वेतन देकर सेवा से मुक्त कर दिया गया है। उन कर्मचारियों को अपने बचाव में कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया है। यहां तक कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपने बचाव में कहने का अवसर प्रदान किया गया था।

दिल्ली में 19 सितम्बर, 1968 को होने वाली सांकेतिक हड़ताल के सिलसिले में लोगों को 17 और 18 सितम्बर, 68 को गिरफ्तार कर लिया गया था। कर्मचारियों को 19 नवम्बर को हुई बैठक में आश्वासन दिया था कि उनके विरुद्ध किये गये अन्याय के मामलों की जांच की जायेगी। उसका क्या बना ? मेरे संशोधन में इस बारे में एक उचित सुझाव दिया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : My amendment is very reasonable. You have taken full powers in this matter. It is not proper. Most of the persons arrested or suspended by the Government have not been actively associated with the strike. Actions have been taken against those employees of the Post and Telegraph who have not taken part in the strike. I want that action should be taken in such type of cases. I also want to know the action taken by the Government with regard to the persons arrested for not taking active part.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटे) : अनुशासन सहिता के बारे में त्रिपक्षीय सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया था कि यदि प्रबन्धक कर्मचारी हड़ताल को भड़काने के लिये उत्तरदायी होंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उनको सजा दी जायेगी ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : We know that inspite of our opposition Government is intending pass this Bill. Labourers will raise their voices for the fulfilment of their demands. The members of the Trade Union should not be punished but only the persons provocating should be punished. My other suggestion is that before giving punishment to the persons an appropriate enquiry should be made so that the inncent persons may not be punished.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह केवल दण्डात्मक व्यवस्था है । कानून का बेतुकापन देखिये कि जो व्यक्ति हड़ताल में भाग लेंगे उन्हें 6 महीने की सजा मिलेगी और जो व्यक्ति कार्मिक संघों के कार्यकारी सदस्य होंगे और हड़ताल करने का निर्णय करेंगे उन्हें 1 वर्ष की सजा दी जायेगी । कार्मिक संघों को भी अपना कर्त्तव्य करना होता है । अन्यथा कार्मिक संघ का कोई औचित्य ही नहीं । एक वर्ष की सजा के स्थान पर एक महीने की सजा की व्यवस्था की जानी चाहिये । अतः ऐसा करना न केवल हड़ताल के अधिकार से इन्कार करना है बल्कि हड़ताल की बात भी न करना है । मंत्री महोदय को यह ज्ञात होना चाहिये कि यदि इस प्रकार से कर्मचारियों को डराया धमकाया जायेगा तो क्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें कर्मचारियों से पूरी सहानुभूति है और उनसे उचित व्यवहार कर रहे हैं । हम कर्मचारियों को डराना नहीं चाहते । हम केवल उन व्यक्तियों को डराना चाहते हैं जो सेवाओं में राजनीति को घसीटना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : संशोधन संख्या 79 को अलग से मतदान के लिये रखा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 79 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	**98**	**विपक्ष में**	**20**
Ayes	98	Noes	20

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 6, 7 और 8 पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा । मैं विपक्षी दल के सुझाव को स्वीकार करूंगा और उन्हें तीसरे पाठन के लिये कुल एक घंटे के समय की अनुमति दूंगा यदि वे आज सब खण्डों पर 7 बजे तक चर्चा समाप्त कर लें ।

खंड–6

गैर-कानूनी हड़तालों के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये सजा

श्री श्रीनिवास मिश्र : विरोधस्वरूप में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment makes 156 and 157. In the line 5 of this clause I was add the words after due enquiry."

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 168 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुन्दू : मैं अपना संशोधन संख्या 228 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 243 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मेरा संशोधन संख्या 168 है । मेरे विचार से दण्डात्मक उपबन्ध उचित नहीं है इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

यदि कोई व्यक्ति निजी हैसियत से आपके निवास स्थान पर आता है और आपसे किसी हड़ताल के लिये 100 रुपये लेता है तो आप इस धारा की पकड़ में आ जाते हैं और आपको बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि यह प्रज्ञेय अपराध है । सत्तारूढ़ दल सब शक्ति अपने अधिकार में लेना चाहती है ।

श्री स० कुण्डु (बालासौर) : श्रीमान् मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस उपबन्ध का अभिप्राय हड़ताल का प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वालों को सजा देना है । यदि हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने से पूर्व कोई व्यक्ति दान देता है तो यह समझा जायेगा कि उन्होंने हड़ताल को बढ़ावा देने में सहायता दी है । अतः जब तक इस खण्ड को वापिस नहीं ले लिया जाता तब तक कोई व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता ।

इससे विदित होता है कि सत्तारूढ़ दल शक्ति का कितना भूखा है । हमें इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये । कम से कम यदि सरकार "हड़ताल को बढ़ावा देने या

उसको समर्थन देने" शब्द को हटा दे तो इससे बहुत सीमा तक सहायता मिलेगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Only those people will support the strikers who have sympathy for them. But sometime the people who have no sympathy with the strikers have to make donations under compulsion.

I submit sir that T.e Government should not make those people against them who have to support the strikers under compulsion.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति है। मुझे खुद कानपुर में जब वहां वर्ष 1955 में 85 दिन की हड़ताल हुई थी, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और भविष्य में मेरे रोजगार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों के परिवारों, पत्नियों तथा बच्चों की तक लोग सहायता नहीं कर पायेंगे क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति चाहे वे डाक्टर ही क्यों न हो, इस खण्ड की गिरफ्त में आ जायेंगे। इसलिये ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए जिससे कम-से-कम उनके परिवार के लोगों को तो दण्ड न मिले।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस खण्ड में यह व्यवस्था है कि हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के बाद यदि कोई सहायता दी जाती है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि वह मामला न्यायालय में जायेगा जहां सारे मामले पर विचार होगा और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति विशेष इस खण्ड के अन्तर्गत दोषी है अथवा नहीं। इसलिये इन संशोधन में कोई वजन नहीं है और मैं उनमें से किसी को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 83	विपक्ष में 20
Ayes 83	Noes 20

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 6 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब खण्ड 7 पर विचार करेगी।

अब सशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० विश्वम्भरन : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 158 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिकरे : मैं अपना संशोधन संख्या 204 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मैं अपना संशोधन संख्या 273 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir clause 7 says that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed any offence under this Act. Under this clause even a police constable can arrest any person without a warrant whosoever. My submission is this when Government are taking this sweeping power in their hands, care should be taken to see that this power is reasonably exercised and is not misused. In order to give protection against such misuse by the police and in order that it may be used properly, reasonably and carefully, this power may be given to a police officer not below the rank of a Police Superintendent. This a very reasonable suggestion and I hope the hon. Minister will accept it.

श्री वी० कृष्णामूर्ति : पुलिस को असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। इसलिये कि पुलिस द्वारा इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग न हो और उसका उचित तथा न्यायसंगत प्रयोग हो, हमने एक संशोधन पेश किया है जिसमें केवल यह सुझाव दिया गया है कि इस खण्ड में 'किसी पुलिस अधिकारी' के स्थान पर "पुलिस इन्सपेक्टर उस विभाग के प्रधान को लिखित रूप में प्रार्थना करके" शब्द रखे जायें। यह एक उपयुक्त तथा न्यायोचित सुझाव है और आशा है मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस खण्ड में वही व्यवस्था दुहराई गई है जो हस्तक्षेप्य अपराध के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रियां संहिता में रखी गई है। वही शब्द हैं। इस बारे में माननीय सदस्य को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8–(अन्य कानूनों को निष्क्रिय करने वाला अधिनियम)

श्री एस० एम० जोशी : मैं अपना संशोधन संख्या 274 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri S. M. Joshi : Sir, it was clearly stated in the statement of objects and Reasons that it has always been the endeavour of the Government to provide comprehensive and positive arrangements for the consideration of the legitimate problems and grievances of its employees. But I do not find anything of this nature in any clause and I have, therefore, given this amendment, which says : Provided that the machinery for conciliation and adjudication set out in the said act or under any other scheme like the Joint Consultative Machinery is fully utilised.

If the Government really do not want to take away our right to strike, they should have no hesitation to accept my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 274 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9–(निरसन तथा बचत)

श्री देवेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 27 तथा 205 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री पी० विश्वम्भरन : मैं अपना संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूँ ।

खण्ड 9 का उप-खण्ड (2)-अध्यादेश के अनुसार सरकार द्वारा की गई सभी जघन्य तथा निर्मम कार्यवाही पर सभा का अनुमोदन चाहता है। हम सरकार की अध्यादेश के अनुसार की गई किसी भी कार्यवाही का अनुमोदन नहीं कर सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि इस उप-खण्ड को विधेयक से पूर्णतः निकाल दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : संयुक्त समिति जो इस काले विधेयक पर विचार कर रही है उसके समक्ष वर्तमान तथा भूतपूर्व महान्यायवादियों (अटोर्नी जनरल) ने कहा है कि सरकार सामान्य कानून के अन्तर्गत तथा देश में सामान्य परिस्थितियों में किसी सामान्य विधान को पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकती, लेकिन यह फासिस्ट सरकार का रूप धारण कर रही है।

पठानकोट में सरकार की गोलियों से छः व्यक्ति मारे गये, कई स्त्रियों को बुरी तरह पीटा गया; इसी प्रकार गौहाटी तथा बीकानेर में गोलियां चलाई गईं, और इन्द्रप्रस्थ में लोग निर्ममता से पीटे गये और एक आदमी की हत्या की गई। अब वह चाहती है कि इन जघन्य कार्यवाहियों को विधिमान्य बनाया जाये और सभा से उनका अनुमोदन करवाया जाये। इसके साथ-साथ वह 12,000 कर्मचारियों को, जिनमें से 4000 अस्थायी हैं और 8,000 स्थायी कर्मचारी हैं और जो निलम्बित हैं, दण्डित करना चाहती है। यह सरकार जब तक वह सत्तारूढ़ है, देश में प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। आज वह बहुमत में है और हम जानते हैं कि वह इस काले कानून को पारित कर सकती है और इसीलिये वह अपने काले कारनामों को विधिमान्य बनाना चाहती है गैर-कानूनी कार्यवाही को कानूनी रूप देना चाहती है, जिसका कोई समर्थन तथा अनुमोदन नहीं कर सकता।

श्री नम्बियार : मैं इस खण्ड का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि सरकार अपनी गैर-कानूनी कार्यवाहियों को कानूनी रूप देना चाहती है और उससे देश के सभी कर्मचारियों को भयभीत करना चाहती है। यदि वह हड़तालों पर रोक लगाना चाहती है और यदि उसे उससे कोई लाभ होता है तो वह ऐसा करलें, लेकिन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाकर और इस कानून को पिछली तिथि से लागू करवा कर कर्मचारियों को उत्पीड़ित (विक्टिमाइजेशन) करना तथा उनका दमन करना घोर अन्याय है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि न्याय का गला न घोटा जाये और न्याय के नाम पर इस खण्ड को विधेयक से निकाल दिया जाये। इसके साथ-साथ हमारी यह भी मांग है कि सरकार द्वारा की गई सभी जघन्य तथा निर्मम काण्डों की न्यायिक जांच की जाये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, clause 9, the last clause of the Bill is the worst part of thereof which seeks to give retrospective effect to all the actions taken by the Government in accordance with the ordinance issued earlier. We can very well compare this Bill with a scorpian with the poisionons sting in its tail. In order to punish those employees who resorted to violence and indulged in criminal intimiditation, the Government could adopt other procedures which are available in the Cr. P. C. for dealing with such cases. Law will take its own course. But it is clear that they are adopting a policy of direct victimization with a revengeful spirit which cannot be supported. I therefore, oppose this clause tooth and nail.

श्री रा० डो० भंडारे (बम्बई–मध्य) : केवल खण्ड 9 ही प्रानुषगिक खण्ड है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मेरी उनके प्रति सहानुभूति है और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह उनके प्रति की गई कार्यवाही को वापिस ले ले और अन्य कर्मचारियों के प्रति उदारता का व्यवहार करे। जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है, विधान के सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता है और जब अध्यादेश कानून में बदलता है, तो कानून सर्वोपरि हो जाता है और उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। जहां तक अन्य तर्कों का सवाल है, कानून की अनभिज्ञता के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : समूचे विधेयक में खण्ड 9 खतरनाक खण्डों में से एक है। यह खण्ड संसद द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की उलटी दिशा में चलता है। सरकार ने अध्यादेश की अवधि में कुछ भी गैर-कानूनी कार्य किये हैं उन्हें वह इस विधेयक के द्वारा कानूनी रूप देना चाहती है। यह तानाशाही सरकार का एक उदाहरण है। सरकार प्रजातंत्र के नाम पर वह सब कुछ कर रही है जो एक तानाशाह कर सकता है। उसे जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमे कुछ परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए। संयुक्त प्रवर समिति में इस मामले पर विचार किया जा रहा है। सरकार को समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस विधेयक के इस खण्ड को पारित करके सरकार प्रजातत्र के नाम पर बट्टा लगा रही है। यह प्रजातंत्र के मुख पर धब्बा है और मेरा अनुरोध है कि उसे पोंछ कर साफ किया जाना चाहिए। इसके लिये यह खण्ड को विधेयक से हटाया जाना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : सरकार अपने उन सब कार्यों को कानूनी रूप देना चाहती है जो उसने अध्यादेश के अन्तर्गत कर्मचारियों को बन्दी बनाने तथा उन पर मुकदमे चलाने के लिये किये थे। देश भर में 8,000 व्यक्तियों को बन्दी किया गया और उन पर मुकदमे चलाये गये। इनमें 7,000 व्यक्ति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तथा शेष 1,000 अन्य राज्यों के हैं। केरल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न करके सराहनीय कार्य किया है।

इस खण्ड को पारित करना सामाजिक न्याय और संविधान के विरुद्ध होगा। यह निर्णय करना सरकार का काम है कि वह अपने कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव करती है। किन्तु मैं यह अच्छी जानता हूँ कि सरकार मुकदमों को कानूनी रूप देना, कर्मचारियों को दंड देना और कार्मिक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता नेताओं को इस विधेयक के द्वारा कुचलना चाहती है। वह कर्मचारियों से बदले की भावना से काम लेकर उन्हें तंग करके, पदच्युत करके और जेल में ठूंस कर सदा के लिये उनसे छुटकारा पाना चाहती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन सदा के लिए समाप्त हो जायें। किन्तु सरकार का ऐसा समझना भ्रम मात्र है। इसके खतरनाक विपरीत परिणाम होंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस खण्ड की वैधता माननीय सदस्य श्री भंडारे स्पष्ट कर चुके हैं। यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। पर्याप्त सावधानी से ही यह खण्ड रखा

गया है। यह कहना भी गलत है कि सरकार अपने कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ कर्मचारियों को जो हानि हुई है उसके लिये वे लोग उत्तरदायी है जो इस सम्पूर्ण विवाद की जड़ हैं। सरकारी कर्मचारी अब इन नेताओं की चाल को समझ गये हैं और अब वे उनके बहकावे में नहीं आयेंगे। आज सरकारी कर्मचारी यह समझने लगे हैं कि कौन उनका शुभ चिन्तक है और कौन नहीं। जिन लोगों ने कानून के विरुद्ध कार्य किया है उन्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। मैं कोई संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27, 38 और 205 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 27, 38 and 205 put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

जो सदस्य खण्ड के पक्ष में है वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो विपक्ष है, वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय ; मैं समझता हूं कि हां कहने वाले अधिक हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 1–(विधेयक का नाम, सीमा और अवधि)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी एक सदस्य को इस थोड़ी देर अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दे सकता हूँ किन्तु कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उसके बाद यह मतदान के लिये रखा जायेगा।

श्री उमानाथ : हमने इस विधेयक के विषय में अनेक बातें कहीं किन्तु सरकार तथा मंत्री महोदय ने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं समझता हूं कि यह विधेयक आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के लिये नहीं अपितु कार्मिक संघों के अधिकारों को कुचलने के लिये है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं श्री शिकरे का संशोधन संख्या 190 स्वीकार करना चाहता हूं ।

श्री शिकरे : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पृष्ठ 1, पंक्ति 9,

"five years [पांच वर्ष]" के स्थान पर

"three years [तीन वर्ष]" रखा जाये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 1, पंक्ति 9,

"five years [पांच वर्ष]" के स्थान पर

"three years [तीन वर्ष]" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित, किया जाये ।"

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 18 दिसम्बर, 1968/27 अग्रहायण 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 18, 1968/Agrahayana 27, 1890 (Saka).